हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 26 मार्च, 2016 को माननीय अध्यक्ष,श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई ।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

26.2.2016/1100/TCV/AS/1

व्यवस्था का प्रश्न

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, मैंने और हमारे बाकी साथियों श्री राजीव बिंदल, श्री के0एल0 ठाकुर जी, श्री सुरेश कुमार जी और श्री बलदेव तोमर जी ने नियम-67 के अन्तर्गत नोटिस दिया है । हमारा आपसे निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश विशेष रूप से राजधानी, शिमला, जो किसी समय ब्रिटिश राज की राजधानी हुआ करती थी और अर्न्तराष्ट्रीय पर्यटन नगरी भी रही है। जहां देश-विदेश से लोग शिमला शहर में आते हैं। शिमला शहर और इसके अतिरिक्त सोलन और नाहन में महामारी फैल गई है । पिछले 4-5 महीनों से हिमाचल प्रदेश के आई0एण्डपी0एच0 विभाग और एम0सी0, शिमला, जनता और यहां आने वाले पर्यटकों को मलमूत्र मिला हुआ पानी पिला रहे हैं, जिससे शिमला शहर में महामारी के रूप में पीलिया रोग फैल गया है। आज स्थिति यह हो गई है कि लगभग 30 से अधिक लोग अपनी जान गंवा बैठें हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि यह ऐग्जजरेट् है और यहां पर कोई पीलिया का रोग नहीं हैं। बड़े-बड़े ऑफिसर यहां गैलरी में बैठे हैं, वे स्वंय पीलिया के रोग से ग्रस्त हो करके पी0जी0आई0 और आई0जी0एम0सी0 में दाखिल हो रहे हैं। ऐसा यहां पर आज तक कभी नहीं हुआ । लेकिन यह आज तक महामारी डिक्लेयर नहीं किया गया। पिछले कल हिमाचल हाई कोर्ट की जज़मैंट आई है, जिसका अर्थ है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार कोमा में है, सोई हुई है,बेहोशी की स्थिति में है और पीलिया रोग का संज्ञान भी हाईकोर्ट को लेना पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह मान्य सदन इस बात पर चर्चा करें। आज का जो बिजनिस है उसको सस्पैंड करके इस विषय पर चर्चा की जाये। ताकि जो इस लैजिसलेचर और एग्जिक्टिव की वैल्यू है वह भी बरकरार रहे और इस माहमारी के ऊपर चर्चा हो सकें।

अध्यक्षः आपने चर्चा के लिए लिखा है, मैं उसको ले रहा हूं लेकिन आप मेरी बात सुनिए।

श्री राजीव बिंदल आर0के0एस0 द्वारा ---- जारी

श्री राजीव बिन्दलः अध्यक्ष महोदय, हमने समय रहते काम रोको प्रस्ताव आपके कार्यालय में दिया। अगर यह विधान सभा सत्र 15 दिन या महीना पहले होता तो शायद उस दिन भी यही स्थिति होती, जिस प्रकार की भयानक स्थिति इस समय प्रदेश के स्वास्थ्य की बनी है। इसलिए हमने काम रोका प्रस्ताव देकर चर्चा मांगी है और आप आते ही प्रश्नकाल प्रारम्भ कर रहे हैं। हमारा यह कहना है कि हमको इस विषय के ऊपर प्रदेश हित में तुरन्त चर्चा की जरूरत है इसलिए हम आपके सामने खड़े हुए हैं, आप अपनी रूलिंग दे सकते हैं।

अध्यक्षः मैं मान्य सदन से कहुंगा कि मै इस चर्चा के लिए विचार कर रहा हूं। इसके अलावा मैं 67 में यह चर्चा नहीं करूंगा, यह कोई रिसेंट नहीं है। यह काफी पुराने ढंग से चला है।। will not allow the discussion under Rule 67. मैं 67 एलाऊड नहीं करूंगा। आप चर्चा मांग रहे हैं, आपको चर्चा देंगे।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अत्यन्त गंभीर समस्या की ओर सदन का और नगर निगम के शासकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमारे सदस्यों ने नोटिस दिया। सबसे पहला नोटिस शिमला शहर के माननीय विधायक श्री सुरेश भारद्वाज ने दिया है। पांच अन्य विधायकों ने जिनके चुनाव क्षेत्र प्रभावित हैं, उन्होंने भी आपको नोटिस दिया है। इससे बड़ा न कोई प्रश्न है। सबसे बड़ा मुद्दा पीलिया का है। कोर्ट जजमेंट दे रहे हैं। हमारे बड़े-बड़े अधिकारी इस रोग से पीड़ित हो रहे हैं। सरकार तो गिनती करने में भी असफल है कि कितने लोग मरे? जो हाईकोर्ट ने स्टेटमेंट दी है, उसके बारे में हाईकोर्ट ने भी कहा कि हमें मिसलीड किया। मीडिया में फीगर 20 से ऊपर हो गई है। सरकार 3,5 और 7 में फंसी हुई है। इससे बड़ा प्रश्न कोई ओर नहीं हो सकता। मेरा निवेदन है कि प्रश्नकाल को सस्पेंड करके तुरन्त चर्चा एलाऊ करें। ताकि इस गंभीर समस्या पर जिसे सारा प्रदेश जानना चाहता है कि

शिमला नगर निगम ने क्या किया, प्रदेश की सरकार ने क्या काम किया उसमें चर्चा करके अब भी ओर क्या किया जा सकता है? हम केवल

26.02.2016/1105/RKS/AS/2

आलोचना के लिए चर्चा नहीं चाहते। इस समस्या का परमानेंट समाधान हो। हम जो छोट-छाटे कस्बों, गांव को नगर निगम या नगर परिषद में जोड़ते जा रहे हैं उसके मुताबिक हम फैसलिटी नहीं दे पा रहे हैं। सीवरेज के कनेक्शन लोग ले नहीं रहे हैं, उसके प्रति हम क्या गंभीर हैं? इस समस्या का कारण क्या है? हम इस पर विस्तार में बात करेंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि तुरन्त इस पर चर्चा प्रारम्भ करवाई जाए।

अध्यक्षः मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था कि मैं नियम 67 के अंतर्गत यह चर्चा एलाऊ नहीं करूंगा। इस चर्चा को आप आज ही करेंगे। प्रश्नकाल के बाद जब यह कार्य समाप्त होगा मैं आपको नियम 62 में इस चर्चा करने को समय दूंगा। आप जितनी मर्जी चर्चा करने चाहे कीजिए। यह एक गंभीर मसला है इस पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। मैं आपको प्रोमिश करता हूं कि प्रश्नकाल के बाद जब यह कार्य समाप्त होगा उसके बाद आपको चर्चा के लिए समय दिया जाएगा।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, आपने कहा कि नियम 62 के अंदर इसकी चर्चा होगी, नियम 62 के अंदर इसकी चर्चा नहीं होगी। 62 तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है, उसमें एक आदमी बोलेगा और ये लोग जवाब देंगे, स्टेटमेंट देंगे और मामला खत्म हो जाएगा।

अध्यक्षः इसके बारे में आप नियम-130 के अंतर्गत चर्चा कर सकते हैं।

श्री सुरेश भारद्वाजः यह सारे प्रदेश का मामला है, महामारी का मामला है और यह चर्चा गंभीर चर्चा है। इसलिए मैं समझता हूं कि क्या प्रश्नकाल इससे ज्यादा गंभीर है? लोग

बीमारी से पीड़ित हैं, मर रहे हैं। 15,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हो चुके हैं।

श्री एस.एल.एस. द्वारा जारी....

26.02.2016/1110/SLS-DC-1

श्री सुरेश भारद्वाज..जारी

इन आंकड़ों को आप मानते ही नहीं हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी का एक अपना अख़बार "सूर्य" नाम से है जिसमें यह कहते हैं कि मीडिया ने इसको बढ़ा-चढ़ाकर बताया है। उस अख़बार में कहते हैं कि यह है ही नहीं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि लोग मरे ही नहीं हैं, वह किसी और बीमारी से मरे हैं। ...(व्यवधान)... नियम-62 तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से संबंधित है।

अध्यक्ष : जब आप इस पर चर्चा करेंगे, उसी समय आप यह सारी बातें बताइए।

श्री सुरेश भारद्वाज : सर, वह चर्चा किस समय और किस नियम के अंतर्गत होगी, उसके लिए आप समय निश्चित कर दें।

अध्यक्ष : मैं यह चर्चा नियम-62 के अंतर्गत देना चाहता हूं लेकिन यदि आप उस नियम के अंतर्गत न चाहें तो नियम-130 के अंतर्गत चर्चा हो सकती है। No, Rule 67 is not allowed. Rule 67 is rejected. लेकिन नियम-130 या नियम-62 के अंतर्गत यदि आप चर्चा चाहें तो उसमें भी सभी सदस्य बोल सकते हैं। जो उसमें बोलना चाहे, बोलें। इसको मैं अलौ करूंगा। कागज़ात सभा पटल पर रखने के बाद इसपर चर्चा शुरू की जा सकती है। मैं आज ही यह चर्चा दूंगा और इसके लिए मैं आपको समय दूंगा। आपने जो कहना है वह आप उस चर्चा में कह लें।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : आप बात सुनते ही नहीं हैं। रूलिंग देने से पहले आप हमारी बात सुन लिया करें।

अध्यक्ष : आप कहिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूं।

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है। संसदीय कार्य मंत्री भी नियम-130 के अंतर्गत चर्चा करवाने के लिए उठ कर कह रहे हैं। आप नियम-130 के अंतर्गत चर्चा अलौ करिए और इस पर खुलकर चर्चा हो। इसमें समय की पाबंदी न हो; हर इसु चर्चा में आए।

Speaker: Ok, I allow this discussion under Rule 130.

प्रो० प्रेम कुमार धूमल : ठीक है।

26.02.2016/1110/SLS-DC-2

अध्यक्ष : आप इसमें बोलिए। यह अच्छी बात है। It is very important matter, it should be discussed in the august House. I don't deny it . But there are certain norms; Rule 67 is applied only in very exceptional cases.

प्रश्न काल आरंभ। श्री महेश्वर सिंह जी, आप अपना प्रश्न पूछिए।

26.02.2016/1110/SLS-DC-3

प्रश्न संख्या : 2595

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना मान्यवर मुख्य मंत्री ने सभा पटल पर रखी है। मुझे लगता है कि वह तथ्यों पर आधारित नहीं है। कहा गया है कि 250 किलोमीटर सड़क खोदेंगे, उसके लिए वहां पर सिगनल होंगे और सारी व्यवस्थाएं होंगी। फिर उसको भरेंगे। ज़मीनी हकीकत यह है कि 20-20, 25-25 किलोमीटर सड़क एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ खोदी गई है और ट्रैफिक जॉम हो रहा है, साथ ही दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा लेकिन इससे पूर्व मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे प्रश्न के दो भाग थे। "ख"

भाग संभवतः ऐडिटिंग में काट दिया गया है। इसलिए मुझे उसको पूछने की भी अनुमति और समय दिया जाए। महोदय, मैं प्रश्न के अपने "ख" भाग का भी इसी में समावेश कर दूंगा। अध्यक्ष महोदय, जहां तक वर्तमान स्थिति है, जो सड़क खोदी गई है वह एक तरफ नहीं बल्कि दोनों तरफ खोदी गई है और अनेकों किलोमीटर खोदी गई है। सभी माननीय सदस्य सड़क द्वारा आते हैं; इसलिए इस माननीय सदन के सभी सदस्यों को इस बात का अनुभव है। महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है, यह अनुमति लोक निर्माण विभाग तब देता है जब पहले वहां की असैसमैंट हो जाए, उसका ऐस्टिमेट बने। संभवतः इसका ऐस्टिमेट बना हुआ होगा। इसलिए मैं मान्यवर मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि आखिरकार जो प्रदेश में सभी जगह यत्र-तत्र सड़कें खोदी गई हैं और सभी श्रेणी की सड़कें साथ ही खोद दी गई हैं; सत्यता यह है कि सीमित साधनों से विभाग अपनी सड़क को ठीक करता है, लेकिन पता नहीं क्या इंसीडैंस है कि तुरंत उसी वक्त संचार विभाग हर वर्ष उन सड़कों को खोदना शुरू कर देता है। अब तो हालत इतनी खराब है कि सारी सड़कें खुद गई हैं।

जारी ...गर्ग जी

26/02/2016/1115/RG/DC/1

प्रश्न सं. 2595----क्रमागत

श्री महेश्वर सिंह----क्रमागत

मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जब विभाग ने प्राक्कलन भेजा, तो उसमें विभिन्न श्रेणियों की सड़क को खोदने का प्रति किलोमीटर कितना-कितना पैसा जमा करने के लिए असैस किया गया और प्रदेश में जो सड़कें खुद रही हैं, कुल राशि वह कितनी बनती है और विभाग के पास कब जमा की गई? क्या यह सत्य नहीं है कि यह पैसा मुख्यालय में जमा किया जाता है जबकि होना यह चाहिए कि जिस डिवीजन की सड़क खोदते हैं उसी डिवीजन में यह पैसा जाना चाहिए ताकि पूर्ण रूप से यह उसी कार्य के लिए खर्च हो। अभी क्या हो रहा है कि पैसा ऊपर जमा होता

है, पैच वर्क हो जाता है, बाकी पैसा विभाग के उच्चाधिकारी जहां चाहें वहां खर्च होता है। मुझे लगता है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय भी स्वयं इस बात के भुक्तभोगी हैं। इनके क्षेत्र में भी अभी ऐसी बात घटित हुई है। अतः मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से तथ्य जानना चाहूंगा।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि आज सड़कों के ऊपर डिफैन्स और कुछ कम्पनीज के द्वारा ऑप्टीकल फाइबर बिछाई जा रही है हैं और अनुमति के पश्चात ही यह ऑप्टीकल फाइबर बिछाई जा रही है। ऑप्टीकल फाइबर बिछाने के समय उनको हिदायत है कि 250 मीटर एक बार में खोदें और उसमें ऑप्टीकल फाइबर डालें, फिर उसको बंद करके अगला 250 मीटर स्ट्रैच खोदें। कई सड़कों पर दोनों साइड्ज में ही ऑप्टीकल फाईबर बिछाई जा रही है। तो इसकी वजह से मैं मानना हूं कि कहीं दिक्कत हुई हो और हो सकता है कि कई स्थानों पर इसका उल्लंघन हुआ हो और बजाय 250 मीटर के उससे भी आगे उन्होंने सड़क खोदी हो। लेकिन हमने यह हिदायत दी है कि 250 मीटर एक दफा खोदें फिर उसमें ऑप्टीकल फाईबर डालें। उसको बंद करें, फिर उसको आगे 250 मीटर खोदें और नियम का सख्ती से इसका पालन किया जाए ताकि ऑप्टीकल फाईबर बिछाने का काम भी हो और साथ में यातायात में भी किसी किस्म की बाधा न आए। तो इसके ऊपर ध्यान रखा जाएगा।
जहां तक माननीय सदस्य ने पूछा है कि इसका पैसा किसको जाता है, तो मैं समझता हूं कि जो ऑप्टीकल फाईबर डाल रहे हैं उनसे जो पैसा वसूल होता है वह उसी काम में और उस सड़क को ठीक करने के लिए खर्च करना चाहिए। यह कोई

26/02/2016/1115/RG/DC/2

सेन्टर या स्टेट किटी नहीं है। जहां पर खुदाई हुई है उसको ठीक करने के लिए , उसको बंद करने के लिए, उस पर रोड़ी डालने के लिए या उसकी मैटलिंग-टारिंग के लिए पैसा खर्च किया जाएगा। जहां तक माननीय सदस्य ने यातायात में बाधा की बात की, तो हो सकता है कि यातायात में थोड़ी बाधा आई हो, यात्रियों को भी इससे थोड़ी असुविधा हुई हो। मगर जब तक यह काम खत्म नहीं होता उस समय तक तो थोड़ी

असुविधा रहेगी ही।

अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त जहां तक माननीय सदस्य ने कहा है कि इसके कारण कुछ लोग मर भी गए हैं, तो ऐसी कोई सूचना सरकार के पास नहीं है कि ऑप्टीकल फाईबर जो बिछाया जा रहा है उसके कारण कोई मर गया हो।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा कि दुर्घटनाएं हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी जानना चाहा था कि प्रति मीटर कितना पैसा असैस करके लिया जाता है और इसका टोटल कितना विभाग के पास आया है? यदि आपकी अनुमति हो तो मैं 'ख' भाग भी साथ ही पूछ लूं, क्या दूसरा प्रश्न भी इसके साथ ही पूछं लूं?

अध्यक्ष : हां, पूछिए।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि यह जो सारी स्थिति है क्या सरकार इस प्रकार का निर्णय लेगी?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो पैसा आता है वह जिस डिवीजन में काम हो रहा है उसी डिवीजन में वह पैसा जमा होता है ताकि बाद में वह उस सड़क की मरम्मत के लिए वह पैसा इस्तेमाल किया जाए। कौन-कौन से डिवीजन में काम हो रहा है अभी मेरे पास यह सूचना नहीं है कि कुल मिलाकर कितना पैसा इकट्ठा हुआ है और वह कहां-कहां खर्च हुआ है,

एम.एस. द्वारा प्रश्न जारी

26/02/2016/1120/MS/AG/1

प्रश्न संख्याः 2595 क्रमागत----मुख्य मंत्री जारी---

परन्तु जो पैसा दिया जाता है वह निर्धारित रेट से दिया जाता है और वह पैसा संबंधित जो लोक निर्माण विभाग का डिवीजन है वहां पर जमा होता है ताकि ऑप्टिकल फाइबर

को ले करने के बाद उसकी मैटलिंग/टारिंग के लिए वह पैसा इस्तेमाल किया जा सके।

श्री महेश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री महोदय इस बात की पुष्टि कर लें क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार पैसा हैडक्वार्टर में जमा होता है। दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि क्या सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करेगी कि जो नई सड़कें बन रही हैं या जो फोर लेन का काम चल रहा है या नेशनल हाइवे की दूसरी सड़कों की वाइडनिंग का काम चल रहा है, उनमें ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि सड़क के किनारे पहले ही एक चैनल बनाया जाए क्योंकि ये सड़कें केवल ऑप्टिकल फाइबर के लिए ही नहीं उखाड़ी जातीं अगर पानी की पाइपें डालनी हैं तब भी उखाड़ते हैं, अगर बिजली का केबल डालना है तब भी उखाड़ते हैं। इसलिए क्या एक चैनल बनाकर व्यवस्था नहीं की जा सकती ताकि उस पर लोक निर्माण विभाग विभिन्न विभागों से शुल्क चार्ज करे और बार-बार सड़कें न खोदनी पड़े?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा था कि किस रेट से पैसा चार्ज किया जा रहा है। इसमें मैं कहना चाहता हूं कि लोक निर्माण विभाग जो भी ऑप्टिकल फाइबर ले कर रहे हैं उसके लिए जो वे जगह बनाते हैं उसके लिए 900 रुपया पर-मीटर पैसा लिया जाता है और यह पैसा संबंधित लोक निर्माण विभाग के डिवीजन में जमा किया जाता है। आपने जो दूसरा सुझाव दिया है उस बारे में हमारी विभाग में चर्चा हुई है और इस बारे में सरकार विचार कर रही है कि

26/02/2016/1120/MS/AG/2

बजाए सड़कों को इनको खोदने दें हम स्वयं ही सड़कों में चैनल बनाएंगे और उसमें जो भी चाहें उसमें अपनी तारें डाल सकता है और उसके ऊपर डक्ट लगेगा जिसको मुरम्मत के लिए खोला भी जा सकता है। यह बात भी सरकार के विचाराधीन है और जल्दी ही इसके बारे में निर्णय लिया जाएगा। मैं समझता हूं कि यह अच्छा तरीका होगा क्योंकि एक दफा वे इस तार को डालेंगे, ऑप्टिकल फाइबर को डालेंगे और फिर कभी मुरम्मत करने के लिए खोदेंगे। इसलिए बजाए इसके कि बार-बार खुदाई हो यदि एक

ही दफा चैनल बन जाए जो लोक निर्माण विभाग के अपने हों, सब उसमें अपनी तारें डालें और उसके लिए हम वार्षिक या मासिक शुल्क उनसे ले सकते हैं। यह सरकार के विचाराधीन है।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह तथ्यों पर आधारित नहीं है। पहली जो खुदाई की 250 मीटर की बात की गई है कि पहले इतनी खुदाई की जाती है फिर उसको भरा जाता है और उसके बाद आगे की खुदाई होती है। मैं चाहूंगा कि इसमें ग्राउंड रिपोर्ट मंगवाएं। कई-कई किलोमीटर तक सड़कें खोदी हुई हैं। जो आपने दुर्घटनाओं की बात कही तो टू-व्हीलर्स के बहुत सारे एक्सीडैंट्स हुए हैं। जो बाई रोड ट्रैवल कर रहे हैं उन सबको अनुभव है। कई-कई किलोमीटर गाड़ी बैक करनी पड़ती है। जो आपने सूचना में कहा है मैं चाहूंगा कि विभाग इसको क्लेरिफाई करे। इसके साथ ही दिशा सूचक, चेतावनी लाइट चिह्न पटल इत्यादि स्थापित करना कहा है। मुझे हमीरपुर से लेकर शिमला तक, हमीरपुर से लेकर कांगड़ा-धर्मशाला तक कहीं कोई दिशा सूचक लगा हुआ नहीं मिला। न कोई चेतावनी लाइट है और आपने कहा कि ऐसी हिदायत दी गई है कि 250 मीटर खोदने के बाद उसको भरकर फिर आगे चलें। क्या सरकार केवल हिदायत ही देती है या फिर उसको फोलोअप करके करने के लिए, उसको चैक करने के लिए डिवीजन या सब-डिवीजन में किसी की ड्युटि भी लगी है और क्या माननीय मुख्य मंत्री जी के ध्यान में यह बात आई है,

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

26.2.2016/1125/जेएस/एजी/1

प्रश्न संख्याः 2595:---------**जारी**------

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः------**जारी**-------

कि पहले ऑप्टिकल फाईबर एक कम्पनी ने डाल दी और उसको मिट्टी से भर भी दिया और उसके बाद दूसरी कम्पनी ने फिर ऊखाड़ा और फिर उसी उसी जगह पर खुदाई

हुई, फिर ट्रैफिक जाम हुए?

अध्यक्ष महोदय, तीसरा प्रश्न मैं यह पूछना चाहता हूं कि जो पैसा आता है वह उसी सब डिविज़न में रह जाता है। क्या किसी माननीय सदस्य या सरकार को कोई ऐसी सूचना है कि उसमें कोई काम डिपार्टमैंट ने किया हो? खुदाई करने में कश्मीर की लेबर लगी हुई है। वही लोग खुदाई करते हैं, वही ऑप्टिकल फाईबर लाईन बिछाते हैं तथा वही लोग कच्ची मिट्टी डाल कर उसको वैसे ही भर देते हैं। कई एक्सिडैंट इस करके भी हो रहे हैं कि जब टायर उस कच्ची मिट्टी के ऊपर जाता है तो वह धंस जाता है। इस बारे डिपार्टमैंट कुछ भी नहीं कर रहा है क्या आपकी जानकारी में यह बात है?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुझे अभी जानकारी दे रहे हैं। लेकिन मैं तो रूल्ज की बात कर रहा हूं। हो सकता है कई जग रूल्ज का पालन न हुआ हो। रूल्ज के मुताबिक हिदायत हुई है कि जब खुदाई करेंगे तो वह 250 मीटर तक करेंगे और जब वह भर जाएगी फिर दोबारा से आगे की ओर 250 मीटर खुदाई करेंगे। हो सकता है कि कई जगह जहां पर निगरानी न हो 250 मीटर से ज्यादा भी खोदते होंगे। **मगर ये रूल्ज हैं, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि भविष्य में जो ये रूल्ज पहले से बने हुए हैं उनका सख्ती से पालन किया जाए।**

26.2.2016/1125/जेएस/एजी/2

अध्यक्षः बिन्दल जी काफी हो गया है। इसमें 25 मिनट हो गए हैं। देखिये अगर 25 मिनट एक प्रश्न को लगेंगे तो बाकी प्रश्नों का क्या होगा? There are so many questions. माननीय मुख्य मंत्री जी ने सारा ज़वाब दे दिया है।

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर पिछले सत्र में प्राईवेट मेम्बर्ज डे पर

मैंने यही विषय लगाया था। दो घण्टे की चर्चा का ज़वाब माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया था। उसमें आपने आश्वस्त किया था और हमने अपना संकल्प वापिस लिया था। आपने यह आश्वस्त किया था कि सड़क में खुदाई की व्यवस्था को इम्प्रूव करेंगे और आने वाले समय में सड़कों के किनारे प्रॉपर ड्रेनेज़ बना करके इसके लिए चैनल बनाए जाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा इनसे एक सवाल है जो कि बहुत लम्बा-चौड़ा नहीं है। आपने कहा था कि 9 लाख रूपया किलोमीटर क्योंकि आपने 900 रूपया मीटर बताया है यानि 9 लाख रूपया किलोमीटर के हिसाब से पैसा जमा हो रहा है। अगर आप 900 मीटर बता रहे हैं तो 9 लाख रूपया किलोमीटर ही हुआ है। अगर 9-10 लाख रूपया प्रति किलोमीटर जमा हो रहा है तो उससे कच्ची सड़क भी पक्की हो सकती है। इसके बारे में उत्तर दिया जाए और यह भी बताया जाए कि वे लोग सारे की सारी जितनी भी पाईपें दबा रहे हैं वे नालियों को तोड़ कर दबा रहे हैं, जो हमारी ड्रेन है। वास्तव में ड्रेन हमारी सड़क की ज़ान है। सारी की सारी ड्रेन्ज को तोड़ कर ही सड़कों में नालियां दबा रहे हैं। जो वैली साईड है वहां पर डंगे तोड़कर के दबा रहे हैं उसके ऊपर सरकार क्या कर रही है?

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो नियम है वह मैंने बता दिया है। 900 रूपया प्रति मीटर ही दिया जाता है इसलिए हो सकता है कि 9 लाख रूपया एक किलोमीटर का बनेगा। मैंने यहां पर मीटर के हिसाब से बताया है। जब यह काम होता है तो जो लोक निर्माण विभाग का जे0ई0 होता है वह उस समय मौके पर होना चाहिए। They should check it.

26.2.2016/1125/जेएस/एजी/3

कि वे कितना खोद रहे हैं और क्या इसकी वजह से जो पहले वहां पर ऑप्टिकल फाईबर दबी हैं या पानी की नालियां दबी हैं उनको नुकसान न पहुंचे। यह जो भी चीजें बिछाई जा रही होती है उस बारे में डिपार्टमैंट का जो जे0ई0 है उसकी यह जिम्मेदारी

होती है कि जब ऑप्टिकल फाईबर बिछाई जाती है तो उसको यह ऐहतियात बरतनी है कि अगर पहले से ही वहां पर कोई चीज दबी हुई है, पानी की पाईप है, चाहे दूसरी कोई ऑप्टिकल फाईबर है उनको कोई नुकसान न पहुंचे। अगर कोई ऐसा करता है उसको हर्ज़ाना भरने होगा क्योंकि जो यह ऑप्टिकल फाईबर बिछा रहा है उसकी वह जिम्मेदारी होती है।

अगला प्रश्न श्री एस0एस0 द्वारा जारी-----

26.02.2016/1130/SS-AS/1

प्रश्न संख्याः 2596

श्री हंस राजः माननीय अध्यक्ष जी, यह जो चमेरा चरण-1 पावर प्रोजैक्ट बना था इसमें मेरा पहला प्रश्न यह था कि कितने परिवारों को उजाड़ा गया तथा उनमें से कितने परिवारों को पुनः बसाया गया। इसमें मैं थोड़ी-सी सूचना इस माननीय सदन में देना चाहता हूं। इसमें जो 262 की फिगर रखी गई है उसमें एक्चुअल में 400 परिवार थे जोकि उजड़े थे। हमने एन0जी0ओज़0 के माध्यम से और लोगों से खुद मिल करके जो सूचनाएं एकत्रित की हैं उसके अनुसार ऐसे 400 परिवार थे।

दूसरा, जो पुनर्वास योजना चली थी, 1994 के बाद ऐसी पुनर्वास योजना चली कि जिनका पॉलिटिकल इंफ्लुएंस था या यह कह सकते हैं कि जिनका राजनीति में हस्तक्षेप था उनको तो ढंग से बसाया गया। कम्पनसेशन की जो पॉलिसी अख्तियार की गई उसमें उनको थोड़ा बहुत कम्पनसेशन मिला। 20 से लेकर 65 हजार रुपये तक 1994 में या उससे पहले कम्पनसेशन दिया गया था। लेकिन जैसे हमारे तीन चार गांव थे - राजनगर, थली, चकलू, पलेई, गट्टा, बनोता और टिक्करी-दरडा, क्योंकि इसके रेडिअस में तीन कांस्टीचुऐंसीज़ आई थीं जब यह डैम बना था और एक ब्लैक नाइट करके बुक भी पब्लिश हुई थी उसमें यह कहा गया था कि बिना बोले ही एक तो पानी वहां पर रोक दिया गया था और उसमें ये तीन-चार गांव एकदम तबाह हो गए थे। आज की स्थिति यह है कि वे लोग हाई-कोर्ट तक पहुंच गए हैं कि हम लोगों को इस एवज़ में जो राइटस मिलने चाहिए थे या कम्पनसेशन मिलना चाहिए था वह नहीं मिला। क्या

मंत्री जी इस माननीय सदन में आश्वस्त करेंगे कि उस पर कोई कमेटी या कमिशन गठित करके एक बार फिर से सर्च आउट किया जायेगा कि क्या वास्तव में 400 परिवार प्रभावित हुए थे और क्या उन परिवारों को बसाया गया? यदि बसाया गया तो कहां बसाया गया और उनको बसाने का क्या तरीका था? क्या उनको फ्लैटस दिए गए या जमीन दी गई? क्या माननीय मंत्री जी यह सदन में बतायेंगे?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष जी, जो 262 परिवार विस्थापित हुए थे उसकी सूचना मेरे पास है। उन सभी परिवारों को 5 बीघा प्रति ऑस्टी एग्रीकल्चर लैंड दी गई है और 10 बिसवा पर हाउस फॉर कंस्ट्रक्शन और 45 हजार रुपया रिहैबलिटेशन ग्रांट दी गई थी। **जैसे ये बता रहे हैं कि ये 400**

26.02.2016/1130/SS-AS/2

परिवार थे इसमें 238 का डिफरैंस है। इस विषय को आपके साथ बैठ करके सॉर्ट आउट करेंगे कि इसका क्या किया जा सकता है।

अध्यक्षः अब काफी हो गया। आप मंत्री जी के साथ बैठ करके डिस्कस कर लेना। जब आप इनके साथ बैठेंगे तो सारी बात डिस्कस कर लेना। Okay, I allow you.

श्री हंस राजः सर, इसमें ज़रूर आपके साथ बैठ लेंगे। लेकिन जो कारपोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी में पैसा व्यय हुआ है उसका न तो माननीय वन मंत्री, भरमौरी जी को पता है जोकि चम्बा से हैं तथा चमेरा उधर भी लगता है। शायद मैडम आशा जी को भी न पता हो और न ही हमें पता है। कारपोरेट सोशल रिस्पोंसिबिलिटी में 3.64 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं।

जारी श्रीमती के0एस0

26.02.2016/1135/केएस/एएस/1

प्रश्न संख्याः 2596 जारी...

श्री हंस राज जारी---

इसकी आऊटपुट क्या है,उस पैसे की असैसमैंट कौन करता है और कहां-कहां ये पैसे खर्च हुए हैं, इस बारे में बताया जाए ताकि हम भी सर्च आऊट करें कि चम्बा में कहां पर वह पैसा लग रहा है? यह ठीक है कि उस समय लाडा नहीं था और 2006 के बाद यह नीति आई है लेकिन Corporate Social Responsibility या लाडा में जो भी पैसा आज के समय में व्यय हो रहा है, वह कहां जा रहा है और कौन उसको खर्च करवा रहा है? उस पैसे को सरकार खर्च करवा रही है या जनप्रतिनिधि या वहां का स्थानीय नेता खर्च करवा रहा है, क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगें?

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः -अध्यक्ष जी, वहां पर कमेटीज़ बनी हुई है । उसमें कहीं पर तो विधायक हैं, कहीं पर मंत्री हैं । आपके वहां पर कौन है, इसका मुझे अभी पता नहीं है कि आप है या कोई मंत्री हैं। 3.64 करोड़ रु0 की लिस्ट माननीय सदस्य आपको अलग से उपलब्ध करवा दी जाएगी और यह पैसा डी.सी. के माध्यम से खर्च होता है जिसकी डिटेल अभी मेरे पास नहीं है।

श्री हंस राजः माननीय अध्यक्ष जी, सम्माननीय मंत्री जी से मैं सिर्फ यही आग्रह करना चाहूंगा कि थोड़ा सा आश्वासन दे दें। यह पैसा डी.सी. के पास जमा होता है, बहुत अच्छी बात है लेकिन उसमें हमारे चाहे डी.पी.सी. की

26.02.2016/1135/केएस/एएस/2

कमेटी है या ग्रीवेंसिज़ की कमेटी है, जिसमें हम लोग भी सदस्य हैं, उसमें स्थानीय प्रधानों को जो उस इलाके से अफैक्टिड हैं और वहां के जिला परिषद के सदस्यों, बी.डी.सी., विधायकों और मंत्री जी को भी सम्मिलित कर लिया जाए ताकि हम इस तरह की कोई योजना बनाएं कि उस पैसे को सही जगह पर युटिलाईज़ किया जा सके।

अध्यक्षः मंत्री जी, एक बात मैं भी कहना चाहता हूं कि बहुत से पावर प्रोजैक्ट्स लाडा के पैसे को जमा नहीं करवा रहे हैं तो इसको भी आप ध्यान में रखें।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्रीः अध्यक्ष जी Corporate Social Responsibility की कमेटी नहीं है। यह पैसा तो डी.सी. के पास ही होता है और वे अपने हिसाब से खर्च करते हैं । लाडा की कमेटी होती है । जहां पर माननीय सदस्य को कुछ शक है, आप बताएं, उसको कर लिया जाएगा।

26.02.2016/1135/केएस/एएस/3

प्रश्न संख्याः 2597

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले सदन में आश्वासन दिया था तो कुछ टैक्सियां चलाई है और बाकी के लिए मंत्री जी ने कह दिया कि जी, नहीं । मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या शिमला शहर में एच.आर.टी.सी. की टैक्सी सर्विस जो वह या स्वयं चलाती थी या ऑक्शन के द्वारा चलाती थी, कितने रोड़ज़ पर इससे पहले चलती थी और उसको आपने बंद क्यों कर दिया? मेरे "ख" भाग के प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी जी, नहीं बोल रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जिन रूट्स पर टैक्सी चला दी उनमें और जहां नहीं चला रहे हैं, उनमें क्या अंतर है? वहां क्यों नहीं चला रहे हैं?

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्रीः अध्यक्ष जी, 2007 में ये टैक्सियां मैंने ही शुरू की थी। पहले यह सीनियर सीटिजन्ज़ और डिसेबल्ड महिलाओं के लिए शुरू की थी। उसके बाद लोगों को इसमें ज्यादा रूचि नज़र आई तो इस संख्या को थोड़ा और बढ़ाया गया।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

26.2.2016/1140/av/DC/1

प्रश्न संख्या : 2597 --------- क्रमागत

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री------जारी

उसके बाद इसमें लोगों को ज्यादा रूचि नजर आई। पहले दो ही की थी फिर बढ़ाकर चार की और उसके बाद 15 कर दी। वर्ष 2008 में जब सरकार बदली तो इसको शायद आउट-सोर्स कर दिया गया। लोगों की यह शिकायत भी आती थी कि उसमें बहुत ज्यादा सवारियां भर देते हैं। उसके बाद यह फैसला लिया कि इसको एच.आर.टी.सी. करेगी। यह मामला मान्य हाई कोर्ट में भी गया। अभी सात रूट्स पर चला रहे हैं। उस वक्त भी यही बात हुई थी कि अगर कहीं ज्यादा अनिवार्य होगा तो आपस में डिसकस करके इसको बढ़ा देंगे। मगर रश को देखते हुए क्योंकि जहां-जहां गाड़ियां जायेगी वहां दिक्कत भी होगी। अगर आपको कहीं पर बहुत ज्यादा दिक्कत लग रही है तो उसको देख सकते हैं वैसे सरकार सील्ड रोड पर ही कर रही है।

समाप्त

26.2.2016/1140/av/DC/2

<u>प्रश्न संख्या : 2598</u>

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना सभा पटल पर रखी गई है उसके अनुसार वर्ष 2015-16 में मनरेगा के तहत 746.59 करोड़ रुपये की राशि खर्च करने का लक्ष्य रखा है। हिमाचल जैसा प्रदेश जिसके अपने संसाधन बहुत ज्यादा नहीं है, जो इस योजना का बहुत ज्यादा लाभ उठा सकता है। मगर हम पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि मनरेगा के बारे में मंत्री महोदय जी बार-बार कहते हैं कि केंद्र से पैसा नहीं आ रहा है इसलिए हम भी यहां पर काम करने की स्थिति में नहीं हो रहे हैं। मैं यहां पर इस विषय को थोड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने अपने पिछले बजट भाषण में कहा है (---व्यवधान---)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, Please, there is no time to discuss these demands.

Put a supplementary. Please don't make any long references. It is not a time to discuss it .

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुझे भूमिका तो बनानी पड़ेगी। सरकार की ओर से बार-बार यह दोषारोपण किया जा रहा है। वर्ष 2012-13 में हमारी सरकार के कार्यकाल के समय मनरेगा के तहत 5.50 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं। मगर वर्तमान सरकार ने 379.17 करोड़ रुपये खर्च किए हैं जबकि उस वक्त दिहाड़ी भी कम थी और हमारी सरकार ने इतना ज्यादा पैसा खर्च किया था। हम हिमाचल के लिए मनरेगा के माध्यम से विकास में गति देने में बहुत कामयाब हो सकते हैं। ऐसी परिस्थिति क्यों आई कि प्रदेश में मनरेगा की तरफ ध्यान कम होता जा रहा है। जबकि यह डिमांडेबल स्कीम है कि जितना आप पैसा खर्च करेंगे केंद्र सरकार उतना अधिक पैसा देगी। उसके बावजूद भी मनरेगा के तहत पैसा खर्च करने में जो भारी गिरावट आई है मैं उसकी वजह जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष : आपके पिछले पैसे भी आ गये हैं या नहीं?

26.2.2016/1140/av/DC/3

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य का आभारी हूं क्योंकि ये इस विभाग के पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, इनको इसलिए चिन्ता है और हमें भी चिन्ता है। माननीय सदस्य अपने वक्त के आंकडें बता रहे हैं। उसके बारे में मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि वर्ष 2013-14 में केंद्र में यू.पी.ए. सरकार थी। हमें जो कार्य दिवस का टारगेट दिया गया है वह 273.19 लाख का था जबकि हमने 282.47 लाख का टारगेट अचीव किया। यानि कुल 103 प्रतिशत टारगेट अचीव किया। उसके बाद केंद्र में सरकार बदली और 'अच्छे दिन' की सरकार आई। मैं माननीय सदस्य को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ठीक है आप मीडिया में कुछ कहते होंगे (---व्यवधान---) मैं आपको उसकी वस्तुस्थिति बताने वाला हूं----

टीसी द्वारा जारी

26.2.2016/1145/TCV/AS/1

प्रश्न संख्याः 2598--- क्रमागत

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ------जारी

हमें 2014-15 में 276.80 लाख का तारगेट दिया गया था क्योंकि हमारी अचीवमैंट अच्छी थी इसलिए तारगेट अच्छा दिया गया। हमारी एक रिव्यू कमेटी केन्द्र में बनी, उस रिव्यू कमेटी ने जहां 670 करोड़ का तारगेट हमें दिया था हमें कट लगा करके 355.43 करोड़ का तारगेट रखा गया। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जो तारगेट केन्द्र सरकार ने हमें 670 करोड़ का दिया और बीच में तारगेट काट करके 355.43 करोड़ का रखा गया। उस वक्त अच्छे दिन की सरकार थी। यदि हम तारगेट 103 परसेंट का कर सकते थे, लेकिन हम 410 करोड़ रूपये खर्च कर सके, क्योंकि पैसा नहीं था। पैसा नहीं आ रहा था और उसके बाद 2015-16 के अन्दर भी 258.29 लाख मैंडेज़ का दिया गया। अब आप जो इस साल की चर्चा कर रहे हैं, आप कहते हैं कि हमने प्रयास नहीं किया। 2014-15 के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रधान मंत्री को लिखा और मैंने केन्द्रीय मंत्री जी को लिखा कि आप इतना बड़ा ड्रास्टिक कट प्रदेश के अन्दर न करें। जो चिन्ता आ कर रहे हैं, वह चिन्ता हमारी भी है, क्योंकि गरीबों को रोज़गार गांव के अन्दर मिल रहा है और उस रोज़गार को देने के लिए माननीय मुख्य मंत्री ने माननीय प्रधान मंत्री जी को लिखा। लेकिन पता नहीं वह चिट्ठी कहां फैंक दी गई। जब कट लगा दिया गया तो उस कट के ऊपर कोई रिव्यू नहीं हुआ। इस साल की चिन्ता जो आप वयक्त कर रहे हैं । मैं इस साल की चिन्ता भी आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि हमारी जो मनरेगा गाईड-लाईन है उस गाईड लाईन के अन्तर्गत 30 दिसम्बर से पहले योजना की राशि का 60 परसेंट यदि आप खर्च कर देते हैं तो आपको सैंकिंड इन्स्टालमैंट दे दी जाएगी। हमने विभाग की तरफ से 14 सितम्बर, 2015 को 81 परसेंट युटेलाईजेशन केन्द्र को दे दिए। आप कहते हैं कि रोना क्यों रो रहे हैं इसका कारण यह है कि पैसा नहीं आ रहा है। यदि यह हमारे प्रदेश की कमी है, हमारी कमी है तो हम इसका जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन 18 सितम्बर को उन्होंने कहा कि हम आपको 211 करोड़ रूपये रलीज़ करने वाले हैं। हम बड़े खुश हुए कि कम से कम 211 करोड़ रूपये अब आने वाले हैं।

लेकिन उसके बाद हमारा प्रयास जारी रहा और 19 सितम्बर को उन्होंने इस बात को जारी किया कि 211

26.2.2016/1145/TCV/AS/2

करोड़ रूपये हम आपको देने वाले हैं। लेकिन उसके बाद केन्द्र सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण 7 अक्तूबर को दोबरा हमें ई-मेल के माध्यम से इस बात को उठाया और 8 अक्तूबर को पत्र के माध्यम से हमने केन्द्र सरकार को यह कहा कि पैसा भेजिए। ताकि जो काम रूके हुए हैं, उनको हम करवा सकें। लेकिन उन्होंने गाईड लाईन को बीच में चैंज कर दिया। यदि गाईड लाईन चैंज करनी हो तो साल के शुरू में चैंज होनी चाहिए। आप गाईड लाईन्ज चैंक करते हैं और कहते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट सबमिट किजिए। 2 दिसम्बर, 2015 को हमने 9 जिलों की ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर दी। उसके बाद हम अभी तक लगातार सम्पर्क में हैं। वहां आपकी (बीजेपी) सरकार है आप उनको कहिए। हमने अभी 19 जनवरी को भी रिपोर्ट ---

श्री आर0के0एस0 द्वारा जारी ---

26.02.2016/1150/RKS/AG/1

प्रश्न संख्या...2598 जारी

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री .....जारी

उनको सब्मिट की है। हमने 18 फरवरी को पत्र लिखा और अभी तक जो पैस रिलीज नहीं हुआ उसका एक बहुत बड़ा कारण यह भी है कि हम मनरेगा में मटिरियल कंपोनेंट का पैसा समय में नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा कारण पंचायती राज चुनाव के अंदर है, पंचायत के चुनाव थे, मैं आपके ध्यान में इसलिए लाना चाहता हूं कि पिछली साल नवम्बर के अंदर 202 करोड़ 22 लाख 4 हजार नब्बे रुपये जो हमने मैंडेज जनरेट किए थे, दिसम्बर में 1, 71,900 कम हुए हैं और जनवरी में तो बहुत कमी आई है। क्योंकि पंचायतों के चुनाव होने की वजह से तीन महीने से हमारा काम बिलकुल रुका पड़ा है।

मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि नई पंचायतों के चुनाव होने के बाद हमें समस्या इस बात की है कि केन्द्र सरकार बोलती कुछ है, करती कुछ है। यही कारण है जिसकी वजह से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के अंदर एक कमेटी में दिनांक 5.11.2015 को हमने केंद्र सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखा और जिसे केंद्र सरकार ने भी माना। हमने 6 स्टेट का पक्ष रखा और उन्होंने भी माना कि 6 स्टेटस के अंदर पंचायती राज में अच्छा काम हो रहा है, हम आपको पैसा देंगे और प्रदेश सरकार को भी लगभग 13 करोड़ 12 लाख रुपये की उन्होंने सहमति दी थी। उसमें पंचायतों के प्रधानों को ट्रेनिंग करने के लिए भी पैसे का प्रावधान किया था। अब लेटेस्ट हम उनसे मांग करते हैं कि पैसा दीजिए परन्तु अब वे मुकर गए। अब कहते हैं कि हम इस पैसे को नहीं देंगे। तो आपसे (विपक्ष की ओर इशार करते हुए) क्योंकि आप भाषण बहुत अच्छा देते हैं और इस बात की चर्चा भी करते हैं। मैंने सरकार का पक्ष इसलिए रखा है कि जो सच्चाई है वह जनता के सामने आना चाहिए। जब तक सच्चाई जनता के सामने नहीं आएगी तो कई बार आप कहते हैं कि मंत्री काम में इंटरस्ट नहीं ले रहे हैं, हमारे समय में बहुत कुछ हुआ। आप जानते हैं कि यह

26.02.2016/1150/RKS/AG/2

डिमांड ड्रिवन स्कीम है और हम कई महीनों से मटिरियल की पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से काम सफर हो रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि केंद्र सरकार के समक्ष इस बात को करें और उनसे कहिए कि ये जो स्कीम है जिसको आप कहते हैं कि यूपीए का ढोल है, गले में डाला हुआ जिय ढोल की चिंता आपको लगी हुई है। कम से कम आप केंद्र सरकार से बात कीजिए, पैसे का प्रावधान कीजिए। अगर यह स्कीम बहुत अच्छी लगी तो हम 103 परसेंट टारगेट अचीव कर सकते हैं। यह सरकार इस टारगेट से पीछे नहीं हट सकती , पैसे का प्रावधान कीजिए।

अध्यक्षः मेरा विचार है कि दोनों पक्ष मिलजुल कर इसके लिए केंद्र से पैसा मंगवाइए। जय राम ठाकुर जी आप कुछ कहना चाहेंगे? जय राम ठाकुर जी आप क्या कहना चाहेंगे?

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने आज बहुत लम्बा भाषण दिया। भाषण का जिक्र हमारा कर रहे हैं लेकिन भाषण खुद दे रहे हैं। लेकिन इन्होंने अपना पक्ष रखने की कोशिश की। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि मनरेगा एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है? दूसरी बात सबसे बड़ी वजह जो पैसा, जो टारगेट आपने रखा उसके बाद केंद्र से पैसा तब मिलेगा जब आप यूटिलाजेशन सर्टिफिकेट देंगे, एम.आई.एस. में उसकी एंटरीज बगैरा परोपर होगी, वह हो नहीं पा रही है।

अध्यक्षः वह तो दे दिया है।

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2012-13 की मटिरियल पेमेंट अभी तक ड्यू है। कारण यह है कि एम.आई.एस. में एंटरिज नहीं हो पा रही है उसके बाद जो केंद्र से जो पैसा मांगना है, उस पैसे को मांगने के लिए यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वहां पर पहुंचाना जरूरी है। जब यहां से यही काम नहीं हो पा रहा है तो केंद्र से पैसा मिलेगा कैसे?

26.02.2016/1150/RKS/AG/3

अध्यक्षः ऑडिट रिपोर्ट भेजी गई है।

श्री जय राम ठाकुरः अध्यक्ष महोदय, मनरेगा का कन्सेप्ट बड़ी कलीयर है, जितना

पैसा खर्च करोगे उतना पैसा केंद्र से सरकार देगी। जहां तक आप बोल रहे हैं कि कमेटी ने तय कर दिया कि कट लगेगा कट लगेगा। अध्यक्ष महोदय, कहीं कट की बात नहीं है। मनरेगा डिमांड ड्रिवन स्कीम है, डिमांड ड्रिवन स्कीम होने की वजह से जितना आप खर्च करेंगे उतना पैसा केंद्र सरकार आपको देने के लिए तैयार है, बेशर्त एम.आई.एस.में एंटरिज हो। लेकिन क्या यह सच है कि एम.आई.एस. में एंटरिज अभी तक न होने की वजह से, परोपर अपडेट न होने की वजह से जो पैसा आपको मिलना था, जिसकी आप मांग कर रहे हैं, उसकी वजह से डिले है? मैं जानना चाहता हूं।

अध्यक्षः ऑडिट रिपोर्ट और अपडेटस तो कह रहे हैं कि भेज रखी है।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रीः अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जानना चाहते हैं या आप (विपक्ष की ओर इशारा करते हुए) कहते हैं कि पिछली साल केंद्र सरकार ने कट नहीं लगाया ।

श्री एस.एल. एस. द्वारा जारी....

26.02.2016/1155/SLS-AG-1

प्रश्न संख्या : 2598 क्रमागत

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ..जारी

आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, मेरे पास डाकुमैंट्स हैं। चाहें तो मैं सभा पटल पर रख सकता हूं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। (व्यवधान) जो बात मैं रख रहा हूं आप पहले उसको सुनिए। मैंने कहा कि जहां तक कट लगाने की बात हैं, मुख्य मंत्री जी ने प्रधान मंत्री जी को पत्र लिखा है। (व्यवधान) आप यू.सी. की बात कह रहे हैं लेकिन मैं कट लगने की बात कह रहा हूं। वर्ष 2015-16 की अभी तक हमारे पास 46 करोड़ रुपये की डिमांड पैंडिंग पड़ी है जो हमने एम.आई.एस. में अपलोड कर दी है। मैटिरियल की हमने अभी तक 46.17 करोड़ रुपये की डिमांड एम.आई.एस. में अपलोड

है जिसका पैसा केंद्र के पास पैंडिंग है। फिर आप कह रहे हैं कि कट नहीं लगाया गया। इस बारे में मुख्य मंत्री जी की चिट्ठी है और मेरी भी चिट्ठी है जिसमें कट के बारे में लिखा गया है। इसको हम सभा पटल पर रखते हैं। आप कह रहे हैं कि स्कीम डिमांड बेस्ड है। मैं उसकी भी बात करना चाहता हूं। डिमांड बेस्ड कैसे होगी जब हम मैटिरियल और काम ही नहीं दे पा रहे हैं। (व्यवधान) मैं मान रहा हूं कि स्कीम डिमांड बेस्ड है। (व्यवधान) मैंने यही कहा कि अगर लोग डिमांड करेंगे तो काम देना पड़ेगा।

Speaker: Next Question, please. इस प्रश्न पर काफी चर्चा हो चुकी है। (व्यवधान) रवि जी, अब इसमें क्या है।

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने सदन को गुमराह करने की कोशिश की है। (व्यवधान) आप बैठिए।

मुख्य मंत्री : यह झूठ है। मंत्री जी द्वारा कहा गया एक-एक शब्द सच है। इन्होंने जो कहा है वह सच्चाई है। Why are you standing? What you know about it? Are you speaking on behalf of Central Government?

26.02.2016/1155/SLS-AG-2

श्री रविन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय जय राम ठाकुर जी बड़ा स्पैस्फिक प्रश्न पूछ रह हैं। मैं भी उसी के ऊपर माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। मंत्री जी बताएं कि जो यह मनरेगा की स्कीम है क्या यह डिमांड ड्रिवन है? नंबर दो, जो चीजें एम.आई.एस. में डालने के लिए है वह सारी-की-सारी डाल दी हैं या नहीं डाली है।

अध्यक्ष : यह सारी बात हो चुकी है।

श्री रविन्द्र सिंह : नंबर 3 मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके पास कितने यू.सी. पैंडिंग हैं जो आपने अभी तक भारत सरकार को सबमिट नहीं किए?

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : अध्यक्ष जी, जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं,

यह डिमांड ड्रिवन स्कीम है। मैंने कहा कि तीन महीनों तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव रहे। मैंने आपको उसके आंकड़े भी दिए। (व्यवधान)एम.आई.एस. की अपलोडिंग एक निरंतर प्रक्रिया है। जो हमारी 46 करोड़ रुपये की डिमांड बन रही है वह तभी है जब हम एम.आई.एस. में अपलोड कर रहे हैं। एम.आई.एस. में अपलोडिंग लगातार होती रहती है और उसी के हिसाब से डिमांड बनती रहती है। जो दूसरी बात आपने कही, यह शुक्र की बात है कि तीन महीनों तक पंचायतों के चुनाव थे। इन चुनावों की वजह से... (व्यवधान)... बात सुनिए। जब सभी लोग पंचायत के चुनावों में व्यस्त थे... (व्यवधान)... जब डिमांड आएगी तभी तो ...(व्यवधान)...

Speaker: Next Question. Please. No, no. Not allowed (Shri Ravinder Singh). Please. This is wrong thing.

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री : बात सुनिए। ...(व्यवधान)...हम चिट्ठी की प्रतिलिपि को सदन में रख रहे हैं। मैंने भी पत्र लिखा है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी लिखा है। दूसरी बात, आपने कहा कि ...(व्यवधान)... जो 211 करोड़ रुपये भारत सरकार ने मंजूर किए हैं वह यू.सी. के बेसिज पर ही हुए हैं। यह यू.सी. भारत सरकार को भेजी गई हैं। (व्यवधान)हमने जब इस बात को रखा था ...(व्यवधान)... अभी के नहीं लेकिन पहले के 211 करोड़ रुपये ...(व्यवधान)...कौन सी?

26.02.2016/1155/SLS-AG-3

Speaker: Question Hour is over. Please sit down.

जारी ..गर्ग

26/02/2016/1200/RG/AS/1

कागज़ात सभा पटल पर रखे जाएंगे

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित कागज़ात सभा पटल पर रखता हूं :-

i. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस (फस्ट अमेंडमेंट) रूल्ज़, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या: का0(नि0-4)-ए(3) 1/2012-II दिनांक 11.01.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 12.01.2016 को प्रकाशित;

ii. सोसाईटीज़ पंजीकरण अधिनियम-XVI, 1860 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद् का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12(विलम्ब के कारणों सहित);

iii. सोसाईटीज़ पंजीकरण अधिनियम-XVI, 1860 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद् का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2012-13(विलम्ब के कारणों सहित); और

iv. सोसाईटीज़ पंजीकरण अधिनियम-XVI, 1860 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद् का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14(विलम्ब के कारणों सहित) ।

अध्यक्ष : अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री जी कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 395 के अन्तर्गत सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2014-15 की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

26/02/2016/1200/RG/AS/2

अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2015-2016 का प्रस्तुतीकरण

अध्यक्ष : अब अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2015-16 का प्रस्तुतीकरण होगा और उसके तुरन्त बाद विपक्ष की ओर से दिए गए नियम-130 पर चर्चा होगी।
अब माननीय मुख्य मंत्री जी अनुपूरक बजट (प्रथम एवं अन्तिम किस्त) वित्तीय वर्ष 2015-16 सदन में प्रस्तुत करेंगे।

Respected Speaker Sir,

With your permission, I rise to present the first and final batch of the Supplementary Demands for the year 2015-2016.

2. These Supplementary Demands for Grants aggregate to Rs. 2102 crore 27 lakh. Out of this, Rs. 1270 crore 40 lakh is under Non- Plan Schemes, Rs. 352 crore 10 lakh under the Plan and Rs. 479 crore 77 lakh under the Centrally Sponsored Schemes.

3. Under the Non-Plan Expenditure; mainly, a sum of Rs. 527 crore 57 lakh for Subsidy to H.P.S.E.B. on account of tariff roll back and payment to SJVNL on account of generation tariff, Rs. 157 Crore 86 lakh for payment of interest on loans taken by State Government, Rs. 125 crore 79 lakh for repayment of loans, Rs. 60 crore 19 lakh for Police and its allied organization, Rs. 46 crore 94 lakh for payment of compensation for construction of roads, Rs. 23 crore 74 lakh for energy charges of various Water Supply schemes, Rs. 14 crore 55 lakh for Elections of ULBs and PRIs; and Rs. 12 crore 63 lakh has been kept for Urban Development.

4. Major expenditure proposed under the Plan Schemes are: Rs.124 crore 06 lakh for Mid Day Meal, Grant to PTA etc., Rs. 117 crore 19 lakh for construction of various roads, buildings and bridges, Rs. 28 crore 02 lakh

for construction of buildings of new Medical Colleges and DDU Hospital, Rs. 27 crore 87 lakh for expenditure on MLA Development Fund, Rs. 16 crore 10 lakh under Scheduled Caste Sub-Plan for execution of developmental works in various Departments, Rs. 10 crore 01 lakh for Judicial Academy etc.

Continued in English by AS

26/02/2016/1205/MS/AS/1

5. Under different Centrally Sponsored Schemes, most of it is for funding ongoing or new schemes for which money has been received during the year from the Government of India. Prominent among these are, Rs. 69 crore 44 lakh for National Health Mission, Rs. 47 crore 09 lakh for Sarv Shiksha Abhiyaan, Rs.34 crore 50 lakh for JNNURM, 31 crore 80 lakh for expenditure on repair of damaged water supply schemes, Rs. 25 crore 08 lakh for purchase of Agriculture inputs, Rs. 20 crore 11 lakh for Indira Aawas Yojna, Rs. 21 crore 53 lakh for construction of buildings of Medical Colleges, Rs. 11 crore 06 lakh for Special Nutrition Programme for SCs & STs, 10 crore 67 lakh for expenditure on Degree Colleges, 6 crore and 57 lakh for Swachh Bharat Mission are proposed.

6. Speaker Sir, I have given a broad outline of some of the important Supplementaries. Complete details are given in the document presented in this august House.

7. With these words, I request this august House to pass these Supplementary Demands for Grants.

"Jai Hindi"

"Jai Himachal"

26/02/2016/1205/MS/AS/2

अध्यक्षः अब नियम 130 के अंतर्गत प्रस्ताव होगा। अब डॉ0 राजीव बिन्दल जी नियम 130 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। इस विषय में नियम 67 के अंतर्गत माननीय सदस्यों सर्वश्री सुरेश भारद्वाज, जय राम ठाकुर, गुलाब सिंह ठाकुर, और श्री वीरेन्द्र कंवर जी की तरफ से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसमें नियम 130 के अंतर्गत श्री अनिरूद्ध सिंह जी की तरफ से भी नोटिस आया है। इसके अलावा श्री कुलदीप कुमार जी ने भी प्रश्नों के माध्यम से सूचना मांगी है जोकि तारांकित प्रश्न संख्याः 2616, दिनांक 29-2-2016 को प्रश्नोत्तर हेतु निर्धारित है। यदि वे चाहें तो चर्चा में भाग ले सकते हैं।
अब मैं माननीय सदस्य डॉ0 राजीव बिन्दल जी से चाहूंगा कि वे अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति श्री सुरेश भारद्वाज जी को आप दे दें। मैं दूसरे नम्बर पर बोल लूंगा क्योंकि इससे इनका विधान सभा क्षेत्र ज्यादा प्रभावित है।

अध्यक्षः नियम 130 के अंतर्गत जिसका प्रस्ताव होता है, वही प्रस्तुत करता है।

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष महोदय, दोनों का प्रस्ताव एक ही समय पर है। दोनों ने 9 बजकर 18 मिनट पर नोटिस दिया हुआ है।

अध्यक्षः जिस माननीय सदस्य का नाम पहले नम्बर पर होता है उसके नाम पर प्रस्ताव मूव होता है। You can't change the number. Your name is first and in the rules if five members are giving resolution only first member will speak. It is from your side. और कोई नहीं बोल सकता। -(व्यवधान)-

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, यह तो आपका अधिकार है और ये नियम भी आपने ही बनाए हैं।

Speaker: It is a rule that any resolution given by five members it is deemed to be given by the first member only.

26/02/2016/1205/MS/AS/3

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, दोनों ही माननीय सदस्यों ने एक ही समय पर यानी 9 बजकर 18 मिनट पर नोटिस दिया है। इसलिए सुरेश भारद्वाज जी को इनीशिएट करने दीजिए। यह तो आपके अधिकार क्षेत्र में है।

अध्यक्षः मैं आपको रूल बता रहा हूं कि If five members are giving the same resolution only the first member will move that resolution, if you like I can change that Rule. कौन करेगा? ठीक है मैं सुरेश भारद्वाज जी को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं।

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, नियम 67 के अंतर्गत हमने नोटिस दिया था कि इस सदन की कार्यवाही स्थगित करके आज हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी समस्या दूषित जल और उसके कारण जो उत्पन्न हुई बीमारियां हैं,

जारी श्री जे0के0 द्वारा----------

26.2.2016/1210/जेएस/डीसी/1

श्री सुरेश भारद्वाजः--------जारी----------

उस पर यह सदन सबसे पहले चर्चा करें क्योंकि इस बीमारी के कारण आज सारे देश में ही नहीं विदेश में भी शिमला का नाम जिसे clean of hills के नाम से जाना जाता था आज पीलिया वाली राजधानी के नाम से जाना जाने लगा है। हम तो इसको स्मार्ट सिटी बनाना चाहते थे, लेकिन आपकी सरकार चाहती है कि शिमला न बनें किसी और स्थान पर स्मार्ट सिटी बन जाए, इसलिए फीगर्ज की भी फज़िग की गई। उसमें भी कोई शक नहीं है वह भी स्मार्ट सिटी बनें। वह धर्मशाला बनें या कोई अन्य बनें। उसमें कोई गलती नहीं है लेकिन जो फीगर्ज़ हैं उनको खत्म करके या फज़िग करके न बनें। आप हेराफेरी कर रहे हैं और हेराफेरी करके स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं।

Speaker: Are you addressing me?

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, यहां पर श्री जगजीवन पाल जी हैं जो मुख्य

संसदीय सचिव है। इनको बोलने के लिए पार्लियामैंट्री सेक्रेटरी बनाया है, क्योंकि इनके पास काम तो कोई होता नहीं है। न तो इनके पास पॉवर होती है और न ही कोई काम होता है, इसलिए ये यहां पर इन्ट्रप्शन करेंगे उसके अलावा इन्होंने और क्या करना है?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि आज शिमला पीलिया के नाम से जाना जाने लगा है। शिमला में पानी की सप्लाई अंग्रेजों के टाईम से चली आ रही है। गुम्मा से पानी आता था, च्योट से पानी आता था और चैंठ से पानी आता था। अंग्रेजों ने उस वक्त 25 हजार की आबादी के लिए पानी की व्यवस्था की थी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला बन गई, पहले भी राजधानी थी लेकिन उस वक्त यहां पर इतना ज्यादा विकास नहीं हुआ था। वर्ष 1966 में जब हिमाचल बना और शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी बनी। यहां पर लोग सारे प्रदेश से आने

26.2.2016/1210/जेएस/डीसी/2

लगे, यहां पर बसने लगे यानि एक्स्टैंक्शन होने लगी। वर्ष 1977 से 1980 के बीच में गुम्मा की सप्लाई को बढ़ाया गया। फिर पानी की कमी आई 1980 के दशक में स्थिति यह थी कि लोग बाल्टियां ले करके नलकों के पास खड़े रहते थे और एक-दूसरे से लड़ते थे। वर्ष 1990-91 में अश्वनी खड्ड की योजना प्रारम्भ हो गई थी। माननीय मुख्य मंत्री के समय में अश्वनी खड्ड की स्कीम बनी थी। वर्ष 1991 में जब श्री शांता कुमार जी, मुख्य मंत्री थे तब उस स्कीम का उद्घाटन हुआ था। पानी की सप्लाई कुछ हद तक शिमला को ज्यादा बढ़ गई लेकिन उसके बाद वर्ष 2005 में मल्याणा नामक स्थान पर जो उस अश्वनी खड्ड का वॉटर ट्रीटमैंट प्लांट है जहां से शिमला को पानी सप्लाई होता है उसके 6 किलोमीटर की दूरी पर ही मल्याणा में एक एस0टी0पी0 प्लांट लगया गया है। शिमला सीवरेज की दृष्टि से सात भागों में बांटा हुआ है और उसमें जो नये-नये एरियाज़ मिलते हैं वे उसमें जोड़ दिए जाते हैं। सब स्थानों पर अलग-अलग सीवरेज प्लांट लगाए गए हैं लेकिन अभी भी 30 से 40 प्रतिशत घर ही इस सीवरेज की मेन

लाईन से जुड़े हुए हैं जिनका सीवरेज उन सीवरेज प्लांट में जाता है। बहुत सारे इलाके यहां पर ऐसे हैं जहां पर सीवरेज लाईन ही नहीं है। सरकार की ओर से और कार्पोरेशन की ओर से वहां पर कोई सीवरेज लाईन नहीं लगी हुई है, जिससे लोगों की सीवरेज लाईन जोड़ी जा सकें। बहुत सारे स्थानों पर सीवरेज खुली छोड़ी गई है और जो वहां पर नाले हैं सीवरेज उसमें चला जाता है। कनलोग में एक हमारा शमशान घाट है वहां पर हम लोग कई बार जाते हैं। वहां पर बेम्लोई से नीचे नाला गिरता है वहां पर खड़ा होना भी सम्भव नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सीवरेज उस नाले मे ही मिलती है। वह फिर किसी दूसरे नाले में जाता है और फिर अश्वनी खड्ड में वह पानी चले जाता है। शिमला के बहुत सारे एरियाज सीवरेज लाईन के साथ जुड़े हुए नहीं है। वर्ष 2005 में जो सीवरेज प्लांट एक किलोमीटर की दूरी पर लगाया यानि ऊपर के एरिया में सीवरेज प्लांट लगा दिया और पानी का ट्रीटमैंट प्लांट निचले एरिया में था, इसलिए सारे का सारा गन्दा पानी अश्वनी खड्ड से शिमला के लिए सप्लाई होता है उस पानी में वह गन्दा पानी भी मिल जाता है।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----------

26.02.2016/1215/SS-DC/1

श्री सुरेश भारद्वाज क्रमागतः

इसलिए इससे पहले भी एपेडैमिक के रूप में पीलिया फैला। 2009 में भी हुआ था। 2013 में भी हुआ और अब 2015-16 में भी हो गया। अब यह जो सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट लगा है यहां पर जाने के लिए कोई सड़क नहीं है। इसको ठेकेदार को दे दिया गया। 2013 में इसके टैंडर किये गए और शिमला के 6 ट्रीटमैंट प्लांटस में से 5 ट्रीटमैंट प्लांटस एक ही ठेकेदार को दे दिए और स्लज उठाने का काम किसी दूसरे ठेकेदार के पास है। वे यह करते हैं कि बारिश या बर्फ पड़ेगी तो उसमें यह स्लज बह जायेगा। क्योंकि उस ट्रीटमैंट प्लांट तक सड़क नहीं है इसलिए वे स्लज उठाकर नहीं ले जाते हैं। जब वर्षा होगी या बर्फ गिरेगी तो उससे वह बह जायेगा। इसी वजह से वहां पर स्लज खड़ा रहता है।

उसमें कोई व्यवस्था होती नहीं है। ठेकेदार जब चाहता है वहां जाता है। ट्रीटमैंट प्लांट चले या न चले और वहां से सारा सीवरेज पानी अश्वनी खड्ड में जाता है। जहां से शिमला के लिए पानी उठाया गया है वह उसमें जाकर मिल जाता है। इसी कारण से 2015 में अक्तूबर-नवम्बर में यहां पर पीलिया के केसिज़ आने प्रारम्भ हो गए। लेकिन इंतजार करते रहे कि नवम्बर-दिसम्बर में बारिश होगी या बर्फ गिरेगी तो वह पानी बह जायेगा। पीलिया में यह होता है कि अगर किसी ने आज दूषित पानी पी लिया तो अगले डेढ़ या दो महीने तक पीलिया के केसिज़ उभर कर सामने आ सकते हैं। जब दिसम्बर का महीना आया तो पीलिया के ज्यादा केसिज़ बढ़ने प्रारम्भ हो गए। मीडिया में बात उठी। हम लोगों ने बात उठाई लेकिन तब भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। यही सोचते रहे कि शायद बारिश हो जायेगी या बर्फ गिर जायेगी तो सब साफ हो जायेगा और पीलिया के थोड़े से केसिज़ हैं वे खत्म हो जायेंगे। लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में लोग अपने अंधविश्वासी तरीके से पीलिया को झड़वाने लगे। बहुत सारे लोग पीलिया झाड़ने का काम करते हैं ऐसे लोगों के पास लाइनें लग गईं। लोग हॉस्पिटल में भी जाने शुरू हो गए, तब जाकर कुछ लोग जागे। पहली बार 23 दिसम्बर को डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर जोकि एन0एच0एम0 में हैं उन्होंने म्युनिसिपल कारपोरेशन को लिखा। मीटिंग भी हुई कि यह एलार्मिंग स्थिति बन रही है और पीलिया के केसिज़ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन तब तक न तो आई0पी0एच0 डिपार्टमैंट ने ध्यान दिया और न ही प्लयूशन कंट्रोल बोर्ड ने कोई ध्यान दिया तथा न ही शिमला म्युनिसिपल कारपोरेशन ने ध्यान दिया। क्योंकि शिमला में जो पानी सप्लाई करता है वह सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य

26.02.2016/1215/SS-DC/2

विभाग करता है। ये सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांटस भी सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग मैंटेन करता है। जितनी भी वाटर सप्लाई स्कीमें हैं जैसे गिरी नदी से पानी आता है, गुम्मा से पानी आता है या अश्वनी खड्ड से पानी आता है वह सारा पानी सरकार के सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सप्लाई किया जाता है। उस पानी की टैस्टिंग के लिए इनके पास ढली में टैस्टिंग लैबोरेटरी भी है और वह लैबोरेटरी हमेशा बताती रही कि पानी बिल्कुल साफ है। फिर एक लैबोरेटरी म्युनिसिपल कारपोरेशन के पास है क्योंकि

जब आई0पी0एच0 डिपार्टमैंट म्युनिसिपल कारपोरेशन को पानी सप्लाई करता है तो एम0सी0 उस पानी को सारे शहर में सप्लाई करता है और उसके बदले में पानी के बिल लेता है। आजकल आप पानी पियें या न पियें लेकिन आपको लमसम में बिल आ जायेंगे और आपको बिल पे करना पड़ता है। फिर साथ में एक सीवरेज सैस लगाया हुआ है और वह सैस भी पानी में जोड़ दिया जाता है कि 50 परसैंट सीवरेज सैस देना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा दुर्भाग्य यह है कि इस बार इस म्युनिसिपल कारपोरेशन और आई0पी0एच0 डिपार्टमैंट ने शिमला की जनता को मल-मूत्र/शौच से भरा हुआ पानी पिलाया और उसके बदले में हमसे पैसे भी वसूल किये हैं जोकि एक शर्म की बात है। 23 दिसम्बर को मीटिंग हो गई, इनको जानकारी हो गई कि पीलिया बहुत बढ़ रहा है तब भी इसके बारे में ज्यादा चिन्ता नहीं की गई और आई0पी0एच0 डिपार्टमैंट ने देखा ही नहीं। बहुत बुजुर्ग मंत्री हैं जोकि इस विभाग को देख रही हैं वे स्वयं दिल्ली में अस्पताल में दाखिल थीं, ऐसा हमें बताया गया है अगर वे यहां पर नहीं थीं

जारी श्रीमती के0एस0

26.02.2016/1220/केएस/एजी/1

श्री सुरेश भारद्वाज जारी----

तो मुख्य मंत्री जी यहां पर थे। मुख्य मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाई गई और मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि नहीं यह तो मीडिया के द्वारा बात फैलाई जा रही है, इतनी ज्यादा समस्या यहां पर नहीं है और पीलिया बढ़ता रहा। 29 दिसम्बर को शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मीटिंग हुई। उसमें यह मुद्दा उठा उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक कमेटी बनाई गई वह वहां पर STP पर चैकिंग करने गई । उसके बाद 02 जनवरी, 2016 को अश्वनी खड्ड से जो पानी शिमला के लिए आता है, उसको बन्द किया गया। लेकिन क्योंकि लोग उस पानी को पी चुके थे, मल-मूत्र से भरा पानी था। आज दूसरी जगह से शिमला को पानी दिया जा रहा है और इस पानी और पहले दिए जा रहे पानी में दिन-रात का अंतर है। सारा का सारा शौच भरा पानी बिना ट्रीट किए खड्ड में डाल

दिया जाता था और फिर उसको लोगों को पिलाया जाता था। जिनमें हिमाचल प्रदेश सरकार के सारे अधिकारी/कर्मचारी सम्मिलित हैं क्योंकि अधिकांश उसी एरिया में रहते हैं। कुसुम्पटी माननीय विधायक श्री अनिरुद्ध सिंह जी का चुनाव क्षेत्र है, उसमें ये सारे सीवरेज प्लांट्स लगे हैं, अश्वनी खड्ड भी वहीं पर है और कुसुम्पटी, पट्योग, विकास नगर का एरिया भी इनके ही चुनाव क्षेत्र में हैं जहां पर ज्यादा लोग पीलिया से ग्रसित हुए हैं। दुर्भाग्य यह है कि हिमाचल प्रदेश सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। इस पानी के कारण स्थिति यह उत्पन्न हो गई है कि आज शिमला में 15 हजार से ज्यादा लोग पीलियाग्रस्त हैं और 20 से ज्यादा

26.02.2016/1220/केएस/एजी/2

लोगों को मृत्यु हो चुकी है। आज भी अखबार में आया है कि कल भी दो लोगों की इससे मृत्यु हो गई।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक नौजवान वकील जिनकी 23 वर्षीय धर्मपत्नी की डिलिवरी होनी थी। उसको पीलिया हो गया और पांच दिन का बच्चा छोड़कर पीलिया के कारण उसकी मृत्यु हो गई। गर्भवती महिलाओं पर इसका असर ज्यादा होता है और पीलिया के कारण ऐसी अनेक महिलाओं की मृत्यु हो गई। हाई कोर्ट के दो वकील जिन्होंने एक्वागार्ड भी लगा रखे हैं, उसका पानी पीते हैं लेकिन पीलिया का वायरस जो है, एक्वागार्ड भी उसमें काम नहीं करता और बहुत सारे स्थानों पर आर.ओ. भी काम नहीं करता क्योंकि पूरे की पूरी सोलिड गन्दगी पानी में मिला दी गई है। वह पानी के साथ आएगी तो एक्वागार्ड की कैंडल एक ही दिन में खत्म हो जाती है। इस तरह की स्थिति यहां पर उत्पन्न हो गई। पानी जो आई.पी.एच. डिपार्टमैंट दे रहा है, उसका पैसा वह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से लेता है या नहीं लेता है, यह हमें मालूम नहीं लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले हमसे पैसा वसूल करते हैं, सीवरेज़ सैस वसूल करते हैं और हमको गन्दा पानी पिलाते हैं इसके लिए इन दोनों के खिलाफ क्रिमिनल नैग्लिजैंस

का केस रजिस्टर होना चाहिए और सभी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। एक एस.आई.टी. बनाई गई मैं उसके कारणों पर नहीं जाऊंगा कि क्यों बनाई गई, क्यों यह पानी बंद हुआ क्योंकि फिर वह व्यक्तिगत मामले हो जाएंगें लेकिन वह बनाई गई उसने इन्वैस्टिगेट किया है कि दोनों लेबोरेटरीज़ चाहे वह आई.पी.एच. की हो या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की थी, दोनों लैबोरेटरीज़ इस टैस्ट को कर ही

26.02.2016/1220/केएस/एजी/3

नहीं सकती और वह हर बार बताते हैं कि यह बहुत अच्छा टैस्ट है। 29 दिसम्बर को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में यह मुद्दा उठा वहां पर भी जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो सी.एच.ओ. थे उन्होंने खड़े हो कर कहा कि हमारा सैम्पल बिल्कुल साफ है, बिल्कुल अच्छा सैम्पल है लेकिन उसके बाद केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने एक आई.सी.डी.सी. जो उनकी केन्द्रीय एजैंसी है, उसको इसकी इन्वैस्टिगेशन का काम दिया, उसको इसके लिए पैसा भी दिया। उन्होंने इसकी पूरी इन्वैस्टिगेशन की जिसकी रिपोर्ट भी हिमाचल प्रदेश सरकार को प्राप्त हो गई है और उसमें साफ लिखा है कि ये लेबोरेटरीज़ जो हैं ये हेपेटाइटिस- ए व ई तथा इस प्रकार के टैस्ट करने के लिए कम्पीटैंट ही नहीं है और कंटेमिनेटिड वाटर जो स्वच्छ वाटर में मिला हुआ था जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है,उसको टैस्ट के लिए दे दिया जाए। शिमला पुलिस में एफ.आई.आर. दर्ज हुई।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

26.2.2016/1225/av/AG/1

श्री सुरेश भारद्वाज-----जारी

उसमें एस.आई.टी. बनी और सुपरवाईजर, जे.ई., एस.डी.ओ. तथा ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया। मगर क्या यह एक सुपरवाईजर का काम है? यहां इतने वर्षों

से सिवरेज ट्रीटमैंट प्लांट लगे हुए हैं, पानी गंदा आ रहा है तो क्या उसको ठीक करने के लिए केवल जे.ई. या सुपरवाईजर मात्र कम्पीटैंट है? क्या यह उन्हीं की जिम्मेदारी है? हाई कोर्ट के वर्ष 2009 के ऑर्डर के अनुसार आपने बहुत सारे काम करने थे मगर आपने एक भी काम नहीं किया है। उसके लिए जो-जो इनस्ट्रक्शन्ज दी गई थी उसके अनुसार आपने एक भी काम नहीं किया। सड़क आपने नहीं बनाई और आपने कुछ लोगों को गिरफ्तार कर दिया। आपने गिरफ्तार करके बिल्कुल ठीक किया जो लोग नैग्लिजैंट हैं और जो प्रदेश की जनता की कमाई को टैक्स के रूप में पे लेते हैं और काम नहीं करते हैं तथा ठेकेदार या दूसरी एजैंसी के साथ मिलकर शिमला की जनता को गंदा पानी पिलाते रहे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ही चाहिए थी। जो कार्रवाई हुई है वह कम हुई है। मेरा सरकार से निवेदन है कि बड़े लोगों; जिन्होंने काम नहीं किया है या कार्रवाई नहीं की है जिनको काम करना चाहिए था। बड़े अधिकारियों के खिलाफ ऐक्शन होना चाहिए और जांच तो पोलिटिक्ल लोगों के खिलाफ भी होनी चाहिए जिन्होंने कोई ऐक्शन नहीं लिया। आई.पी.एच. मिनिस्टर को अपनी गद्दी पर बैठे रहने का कोई अधिकार नहीं है उनको तुरंत बरखास्त कर दिया जाना चाहिए जिन्होंने यह काम किया है। इसके अतिरिक्त अर्बन डिवैल्पमैंट मिनिस्टर भी अपनी सीट पर रहने के काबिल नहीं है क्योंकि शिमला में पानी देने का काम अर्बन डिवैल्पमैंट डिपार्टमैंट के अंतर्गत आता है। आप स्मार्ट सिटी को इधर-से-उधर करने में तो लगे रहेंगे लेकिन शिमला के लोगों को साफ पानी मिले उसके लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐक्शन केवल मात्र सुपरवाईजर, जे.ई. पर ही नहीं बल्कि सबसे टॉप पर बैठे लोगों / अधिकारियों के खिलाफ भी होना चाहिए। इसमें दूध-का-दूध और पानी-का-पानी होना चाहिए यानि

26.2.2016/1225/av/AG/2

अगर किसी ऑफिसर की गलती है, पॉलिटिक्ल लोगों की गलती है, म्युनिसिपल कार्पोरेशन की गलती है, पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड की गलती है या आई.पी.एच.

डिपार्टमैंट की गलती है; उन सबके खिलाफ इनक्वायरी करने के लिए ज्युडिशियल इनक्वायरी इनस्टिच्यूट की जाए। सबकी जिम्मेदारी फिक्स की जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त भविष्य के लिए सुझाव मांगे जाएं कि पानी की सप्लाई और सिवरेज सिस्टम को किस प्रकार ठीक किया जा सकता है। दूसरे यह ऐपिडैमिक स्थिति में फैल गया और 15000 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ गये तथा इतने लोग मर गये उसके बावजूद इसको बीमारी तक नहीं माना गया महामारी तो दूर की बात है। आपने डिजास्टर मेनेजमैंट सिस्टम बना रखे हैं। यह भी अपने आप में एक डिजास्टर है। उस डिजास्टर के अंदर क्या-क्या कार्रवाई होनी चाहिए थी, वह की जानी चाहिए थी। हॉस्पिटल में जोंडिस के केसिज जाने लगे मगर इसकी कोई दवाई नहीं है और डॉक्टर 'लीवर-52' लिखते हैं। दुर्भाग्य की बात है कि शिमला के प्रीमियर होस्पिटल आई.जी.एम.सी. में लीवर फंक्शनल टैस्ट भी नहीं किये जाते थे। हमारी अपनी सरकारी लैबोरेटरी तो केवल तीन घंटे काम करती है, 21 घंटे के लिए तो आपने प्राइवेट लैब एस.आर.एल. को काम दे रखा है। वह लैब सब चीजों का पैसा लेती है जबकि माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम कोई पैसा नहीं लेंगे और टैस्ट फ्री में करेंगे। वास्तव में टैस्ट एस.आर.एल. में होते थे और गरीब लोगों को सारे-का-सारा पैसा देना पड़ा। आपको पूरे शहर में सर्वे करवाना चाहिए कि इससे कितने लोग इफैक्ट हुए और कितने लोगों को टैस्ट करवाना पड़ा तथा इसमें कितने लोगों का पैसा इनवॉल्व हुआ है। आई.जी.एम.सी. में इसके कोई टैस्ट नहीं हो रहे थे और न कोई ईलाज हो रहा था। जब आदमी लास्ट स्टेज में आ जाता है तो आप उसको पी.जी.आई. भेज देते हैं। पी.जी.आई. में जाकर बहुत सारे मरीजों की पीलिया के कारण मृत्यु हुई है। पी.जी.आई. में जिनकी मृत्यु हुई है उनके डैथ सर्टिफिकेट्स में पी.जी.आई. वालों ने स्पेसिफिकली लिखा है कि डैथ 'हेपेटाइटस-ई' के कारण हुई है और हेपेटाइटस-ई गंदे पानी के कारण पैदा होता है । ऐसी स्थिति में आप कह रहे हैं कि कोई मरा ही नहीं है।

टीसी द्वारा जारी

26.2.2016/1230/TCV/AS/1

नियम-130 के अन्तर्गत चर्चा ------जारी

श्री सुरेश भारद्वाज --- जारी

आपके ऐडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट में बताया कि केवल तीन मौतें हुई हैं। उसके बाद हाईकोर्ट ने नोटिस दिया और आपसे भी सारी रिपोर्ट्स मांगी गई । पी0जी0आई0 के डायरेक्टर को भी उन्होंने नोटिस दिया। दूसरे ही दिन इण्डियन एक्सप्रैस और ट्रिव्यून में उन्होंने 10-10 लोगों के लिस्ट नाम सहित छाप दिए और आप कहते हैं कि यह मृत्यु नहीं हुई । इसके बाद तीसरे दिन ठाकुर कौल सिंह जी एक प्रैस कांफ्रेस में कहते हैं कि 10 लोगों की मृत्यु हुई है और इसमें से 5 लोगों की जोन्टिस से हुई है और 5 लोगों को कोई और भी बीमारी थी जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन यदि जोण्डिस न होता और उन लोगों को कोई और बीमारी थी भी तो वह अगले 5-10 साल जिन्दा रह सकते थे। आपका जोण्डिस आया और तभी उनकी मृत्यु हुई । इसके अलावा जो लोग हॉस्पिटल ही नहीं गए, उनको आप काउंट ही नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। माननीय मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में जो विधायक प्राथमिकता की मीटिंग हुई थी, हमने यह विषय वहां भी उठाया और उन्होंने इसके बारे में आईएण्डपी0एच0 सेक्रेटरी से पूछा भी था। लेकिन कोई सैटिस्फेक्टरी जवाब वहां भी नहीं मिला। लेकिन उसके बावजूद माननीय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि ये तो मिडिया की क्रेशन है, मिडिया ने बढ़ाकर प्रचारित किया है। यह कोई दूसरा अखबार नहीं है जो अपने-आप लिख देगा। ये इनका अपना अखबार है, जो सूर्या के नाम से चलता है।

मुख्य मंत्रीः मैंने कभी नहीं कहा कि यह मिडिया की क्रिएशन है। मैंने कहा कि मिडिया ने इसे बढ़ा-चढ़ा कर लिखा है, जैसे यह हिन्दुस्तान की कोई बर्निंग न्यूज़ है।

श्री सुरेश भारद्वाजः क्रिएशन नहीं कहा लेकिन मिडिया ने प्रचारित कहा। मुझे नहीं पता यह इनका अखबार है, इनका ही व्यक्ति मेरे घर में भी दे जाता है और उसमें यह लिखा हुआ है। माहमारी की शक्ल में जो चीज़ आ जाये उसको आप आर्डिनरी बीमारी भी नहीं समझ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के जो एडिशनल चीफ़

26.2.2016/1230/TCV/AS/2

सेक्रेटरी भी है, वह भी जोण्डिस से इफेक्टिड है। आई0ए0एस0 ऑफिसर एक नहीं तीन-तीन आई0जी0एम0सी0 के कमरा न0 635 में एडमिट है और मैं उनका हाल-चाल पूछने के लिए वहां गया हूं । वे बीमार थे और उनको यहां से पी0जी0आई जाना पड़ा। मैं किसी ऑफिसर का नाम नहीं ले रहा हूं । सचिवालय के 80 प्रतिशत लोग जोडिंस से पीड़ित है, क्योंकि वह सब -के -सब कुसुम्पटी और छोटा शिमला में रहते हैं। इतनी बड़ी त्रासदी हो जाये, इतनी बड़ी महामारी हो जाये और हम इसके बारे में कहे कि यह तो मिडिया द्वारा प्रचारित किया जा रहा है तथा कोई संज्ञान ही न लें। माननीय मुख्य मंत्री किसी कार्यक्रम में जुनगा गए थे और अश्वनी खड्ड रास्ते में ही पड़ती है लेकिन इन्होंने उस समय भी इसको नहीं देखा। (***)-- (व्यवधान)----

Chief Minister: Don't be personal. आप सभ्य भाषा में बात कीजिए। (***)

श्री सुरेश भारद्वाजः मुझे तो उस ओर के लोगों के व्यवहार पर हैरानी होती है कि इतनी बड़ी माहमारी/त्रासदी के लिए भी वह तालियां बजाकर यह कहना चाह रहे हैं कि हम कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि हमने शिमला की जनता को मलमूत्र पीलाकर पीलिया फैला दिया है और बहुत अच्छा काम कर दिया है। इसके लिए तालियां बजा रहे हैं। श्री अनुरूद्ध सिंह जी की कंस्टीच्वंसी में पीलिया सबसे ज्यादा फैला हुआ है। लेकिन यह बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि यह उस तरफ (सत्ता पक्ष) बैठें हैं। मैं जवाब के लिए यह विषय नही उठा रहा हूं । क्योंकि यह सवाल-जवाब और राजनीति का विषय नहीं है। ये आम जनता से जुड़ा हुआ विषय है। इसके ऊपर हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमें इसके लिए मिलजूल करके कोई पॉलिसी तैयार करनी चाहिए। हमें ऐसी पॉलिसी तैयार करनी चाहिए कि जो वहां पर एस0टी0पी0 प्लांट है, वह वहां से उठ जाये। पानी के स्त्रोत के साथ जो आपने सीवरेज का प्लांट बनाया है, वह वहां से उठाया जाना चाहिए। शिमला शहर जो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है इसके लिए और अधिक पैसे का प्रावधान किया जाना चाहिए। जब आप बाकी कामों के लिए

(***)**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया ।**

26.2.2016/1230/TCV/AS/3

प्रावधान कर सकते हैं तो सीवरेज के लिए आप चाहे एशियन बैंक से पैसा लायें, वर्ल्ड बैंक से लायें, केन्द्र सरकार से लायें या हिमाचल प्रदेश सरकार अपने बज़ट से पैसा दें। लेकिन उसके लिए पैसा खर्च करें। जनता जो पटियोग में रहती है-----

श्री आर0के0एस0 द्वारा---- जारी

26.02.2016/1235/RKS/AS/1

नियम- 130 के अंतर्गत चर्चा जारी....

श्री सुरेश भारद्वाज...जारी

जनता पटियोग में रहती है या छोटा शिमला में रहती है वे अनिरूद्ध या सुरेश भारद्वाज की बीच बंटी हुई नहीं है। जनता, जनता होती है वे सब जगह रहती है, हम सब वहां पर रहते हैं। इसलिए यह राजनीति का विषय या सवाल जवाब का विषय नहीं है। मैंने अखबारों में पढ़ा कि इन्होंने तय किया है कि पीलिया में हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अब पीलिया हो गया है तो क्या आप इसमें ट्यूबरक्लोसिज करा देंगे या कैंसर करा देंगे? पत्थर तो वह है जो आप कैंसर करा दो। वह आपका पत्थर का जवाब होगा। इस विषय पर मेरा कहने का मतलब है कि संवेदनशीलता होनी चाहिए। सरकार में संवेदनशीलता नहीं दिखाई दी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह कोमा की स्थिति में है। अगर आप संवेदनशील होते तो आप इसमें तुरंत कार्रवाई करते। परन्तु आपने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। ये तो एक एस.आई.टी. बन गई जिसमें कुछ होने लगा कि हमने एक सुपरवाइजर को अंदर कर दिया, जे.ई. को अंदर कर दिया उसमें यह काम होने लगा है । अध्यक्ष महोदय, कोमा की स्थिति मैं इसलिए भी बोल रहा हूं कि हम हर चीज में आज हम अभयस्त हो गए हैं कि इतनी बड़ी त्रास्दी हो गई, महामारी हो गई, हाई कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ा। कल ही हाई कोर्ट की सी.डब्ल्यू.पी. में जजमेंट आई है। हाई

कोर्ट ने संज्ञान लिया है, उसने सारे रिकॉर्डज मंगवाए हैं। पी.जी.आई. तक से हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड मंगवाया है। सीवरेज प्लांट कैसा होना चाहिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहां होना चाहिए इन सब चीजों के बारे में उन्होंने संज्ञान लिया है। उन्होंने एक और फैसला किया है कि जिन लोगों की मृत्यु हो गई है और जो हम बहुत दिनों से मांग कर रहे हैं उनको कम्पनसेशन दो। अब सेंसटिवीटी नहीं है, वरना यह काम तो सरकार का है। हाई कोर्ट यह काम क्यों हो? हर चीज के लिए हाई कोर्ट ऑर्डर करे और हाई कोर्ट ऑर्डर करती है तो गैलरी में बैठे हुए यह अफसर दौड़ लगाते हैं। अगर विधान सभा करती है, सरकार ऑर्डर

26.02.2016/1235/RKS/AS/2

करती है तो कोई काम नहीं होता। जब हम कहते हैं, लेजिस्लेचर कहती है , अनिरूद्ध सिंह जी कहते हैं कि कम्पनसेशन दो तो नहीं मिलेगा। अगर हाई कोर्ट का ऑर्डर है तो मिलेगा। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि सरकार को सरकार के रूप में काम करना चाहिए न कि उनको हाई कोर्ट के ऑर्डर की इंतजार करनी चाहिए। हर चीज में हाई कोर्ट ऑर्डर करेगी कि शिमला में सीवरेज प्लांट कैसा होना चाहिए, उसके लिए भी हाई कोर्ट जाएंगे। मैं आगे नहीं जाना चाहता कि किस चीज के लिए आप हाई कोर्ट के ऑर्डर लेने के लिए इंतजार करते रहते हैं। अब शिमला में भी आपने नगर निगम बंटा दी है। उन्होंने भी मुख्य मंत्री की तरह बजट पेश करने के लिए जो बैग लेकर आते हैं, उसकी तरह अपना बजट पेश करने के लिए बस्ते बना दिए हैं और दोनों अपने बस्ते दिखाते हैं बाकि शिमला में पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, गंदा मिल रहा है उसकी चिंता नहीं करते। किस प्रकार की व्यवस्था शिमला में चल रही है। जो एजेंसीज है, वह काम नहीं कर रही है। कल बहुत सारे ऑफिसर्ज को हाई कोर्ट ने कंटैम्पट नोटिस जारी किए हैं और यही स्थिति रही तो बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी के ऑर्डर भी कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक्ट करना शुरू करिए। ज्यूडिशरी को ज्यूडिशरी का काम करने देना चाहिए। एग्जेक्टिव को जो काम करना है, लेजिस्लेचर को जो काम करना है

वह स्वयं अपने आप काम करें वे ज्यूडिशरी के ऑर्डर्ज की चिंता न करें और उसके इंतजार में न रहें कि क्या करना है क्या नहीं? इसलिए मेरा निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार जो पीलिया के मामले में असंवेदनशील तरीके से काम कर रही है उसको प्रोपरली सीवरेज सिस्टम को बढ़ाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री इस बार बजट में ज्यादा प्रावधान करें। यह मैं आपको एडवांस में बोल रहा हूं। मैंने प्राथमिकता में भी इसके बारे में निवेदन किया था और अनिरूद्ध सिंह जी ने भी किया था। आप जो इमिडिएट काम कर सकते हैं जो लोग पानी पीने से डर रहे हैं, यहां पर भी डर रहे हैं, आप सारे शहर में स्कूलों, ऑफिसिज इत्यादि में आर. ओ. सिस्टम लगवाइए, जिसके लिए आपको सब्सिडाइजड करना है, सब्सिडाइजड कीजिए। सिविल सप्लाई

26.02.2016/1235/RKS/AS/3

कॉरपोरेशन को दीजिए, किसी ओर को दीजिए पूरे शहर में आप पानी के लिए सब्सिडाइजड करके आर.ओ. सिस्टम यहां पर लगवा दीजिए। आप ज्यूडिशियल इंक्वारी कीजिए , पूरी की पूरी व्यवस्था इसके लिए कीजिए। क्योंकि जो जोंडिश का वायरस है यह आसानी से खत्म नहीं होता है। इसमें आपका एक्वागार्ड काम नहीं करता है। कल जब माननीय महेन्द्र सिंह जी अपने मकान में आये तो वे कह रहे थे कि उनके एक्वागार्ड से कीड़े निकल रहे थे। इसलिए जब तक इन चीजों को ठीक नहीं किया जाएगा, पानी ठीक नहीं मिलेगा, जोंडिस बढ़ता जाएगा

श्री एस.एल.एस. द्वारा जारी.....

26.02.2016/1240/SLS-DC-1

श्री सुरेश भारद्वाज..जारी

और यह बीमारी फैलती रहेगी। खासकर, क्योंकि अभी प्रदेश में सूखे की स्थिति है, इसलिए यह आगे भी बढ़ता रहेगा। बरसात के कारण अगर पानी बहता रहता है तो

उसमें सब-कुछ बह जाता है और इससे साफ पानी मिल सकता है। यह तो आपका इम्यून सिस्टम है जिसके कारण आपको जौंडिस होगा या नहीं होगा, अदरवाईज तो सबने यह पानी पीया है और सबके लिए यह स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस मामले में हम सबको मिल-बैठकर काम करना चाहिए। हम इसमें राजनीतिक रोटियां नहीं सेंकना चाहते; राजनीति नहीं करना चाहता। मेरा अपना मकान छोटा शिमला में है और हम वहीं का पानी पीते हैं। अगर सब लोग इस बीमारी की चपेट में आ जाएं तो यह ठीक बात नहीं है। हमारे बहुत से मित्रों की मृत्यु पीलिया के कारण हुई है। इसलिए अगर हम असंवेदनशील होकर काम करेंगे तो ठीक होगा। अभी हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। अस्पतालों में भी इसके लिए प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। हालांकि अभी तक इसकी कोई सही दवाई नहीं है लेकिन उसके लिए हमें खोजबीन करनी चाहिए और इसके लिए प्रॉपर वार्ड्ज डैडिकेट करके रखने चाहिए। अगर यहां पर पेशैंट का ईलाज नहीं हो सकता तो उसको शीघ्र दूसरी जगह पर भेजा जाना चाहिए ताकि वह व्यक्ति ठीक हो सके। इस जौंडिस को नियंत्रित करने के लिए इसको तुरंत महामारी डिक्लेयर किया जाए, जिनकी मृत्यु हुई है उनको समुचित कंपनसेशन दिया जाए, इसकी ज्यूडिशियल इंक्वायरी बिठाई जाए कि यह कैसे आऊटब्रेक हुआ है और यहां पर सिवरेज सिस्टम को ठीक किया जाए; उसके लिए अधिक पैसे का प्रावधान किया जाए ताकि इस बीमारी को शिमला से दूर किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिंद।

अध्यक्ष : भारद्वाज जी, आप अपना प्रस्ताव भी प्रस्तुत करें।

26.02.2016/1240/SLS-DC-2

श्री सुरेश भारद्वाज : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता

हूं कि प्रदेश में, विशेषकर शिमला, सोलन और सिरमौर में फैले पीलिया की स्थिति पर यह सदन विचार करे।

अध्यक्ष महोदय, अब यह रोग शिमला से सोलन की ओर चला गया है क्योंकि शिमला में अश्विनी खड्ड के पानी की आपूर्ति बंद हो गई है लेकिन सोलन को अश्विनी खड्ड का ही पानी जाता है।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि प्रदेश में, विशेषकर शिमला, सोलन और सिरमौर में फैले पीलिया की स्थिति पर यह सदन विचार करे।

मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से बहुत सारे मैंबर्ज़ ने बोलने की इच्छा प्रकट की है। समय की कमी है। मैं समझता हूं कि आप इसमें अपना समय लें लेकिन ज्यादा न कहें क्योंकि मुख्य विषय भारद्वाज जी ने आपको बता दिया है। इसलिए बार-बार उसी विषय को रिपीट न करें। मैं दोनों पक्षों से निवेदन करूंगा कि इसमें अब अच्छा काम करने के लिए, पीलिया रोग को हटाने के लिए क्या-क्या प्रयास हो सकते हैं, उसी पर विशेष चर्चा कीजिए, एक-दूसरे पर आक्षेप न लगाएं ताकि इस समस्या का हल निकल सके। इस पर बोलने के लिए दोनों पक्षों से सूचनाएं मिली हैं। मैं डॉ० राजीव बिन्दल जी को आमंत्रित करता हूं कि वह अपनी चर्चा में संक्षेप में बोलें। ...(व्यवघान)...

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, जब मैं बोल रहा था, I was on my legs, तो मुख्य मंत्री महोदय ने कोई टिप्पणी की थी। हालांकि वह मैंने अच्छी तरह से सुनी नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसी टिप्पणी रिकॉर्ड में आई है तो उसे निकाल दिया जाए वरन् मामला बढ़ सकता है।

26.02.2016/1240/SLS-DC-3

अध्यक्षः आपके वाली टिप्पणी भी निकाल देंगे और वह भी निकाल देंगे। It is finished now. Such matter from both sides will be expunged.

डॉ० राजीव बिन्दल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी ने नियम-130 के अंतर्गत चर्चा शुरू की है, जिसमें हमने नियम-67 के अंतर्गत नोटिस दिया था जिसे कंवर्ट कर अब आपने नियम-130 के अंतर्गत चर्चा स्वीकृत की है।

जारी ...गर्ग जी

26/02/2016/1245/RG/DC/1

डा. राजीव बिन्दल-----क्रमागत

'पीलिया महामारी', इसके ऊपर मैं अपना विषय रख रहा हूं। आदरणीय भारद्वाज जी ने विषय को बहुत अच्छी प्रकार से प्रस्तुत किया और लगभग सारे विषयों को उन्होंने गहराई से छूआ। सामान्यतः पीलिया के बारे में एक धारणा है कि पीलिया गर्मियों में होता है, बरसात में कच्चा पानी होता है जिसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां फैलती हैं, परन्तु दिसम्बर, जनवरी और फरवरी शिमला की दृष्टि से बेहतरीन मौसम माना जाता है।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, जब उस समय बर्फ पड़ती है, तो बीमारियां लगभग शून्य हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में शिमला, सिरमौर और सोलन में पीलिया का प्रकोप होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। यह क्यों हुआ, इसकी जांच हो गई। बहुत सारे विषय श्री सुरेश भारद्वाज जी ने यहां रख दिए। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हम कम समय में अपनी बात कहें, तो हम उसमें ही अपना विषय यहां रखेंगे। पहली बात तो यह कि पीलिया हुआ और जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा है वह बंद क्यों था? सबने इस बात को मान लिया कि वह प्लांट बंद था और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवर जा रहा था और वह बिना ट्रीटमेंट के ही सीधा-सीधा नाले या नदी में जहां से यह पानी उठाया जाता है, वहां तक पहुंच रहा था। This is not a negligence; this is a criminal negligence और इस बात को जो केन्द्र की टीम आई, उसने अपनी

रिपोर्ट में विस्तार से प्रकाशित किया। एन.सी.डी.सी. की टीम आई उसने यह लिखा। हम जब योजना की बैठक में माननीय मुख्य मंत्री जी से वार्ता कर रहे थे, तो वहां भी इस बात को अधिकारियों ने भी स्वीकार किया और माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी स्वीकार किया कि 2 जनवरी तक वह सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बंद था। दूसरी बात यह कि जिन घरों के कनैक्शन्ज सीवर के साथ नहीं जुड़े हुए हैं और उनका मल सीधा-सीधा पहाड़ी पर नाले या खड्ड में जा रहा है, उसके प्रति किस प्रकार का रवैया निगम या सरकार का रहा, उसको समय रहते चैक क्यों नहीं किया? यह एक महत्वपूर्ण विषय है। तीसरा यह कि जो स्लज, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की थी वह स्लज वहीं क्यों पड़ी रही, वह स्लज वहां से रिमूव क्यों नहीं की गई? वह इनफैक्शन का कारण बनी, तो स्लज उठाने का काम किसका था और उसके ऊपर सरकार ने लीपापोती क्यों की? विभाग ने कहा

26/02/2016/1245/RG/DC/2

कि हमने लोगों की पीठ के ऊपर स्लज को उठाया। तो कितनी स्लज उठाई, कहां फेंकी, किसने उठाई और उसके लिए कितना पैसा दिया? आज तक इस बात की जानकारी नहीं आई अर्थात कहीं-न-कहीं मामले को दबाने का प्रयास किया गया। फिर मामला ध्यान में आ गया कि पीलिया फैलने लग गया है, मीडिया में जबरदस्त रिपोर्ट्स आने लगीं। मीडिया में रिपार्ट्स आ गईं और बहुत सारे समाचार-पत्रों की कम-से-कम 60-70 कटिंग तो मेरे पास भी हैं। यह तो मीडिया ने जाग्रत किया, सरकार को तो नहीं पता था कि पीलिया फैल रहा है। जिसके घर में पीलिया का मरीज था वह यह सोच रहा था कि मुझे पीलिया है, पड़ोसी को पीलिया है, उसको पीलिया है, उन्होंने सोचा कि पीलिया हो गया होगा, किसी कारण से हो गया होगा। जब एक बार यह जानकारी आ गई कि पीलिया महामारी का रूप धारण कर चुका है, तो सरकार ने उस पर इमीडियेट ऐक्शन क्यों नहीं लिया, विभागों में तालमेल की कमी क्यों रही?

एम.एस. द्वारा जारी

26/02/2016/1250/MS/AG/1

डॉ0 राजीव बिन्दल जारी-------

उपाध्यक्ष महोदय, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। केवल और केवल यह बात कहना कि जिन लोगों ने यह गड़बड़ की है उनको अन्दर कर दिया या बाहर कर दिया परन्तु हमने क्या एक्शन लिया? जिस दिन हम प्लानिंग की मीटिंग में थे उस दिन भी यह चर्चा आई कि यह सैल्फ लिमिटिंग डिजीज है। जब वर्षा आएगी और बर्फ पड़ेगी उसके बाद पानी धुल जाएगा और शिमला का पानी सोलन की तरफ को चला जाएगा तथा उसके बाद बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी। परन्तु जिसको पानी से इन्फैक्शन हो चुका है, जिसके लीवर में वायरस जा चुका है वह भी क्या सैल्फ लिमिटिंग है क्योंकि सरकार को तो कुछ नहीं करना है। मुझे याद आ गया जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो वर्ष 1919 के प्लेग की पूरी डिस्क्रिप्शन हमें पढ़ाई गई । भारत में जब प्लेग फैला था विशेष तौर पर उत्तरी भारत में, उस समय हर गांव में सैंकड़ों लोग लगातार मर रहे थे और गांव-के-गांव खाली हो रहे थे। उस समय सरकार नाम की चीज नहीं थी। लोग हाथ-पर-हाथ धरकर बैठ गए थे कि राम भरोसे काम है। तो राम भरोसे मेरा प्रदेश भी सरकार ने छोड़ दिया कि पीलिया हो रहा है और यह सैल्फ लिमिटिंग डिजीज है यानी अपने आप ठीक हो जाएगा। हमारे पास न तो दवाई है और न ही ईलाज है। बाकि हमने अब वहां से पानी उठाना बंद कर दिया है। लेकिन नहीं। वास्तविकता में इसमें बहुत कुछ किया जाना चाहिए था या किया जा सकता था जो सरकार ने नहीं किया। सरकार और कारपोरेशन इसके लिए ज्वाइंटली पूरी तरह से दोषी हैं। वह इसलिए क्योंकि जब एक बार पीलिया नोटिस में आ गया तो कितनी स्ट्राँगली हमने इस बात की जानकारी लोगों को दीं कि आप आज के बाद किसी भी सूरत में सामान्य पानी को नहीं पीएंगे। इसकी बाध्यता किसने तय की? हमने कितने घरों के अंदर स्वच्छ पानी सप्लाई करने के लिए विशेष व्यवस्था की? क्या हमने सही प्रकार के पानी की व्यवस्था की? उपाध्यक्ष जी, और तो और इतना सबकुछ होने के बाद सरकार की किसी भी टीम ने आज तक घरों में जाकर सर्वे नहीं किया कि कितने घरों में कितने लोगों को पीलिया हुआ है। मैं आज भी कहना चाहता हूं कि

अगर आज भी आप शिमला, सोलन और सिरमौर इन तीनों जिलों के अंदर इसका सर्वे करवाएंगे तो स्थिति बिल्कुल भिन्न हमारे सामने निकलकर आएगी क्योंकि सामान्य समाज में यह धारणा है कि पीलिए की दवाई नहीं है इसलिए लोग झाड़-फूंक करने वालों के पास जाकर ईलाज करवा रहे हैं। कोई गन्ने का रस ढूंढ रहा है, कोई कुछ ढूंढ रहा है। लोग केवल इसी काम में लगे हैं। इसलिए हमारे पास वास्तविक रिपोर्ट नहीं है। माननीय उपाध्यक्ष जी, अभी जैसे भारद्वाज जी ने कहा कि अगर उच्च न्यायालय कहेगा तब हम जागेगे? तब हम कुछ करेंगे? अगर उच्च न्यायालय कुछ नहीं कहेगा तो हम कुछ नहीं करेंगे? यानी अगर हम थोड़ा-बहुत कुछ करेंगे तो मीडिया के डर के मारे करेंगे बाकि हम कुछ नहीं करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमने अवैयरनैस के लिए क्या-क्या किया? कितने लोगों को किस प्रकार से अवैयर किया? पानी को 15 से 20 मिनट तक उबालकर पीना है, उसके संबंध में हमने कितनी बाध्यता सुनिश्चित की? अल्टरनेटिव सेफ ड्रिंकिंग वॉटर की हमने कितनी व्यवस्था कितने घरों के अंदर कीं? कहां और कैसे पानी पहुंचाया? मैं आज की बात भी कर रहा हूं कि आज भी हमने क्या ऐसी व्यवस्था की है कि अल्टरनेटिव सेफ ड्रिंकिंग वॉटर हम लोगों को दे रहे हैं? वास्तव में विभागों में तालमेल नहीं है। क्या सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और नगर निगम ने इस बारे वार फुटिंग के ऊपर कोई काम किया? स्थितियां इसी के कारण बिगड़ी और केवल लीपापोती हुई। पानी यहां से निकला अश्वनी खड्ड में गया, अश्वनी से गिरी में गया जिससे सोलन जिला प्रभावित हुआ और फिर सिरमौर जिला भी प्रभावित हुआ। अभी माननीय मंत्री जी जब जवाब देंगी तो सोलन जिला की रिपोर्ट आएगी कि 578 मामले केवल और केवल दर्ज हुए हैं जबकि वास्तव में 2000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। सोलन जिला में जो मृत्यु हुई, तीन डैथ जो गवर्नमैंट रिपोर्ट कर रही है।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

26.2.2016/1255/जेएस/एजी/1
डॉ0 राजीव बिन्दल जारी----

तीनों के बारे में गवर्नमैंट की जो अभी रिपोर्ट आएगी वह यह आएगी कि वे तीनों के तीनों अन्य प्रकार की बीमारी से ग्रस्त थे और पीलिया तो सैकेंडरी रूप में हुआ। मेरा यह कहना है कि अगर वे पहले किसी और बीमारी से ग्रसित थे और पीलिया उसके ऊपर हुआ तो मृत्यु का कारण तो पीलिया ही रहा। आज 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग डायबिटीज़ या हाईपरटैंश्न से पीड़ित हैं परन्तु जो उस समय होने वाली बीमारी है जिसके कारण मृत्यु हुई है तो वही तो कारण है। सोलन के अन्दर वह पानी बन्द कर दिया । कहा गया कि अब सोलन के अन्दर यह पानी नहीं देंगे लेकिन दूसरे पानी की व्यवस्था नहीं की। जो गिरी खड्ड का पानी आ रहा था उसको भी बहुत कम कर दिया। चार-चार दिन पानी के बिना फाका चला हुआ है। अवेयरनैस के संबंध में वहां पर भी बहुत डिले की और मामला बढ़ता-बढ़ता पच्छाद तक जा पहुंचा। पच्छाद और सिरमौर के अन्दर जब गवर्नमैंट की रिपोर्टिंग आएगी वह केवल 52 पेशैंट की आएगी जबकि एक हजार से ज्यादा सिरमौर जिला में पीलिया के मरीज इस समय तक हो चुके हैं। जो ये 52 मरीज बता रहे हैं उसके अन्दर केवल एक ही जगह की पच्छाद की रिपोर्ट थी और मीडिया ने बहुत मेहरबानी की। मीडिया ने उस बारे में रिपोर्ट भी किया। उसके बाद विभाग ने थोड़ा-बहुत जागने की कोशिश की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पच्छाद में बढ़ा पीलिया का प्रकोप। इन्होंने लिखना शुरू किया और उसके बाद विभाग थोड़ा सा जागा लेकिन कितना जागा ? अभी भी अवेयरनैस के संबंध में वहां पर काम नहीं हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष जी, आप हैरान होंगे सिरमौर जिला की 60 परसेंट पेयजल योजनाओं के ट्रीटमैंट प्लांट नहीं चल रहे हैं। आज भी आप सर्वे करवा लें और फिर आपको मालूम होगा कि यही स्थिति है। वहां पर जो ट्रीटमैंट बैडज़ हैं वे काम नहीं कर रहे हैं। जो रिपोर्ट एन0सी0डी0सी0 ने दी है वह बहुत अलार्मिंग है। सरकार के ऊपर जहां पर हाई कोर्ट ने सवालिया निशान लगाया है वहीं इस रिपोर्ट ने बड़ी ऑब्जर्वेशन्ज दी हैं। इन्होंने जो शिमला में सीरम के सैम्पल

26.2.2016/1255/जेएस/एजी/2

इकट्ठा किए और उसके अन्दर सीधा-सीधा हेपेटाइटिस-ई इन्होंने रिपोर्ट किया है। लगभग 100 प्रतिशत सैम्पल्ज़ में से 46 सैम्पल्ज़ इनके सीरम में पॉजिटिव आए। उसके बाद जो वॉटर सैम्पल लिए हैं वह वॉटर सैम्पल भी 100 प्रतिशत सैम्पल में सारे के सारे अनसैटिस्फैक्टरी आए हैं। Post treatment of sewage from final disposal tank, Malyana - unsatisfactory; post treatment of sewage from final disposal tank, Dhalli - unsatisfactory; raw water A.K. - unsatisfactory; post treated water A.K. - unsatisfactory; storage tank, second tank, pumping station - unsatisfactory; household tanks, Kwalag - unsatisfactory; household supply, Kwalag - unsatisfactory; raw water A.K. - unsatisfactory; सारे ही अनसैटिस्फैक्टरी और उसके बाद लिखता है कि Presumptive Coliform Count (PCC) - more than 10 out of 100 ml of water और उसके बाद इसकी जो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ है वह सब-कल्चर यानि इसके बाद इसकी ग्रोथ भी पॉजिटिव है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला केवल पीलिया का नहीं है This is a case of criminal negligence on the part of the Government and on the part of the Corporation. और यह कोई सामान्य मृत्यु नहीं है। ये सीधी-सीधी मर्डर के बराबर है। हम किसी को जबरदस्ती ऐसा पानी पिला करके मौत के घाट उतार रहे हैं। उपाध्यक्ष जी, मैं तो अपनी बात बन्द कर दूंगा, परन्तु सरकार अभी भी नहीं मानेंगी, क्योंकि अधिकारियों ने और सरकार ने मिल करके जो रिपोर्ट तैयार की है वह हाई कोर्ट में भी लीपापोती वाली रिपोर्ट दी।

श्री एस.एस. द्वारा जारी--------

26.02.2016/1300/SS-AS/1

डॉ0 राजीव बिंदल क्रमागतः

और हाई कोर्ट को भी इनको फटकार लगानी पड़ी कि तुम रिपोर्ट गलत देकर किसको मिसगाइड कर रहे हो। माननीय उपाध्यक्ष जी, आज आप सदन को भी मिसगाइड कर दोगे परन्तु प्रदेश का हित इससे होने वाला नहीं है। जो नुकसान हो चुका, 20-22 या 25 बेशकीमती जीवन जा चुके हैं, सरकार उनको वापिस नहीं कर सकती। उनके

परिवारो का जो सुख-चैन छीना है उसको वापिस नहीं कर सकती। अगर ये 15 हजार लोग प्रभावित हुए हैं वे साल-साल या दो-दो साल अपनी शारीरिक कमजोरी से रिकूप नहीं कर पायेंगे। लीवर में जो परमानैंट डिसऑर्डर हो जाते हैं उनसे कैसे रिकूप करेंगे? हमने कितने मनडेज़, कितनी एनर्जी और कितने युवाओं के समय को बरबाद किया है, उसके लिए भी हमको चिन्तन करना होगा। मेरा तो इसके अंदर बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि गवर्नमैंट टोटल फेल्योर रही और इसके अंदर आई0पी0एच0 डिपार्टमैंट के मंत्री को तुरन्त इस्तीफा देना चाहिए और अर्बन डिवैल्पमैंट मिनिस्टर को भी इसमें इस्तीफा देना चाहिए तथा कारपोरेशन के चेयरमैन को भी इसके अंदर इस्तीफा देना चाहिए। इनकी मोरल रिस्पोंसिबिलिटी बनती है इसको इन्हें स्वीकार करना चाहिए। यह बिल्कुल दो-टूक शब्दों के अंदर हम कह रहे हैं और भविष्य की योजना सरकार बनायेगी, ऐसा हम मानते हैं। किस प्रकार बनायेगी वह इनको देखना है। सरकार को देखना है। परन्तु सच में हमारे पास सुविधाएं नहीं थीं। आई0जी0एम0सी0 से मरीज पी0जी0आई0 के रैफर हो रहे हैं क्योंकि उनका पीलिया का लेवल बढ़ रहा है। पीलिया का लेवल हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अरे, पी0जी0आई0 के अंदर भी तो वही डॉक्टर बैठे हैं तो आई0जी0एम0सी0 से क्यों मरीज़ पी0जी0आई0 रैफर किये गए? हमको पीलिया को यहीं पर कंट्रोल करना चाहिए था, वहां पर जाकर भी मरीज़ कोमा में गए क्योंकि पीलिया का लेवल बढ़ता चला गया।

Deputy Speaker: Please wind up.

डॉ0 राजीव बिंदलः माननीय उपाध्यक्ष जी, हम हर फ्रंट के ऊपर इसमें फेल हुए हैं। पहले दिन से बीमारी की जैसे ही आहट हुई, उसी समय हमारे को उस पर जबरदस्त अटैक करना चाहिए था। प्रिवैंटिव भी करना चाहिए था, क्योरेटिव भी करना चाहिए था और आने वाले समय के लिए भी तैयार होना चाहिए था। हम हर मामले में इसमें फेल हुए हैं। इतना कहकर मैं यह बोलना चाहूंगा कि हम बिल्कुल

26.02.2016/1300/SS-AS/2

अपनी बात को प्रैस करते हैं कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं they should immediately resign. उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

Deputy Speaker: House is adjourned for lunch till 2:00 pm.

26.02.2016/1405/केएस/डीसी/1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजन के उपरांत अपराह्न 2.05 बजे पुनः आरम्भ हुई)

अध्यक्षः नियम 130 की चर्चा को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए मुझे सदन के सभी माननीय सदस्यों से सहमति लेनी है कि क्या सभी बोलने वालों को बोलने दिया जाए या आज शुक्रवार है और सभी ने अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों को भी जाना है तो यदि दो सदस्य पक्ष से बोलें और विपक्ष के नेता श्री धूमल जी बोलें और उसका जवाब मंत्री जी दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा । आप सभी चाहें तो इस तरह से एडजस्टमैंट की जा सकती है और यदि सभी ने बोलना है तो मेरा निवेदन है कि पांच मिनट से ज्यादा न बोलें क्योंकि अभी 10 सदस्य और बोलने वाले हैं और अगर ज्यादा समय लगाएंगें तो दो-तीन घंटे लग जाएंगें। वैसे आपकी जैसी इच्छा है आप बताएं।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष जी, अभी तो लंच के बाद शुरू ही हुआ है। तीन घंटे तो नॉर्मल टाईम ही हमारे पास है । जिन्होंने नोटिस दिया है, उनको बोलने दें । बाद में हम भी थोड़े-बहुत सुझाव देंगें।

अध्यक्षः मैं यही कह रहा हूं कि सब बोल सकते हैं जिन्होंने नाम दिया है लेकिन यह है कि अगर समय से ज्यादा बोलेंगें तो मैं अलाऊ नहीं करूंगा। उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग नहीं करुंगा । अभी 9 लोग बोलने को हैं और मंत्री जी ने भी जवाब देना है।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

26.2.2016/1410/av/dc/1

अध्यक्ष :-----जारी

पांच बजे तक हमारे पास तीन घंटे हैं। तीन घंटे में 180 मिनट्स होते हैं। यदि आधा घंटा

मंत्री जी के जवाब के लिए रख दें तो ढाई घंटे के हिसाब से आपके हिस्से में 10-10 मिनट आयेंगे। अब श्री कुलदीप कुमार जी बोलेंगे।

श्री कुलदीप कुमार : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम-130 के अंतर्गत बोलने के लिए समय दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मामला बहुत ही गम्भीर है और यहां पर सभी माननीय सदस्यों ने इसे गम्भीरता से लिया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी इस विषय को गम्भीरता से लिया है। हमारे माननीय सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज जो कि यहां स्थानीय विधायक है इन्होंने भी इस विषय को बड़ी गम्भीरता से उठाया। आपने भी इसकी गम्भीरता को देखते हुए इस बारे में चर्चा करने की इज़ाजत दी। इससे यह साफ जाहिर होता है कि यह मामला कितना गम्भीर है। माननीय सदस्य सुरेश भारद्वाज जी बड़े लर्न्ड सदस्य / विधायक है, मैं इनका आदर करता हूं। मामला बहुत गम्भीर है और निःसन्देह इसमें शक की कोई बात नहीं है। इस गम्भीर मसले को उठाते हुए बीच में इन्होंने स्मार्ट सिटी का रोना भी शुरू कर दिया। वह मुझे कुछ ठीक नहीं लगा क्योंकि स्मार्ट सिटी का रोना कुछ और है मगर यहां पर पीलिया की गम्भीरता को डाइल्यूट करने की बात हो गई। जैसे मैंने कहा कि सुरेश भारद्वाज जी बड़े लर्न्ड विधायक हैं मगर मुझे जो तक़लीफ हुई मैं उसको आपके सामने रख रहा हूं। उसके बाद एक और बात हुई (---व्यवधान---) सुन लीजिए, आप तो उछल पड़े। उसके बाद इन्होंने एक और बात कह दी (---व्यवधान---) आप पहले पीलिया को देखो, पीलिया इतना गम्भीर मुद्दा है। बड़ा अफसोस है और आप शिमला के विधायक है। यहां पर माननीय भारद्वाज जी ने एक बात और कह दी कि सचिवालय में जितने

26.2.2016/1410/av/dc/2

इम्प्लॉइज हैं वे लगभग 80 प्रतिशत पीलिया के मरीज बन गये हैं। अब यह पता नहीं कहां से गिनती की गई। ----------

टीसी द्वारा जारी

26.2.2016/1415/TCV/AG/1

नियम-130 के अन्तर्गत चर्चा ------जारी

श्री कुलदीप कुमार --- जारी

हो सकता है कुछ होंगे लेकिन अगर आप इतने सीनियर सदस्य होने के बावजूद 80 परसेंट अधिकारी/कर्मचारी पीलिए के मरीज़ बताएं तो यह इस विषय की गम्भीरता को डॉयल्यूट करनी वाली बात है। यहां पर कई फ़िगर आये। अखबारों में, माननीय मंत्री जी की स्टेट्मैंट में, और आपकी स्टेट्मैंट में आई । कोई कह रहा है, 5 लोग मरे, कोई कह रहा है 10 लोग मरे, कोई कह रहा है 20 लोग मरे । लेकिन यदि पीलिए की बीमारी से एक आदमी भी मरा हो तो वह भी एक गम्भीर बात है। यदि किसी के परिवार का एक भी सदस्य मरता है तो उसके लिए वह बहुत बड़ी हानि होती है। पीलिए से एक आदमी मरे या 20 आदमी मरे, यदि हम इस राजननीति में पड़े रहे तो यह बड़ी गलत बात है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों पर, इन लाशों पर हम राजनीति न करें तो अच्छी बात होगी। माननीय सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज जी ने कहा कि सरकार कौमा में चली गई है। माननीय सदस्य श्री राजीव बिंदल जी वह और आगे बढ़ गए हैं। वे कहते हैं कि माननीय आई0एण्डपी0एच0 और हैल्थ मिनिस्टर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। ये बात श्री राजीव बिंदल जी ने बोली है । You can check it.

Speaker: Kindly don't indulge into arguments.

श्री कुलदीप कुमार: मैं यह कहना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि सरकार कोमा में है। मैं बोलने के लिए तैयार हूं । आप सुनने के लिए तैयार हो। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि बहुत अच्छा होता आप सरकार को इस बीमारी के बारे में कोई सुझाव देते। सरकार ने बहुत अच्छे पग उठाए हैं। मैं ज्यादा इस बारे में चर्चा नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आप कहगें कि इसमें राजनीति हो गई। लेकिन कुछ बातें अवश्य बताना चाहूंगा। सरकार ने जो तुरन्त पग उठाए, वह सराहनीय हैं। माननीय आई0एण्डपी0एच0 मंत्री जी की सहेत ठीक नहीं

थी उसके बावजूद भी जहां से(अश्वसनी खड्ड) शिमला के लिए पानी उठाया गया है वहां पर गई और वहां पर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में जायजा लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय इतना गम्भीर मसला हैं और विपक्ष के माननीय सदस्य इस बारे में गम्भीर नहीं

लग रहे हैं।

श्री आर0के0एस0 ---- द्वारा जारी

26.02.2016/1420/RKS/AS/1

नियम-130 के अंतर्गत चर्चा जारी...

श्री कुलदीप कुमार जारी....

इस इश्यू के ऊपर अखबारों की सुर्खियों के लिए ये बातें हो रही हैं। टोका-टाकी तो आप कर रहे हैं। टोका-टाकी तो आप ही कर रहे हैं

अध्यक्षः माननीय मुख्य मंत्री जी।

Chief Minister: Hon'ble Member, Shri Kuldip Kumarji, you should address to the Speaker.

श्री कुलदीप कुमारः माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय आई.पी.एच. मंत्री जिनकी सेहत खराब होने के बावजूद भी वे अश्वन्नी खड्ड पहुंचे, यह उनकी संजीदगी थी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि सुरेश भारद्वाज जी, हमारे माननीय सदस्य जो शिमला के हैं, यह बताएं कि वे वहां कितनी बार गए। एक बार भी मौके पर नहीं गए। स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस पर कई पग उठाए। वे आई.जी.एम.सी. में गए और सभी मरीजों का इलाज फ्री करने के लिए कहा। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पर तुरन्त कार्रवाई की और सरकार ने इस के ऊपर तुरन्त पग उठाए। जिसके अन्तर्गत जो अश्वन्नी खड्ड से जहां से पानी आता था उसको बंद किया गया। उसके बाद जिन अधिकारियों के ऊपर पुलिस कार्रवाई की , वह तुरन्त की गई। इस तरह की कार्रवाई पहली दफा की गई है, जोकि सरकार के काम की सराहनीय है। जिसमें एक-दो एस.डी.ओ., एक जे.ई. और एक एक्स.ई.एन. सस्पेंड किए गए। उसके बाद एस.ई. जो संबंधित आई.पी.एच. का है उसके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई चली हुई है, डिस्प्लीनरी एक्सन उसके खिलाफ

चल रहा है। इसके अतिरिक्त जो सीवरेज के ठेकेदार है उसके ऊपर भी पुलिस कार्रवाई हुई है। इसके साथ-साथ जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी पुलिस में एफ.आई.आर दर्ज की है। साथ ही सीवरेज के नए ठेके दिए जा रहे हैं क्योंकि पुराने ठेकेदार जिन्होंने इस कार्य में लापरवाही बरती उनके ठेके कैंसल किए गए हैं। इसके साथ ही एक कमेटी बनाई गई है जो ठेकेदार को

26.02.2016/1420/RKS/AS/2

सुझाव देगी और कमेटी के सारे सुझाव को सरकार लागू करेगी। उसके लिए जो पग हैं वे उठाए जाएंगे। इसके साथ-साथ जो क्लोरोनाइजेशन होता था उसके लिए भी तीन ऑटोमेटिक प्लांट लगाए गए हैं ताकि जो क्लोरोनाइजेशन मैन्यूअल होता था उसको भी बंद किया जाए। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो बीमारी है, यह कब से है? माननीय सुरेश भारद्धाज ने खुद बताया कि यह बीमारी वर्ष 2006-07 से है। जब ये सीवरेज प्लांट बना था उसके बाद वर्ष 2007 में भी यह नोटिस में आया, वर्ष 2009 में भी नोटिस में आया जब आपकी सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पांच साल रही तो कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने यह मसला यहां पर उठाया। वर्ष 2013 में भी उठाया और उस वक्त बड़े जोर-शोर से यह मसला उठाया गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप कहते हैं कि सरकार कोमा में हैं क्या आप 5 साल बिलकुल कोमा में थे? उस वक्त आपने क्या पग उठाए? तब पता लगता कि आप उस वक्त कितनी संजीदगी में थे। माननीय रवि जी उस समय आई.पी.एच. मंत्री थे अगर आपने ये पग समय पर उठाए होते तो ये मसला नहीं होता। ऐसी प्रोब्लम आज नहीं होती। मैं ज्यादा न कहते हुए यही कहना चाहता हूं कि मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस बारे में बहुत सराहनीय कार्य किया है। लेकिन मेरी एक अपील है जो प्रदेश में स्कीमें हैं ज्यादातर खड्डों के किनारे हैं उनका भी औचक निरीक्षण होना चाहिए और इसके साथ-साथ उनका टाईमली क्लोरोनाइजेशन होना चाहिए। ताकि कहीं दूसरी जगह ऐसी बीमारी नहीं फैल सकें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद।

श्री एस.एल.एस. द्वारा जारी....

26.02.2016/1425/SLS-AS-1

अध्यक्ष : अब श्री कृष्ण लाल ठाकुर जी चर्चा में भाग लेंगे। आप बड़े संक्षिप्त तरीके से अपनी बात रखें और समय का भी ध्यान रखें।

श्री कृष्ण लाल ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अंतर्गत हमारे माननीय सदस्य भारद्वाज और बिन्दल जी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं भी इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

प्रदेश में क्या स्थिति थी और उसको कैसे हैंडल किया गया है, क्या करना चाहिए था और उसमें क्या फेल्योर रही, यह मेरे वरिष्ठ सदस्यों ने बता दिया है। मैं केवल सुजैस्टिव तरीके क्या हैं और क्या करना चाहिए; शार्ट टर्म प्लॉन और लौंग टर्म प्लॉन क्या होनी चाहिए इसके बारे में बताना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश ही एक ऐसी स्टेट है जिसमें वॉटर सप्लाई, सीवरेज, इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के काम एक ही विभाग हैंडल कर रहा है। बाकी जैसे पंजाब, हरियाणा या दूसरी ऐडज्वाइनिंग स्टेट्स हैं, वहां अर्बन वॉटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड अलग हैं और रूरल वॉटर सप्लाई के लिए अलग विभाग है। इसी तरह फ्लड एंड इरिगेशन भी अलग विभाग हैं। दूसरे राज्यों में तो ट्यूबवैल कार्पोरेशन भी है लेकिन हिमाचल एक छोटी स्टेट है जहां ऐसी कार्पोरेशन की आवश्यकता नहीं है। यहां ट्यूबवैल वैसे ही कम हैं। जहां तक पब्लिक हैल्थ या वॉटर सप्लाई की बात है, इसके लिए यहां पर अलग से एक विभाग बना दिया जाए, अर्बन वॉटर सप्लाई एंड सीवरेज का अलग बोर्ड बन जाए और इरिगेशन तथा फ्लड कंट्रोल का अलग विभाग बने, यह मेरा सुझाव है। मैं मानता हूं कि अभी राज्य की फाईनैंशियल कांस्ट्रेंट्स हैं, इसलिए इसको वक्त लगेगा परंतु इस ओर ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि जो पब्लिक हैल्थ या वॉटर सप्लाई की बात है, यह ह्यूमन लाईफ से संबंधित है और इसमें ज्यादा कंप्रोमाईज नहीं किया जा सकता। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि भविष्य में ऐसा न हो। भविष्य में इससे भी बड़ा ऐपिडैमिक फैल सकता है। नार्मली यह होता है कि जब भी कोई बीमारी फैलती है तो कुछ समय के लिए

हम विजिलैंट होते हैं और उसके बाद फिर वही स्थिति हो जाती है। मेरा एक सुझाव यह है कि पब्लिक हैल्थ

26.02.2016/1425/SLS-AS-2

डिपार्टमैंट को अलग करके इसका एक आर.एंड डी. विंग बनाया जाए। उत्तराखण्ड में पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट का आर.एंड डी. विंग है।

अभी तक यह पता नहीं चला कि जो हैपेटाइटस-ई वायरस है, इसके फैलने के क्या-क्या कारण है। मेनली जो फेकल कंटैमिनेशन है, ह्यूमन ऐक्सक्रेटा है उसकी वजह से यह फैलता है। यह एक बार ह्यूमन बॉडी में आता है और उसके बाद मल्टिप्लाई होता जाता है। इसके ट्रीटमैंट का भी हमें सही पता नहीं है। वैसे आज तक क्लोरिनेशन पूरे विश्व में वॉटर को प्योरिफाई करने का सबसे बड़ा मैथड है जो कौमनली ऐक्सैप्टिड है। लेकिन क्या क्लोरिनेशन से पानी को डिसइंफैक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसका भी पता नहीं है। अगर कर सकते हैं तो कितने पी.पी.एम.डोज इसकी होनी चाहिए, यह रिसर्च की बात है। इसके अलावा जो हमारा सिस्टम है, शिमला में तो आई.पी.एच. के अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई, वह नहीं होनी चाहिए थी यह मैं नहीं कहता, लेकिन इसके लिए जिम्मेवार मुख्यतः म्यूनिसिपल कार्पोरेशन है। लोगों को पानी म्यूनिसिपल कार्पोरेशन ही देती है। वैसे भी जो लेटर ऑन कंटैमिनेशन है या ऑफटर डिस्ट्रिब्यूशन टैंक्स हैं, उनमें कितनी क्लोरिनेशन होनी चाहिए, यह सब डिस्ट्रिब्यूशन एजैंसी का दायित्व बनता है। इसलिए इसमें म्यूनिसिपल कार्पोरेशन का बहुत बड़ा रोल है। सोलन और शिमला दोनों जगह डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को कमेटी या कार्पोरेशन ही हैंडल कर रही हैं। या तो यह काम आई.पी.एच. को दे दिया जाए और अगर ऐसा नहीं करना है तो जो वॉटर सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट या वॉटर ट्रीटमैंट प्लांट्स हैं, दोनों काम कार्पोरेशन्ज को दे दिए जाएं ताकि हम एक ही एजैंसी को रिसपांसिबल ठहरा सकें और इस तरह से रिसपांसिबिलिटी की टॉसिंग न हो। हम इन केसिज में बार-बार रिसपांसिबिलिटी की टॉसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं जबकि इसमें सभी की बराबर की इंवाल्वमैंट है। शिमला की जहां तक बात है, जैसी हमारे पास रिपोर्ट है, लगभग 30-32% सीवरेज थ्रू ट्रीटमैंट प्लांट जा रहा है, बाकी उसकी डिसपोजल

डायरैक्ट नालों में या अश्विनी खड्ड में है। इसके लिए पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और म्यूनिसिपल कार्पोरेशन को ध्यान देना चाहिए था।

जारी ..गर्ग जी

16/02/2016/1430/RG/AS/1

श्री कृष्ण लाल ठाकुर----क्रमागत

कि कैसे इन लोगों पर अभी तक काई फाईन नहीं हुआ। यह सारी बातें बहुत गौर करने की हैं क्योंकि अगर हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ठीक भी चलेगा, अगर human excreta की डायरैक्ट डिसपोजल होगी, तो जितना मर्जी हम वाटर को ट्रीट कर लें, लेकिन जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वह उसके लिए उतना efficient नहीं होता है। हैपेटाइटस ई के लिए यहां उत्तरी भारत में कोई लैब नहीं है, सिर्फ पूना में है। सैन्ट्रल वाइरॉलॉजी की लैब है तो मुझे लगता है कि वैसे भी वहां से 10-12 दिन में रिपोर्ट आती है, तो इसके लिए मेरा यह सुझाव है कि हिमाचल प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार से सहयोग मांगकर यहां एक लैब को ईस्टाबिलिश करने की वायबिलिटी को ऐक्सप्लोर किया जाए। तब इसके लिए लैब यहां खुली सकती है नहीं तो हैपेटाइटस ई है या नहीं, इससे हमारे पास आज जो भी हमारी लैब में टैस्टस आए हैं, तो उसमें जो Bacteriological Tests होते हैं उसमें हैपेटाइटिस ए, बी, सी या डी का कोई भी टैस्ट यहां नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें आगे के लिए भी हम सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। इसलिए इन सब टैस्ट्स के लिए एक अच्छी लैब यहां होना बहुत जरूरी है।

अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑऊटसोर्सिंग हम करते हैं, मुझे लगता है कि जहां human life शामिल है वहां ऑऊटसोर्सिंग नहीं होनी चाहिए। वहां पर जो इंजीनियरिंग विंग का रैगुलर स्टाफ है उसीसे काम लेना चाहिए। मैं मानता हूं कि नई भर्तियां करना बहुत मुश्किल है, तो इसके लिए जैसे हम पब्लिक हैल्थ को अलग कर दें और जितना ऐक्सपर्ट स्टाफ है, पब्लिक हैल्थ को दे दें, बाकी जो दूसरे सिंचाई एवं अन्य साधन हैं, उसके लिए हम ऑऊटसोर्सिंग कर सकते हैं। क्योंकि ऑऊटसोर्सिंग का ठेकेदार जो भी होता है वह कुछ समय के लिए होता है उसके बाद उसकी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है और वह अपने दो-तीन साल निकालकर चला जाता है। इसलिए

उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। इसलिए ऑऊटसोर्सिंग कम-से-कम पब्लिक हैल्थ के लिए न हो। इसके लिए सिर्फ ऐक्सपर्टाइज़ हों। जो हमारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है। वैसे हिमाचल के लिए नई चीज है, तो हमारे यहां इसके लिए स्किल्ड मैनपॉवर भी नहीं है। अगर हमारा पब्लिक हैल्थ का एक अलग डिपार्टमेंट होगा और उसके लिए एक अलग से रिसर्च एण्ड डवलपमेंट विंग होगी, तो यह बहुत अच्छा रहेगा। बाकी हैल्थ डिपार्टमेंट को भी

16/02/2016/1430/RG/AS/2

रिसर्च का शायद अभी तक पूरा पता नहीं है। कभी स्वास्थ्य विभाग की तरफ एक सर्कुलर निकाल दिया जाता है कि पानी को दस मिनट तक उबालें, कभी कहते हैं कि बीस मिनट उबालें और कभी कहते हैं कि तीस मिनट तक पानी को उबालें। मुझे लगता है कि इसके लिए मिलकर जो एक प्रयत्न होना चाहिए, चाहे वह सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, इन सबको मिलकर काम करना चाहिए और एक लैब यहां इस्टाबिलिश करनी चाहिए। यह एक लांग टर्म प्लानिंग में आ जाएगा और शॉर्ट टर्म प्लानिंग में लोगों के अन्दर हमें जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि कैसा पानी हमें पीना चाहिए। उबालकर पानी पीएं।

अध्यक्ष महोदय, सोलन में तो अश्वनी खड्ड का पानी अभी लिफ्ट नहीं किया जा रहा है इसलिए गिरी खड्ड से लिफ्ट कर रहे हैं। अभी बिन्दल जी ने ठीक कहा कि शिमला में अब पर्यटक भी आने से डरते हैं क्योंकि यहां पीलिया फैला हुआ है। हम स्वयं भी मिनरल वाटर पी रहे हैं क्योंकि हमें भी डर है। तो ये सारी बातें हैं इनको देखना चाहिए। सरकार ने अभी तक इस पर जो कुछ किया है वह बहुत कम है और मुझे लगता है कि विभिन्न विभागों में अभी तक आपस में तालमेल नहीं था। इसलिए हम इसके लिए किसी को दोष नहीं देना चाहते, परन्तु सजेस्टिव मयर्ज यहीं है कि आगे के लिए लांग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लानिंग दोनों हो ताकि भविष्य में ऐसी महामारी न फैले और हमारे मानव जीवन की क्षति न हो। धन्यवाद, जय हिन्द।

16/02/2016/1430/RG/AS/3

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य संसदीय सचिव श्री राजेश धर्माणी जी चर्चा में भाग लेंगे।

मुख्य संसदीय सचिव(श्री राजेश धर्माणी) : अध्यक्ष महोदय, नियम-130 के अन्तर्गत आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज और डॉ. राजीव बिन्दल जी ने जो प्रस्ताव चर्चा के लिए यहां लाया है आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया। मैं संक्षिप्त में इस पर अपने विचार यहां रखूंगा। सचमुच में यह एक गंभीर मुद्दा है और इससे काफी नुकसान हिमाचल प्रदेश में कुछ लोगों को हुआ है। लेकिन विभाग ने इस पर तुरन्त कार्रवाई की है। जो दोषी थे उनके ऊपर कार्रवाई की। माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी के ध्यान में जैसे ही यह बात आई, वे वहां सोर्स तक पहुंचीं और इमीडियेटली जो स्टैप्स उठाने चाहिए थे, वे उठाए। लेकिन जो लोग इनफैक्ट हो गए थे और बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने उसको हल्के में लिया और श्री भारद्वाज जी ने यह ठीक कहा कि बहुत सारे लोग तो Quacks के चक्कर में रहे और उन्होंने बजाय अस्पताल में इलाज कराने के अपने स्तर पर ही पीलिया का इलाज करते रहे।

एम.एस. द्वारा जारी

26/02/2016/1435/MS/DC/1

श्री राजेश धर्माणी (मुख्य संसदीय सचिव)जारी-----
गम्भीर मामला होते हुए भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने इसके ऊपर भी राजनीति करने की कोशिश की। भारद्वाज जी बड़े सीनियर लैजिस्लेचर भी हैं और वकील भी हैं। इन्होंने भी इसको बीच-बीच में काफी राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जब आप इस तरफ होते थे और हम उस तरफ होते थे तब भी यह मामला मेरे ख्याल से वर्ष 2009-10 में उठाया गया था क्योंकि उस समय भी पीलिया फैला था। यानी आपके समय में भी पीलिया फैला था और उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और रविन्द्र सिंह जी उस समय आई0पी0एच0 मंत्री थे। आप एक बार भी जहां पर इसका सोर्स है वहां नहीं गए और उस समय -(व्यवधान)- I am not yielding. आप इसके बाद बोल लेना।

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष जी, मेरा नाम लिया जा रहा है इसलिए मैं भी कुछ निवेदन

करना चाहता हूं।

अध्यक्षः आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री रविन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, यहां कुलदीप कुमार जी ने भी और राजेश जी ने भी मेरा नाम इंगित किया है। यह बात सही है कि पिछली भारतीय नता पार्टीकी सरकार के समय यह विभाग मेरे पास रहा। जहां यह ट्रीटमैंट प्लांट है वहां मैंने उस कार्यकाल में छः बार विजिट किया था। मेरे अधिकारी इस बात के साक्षी हैं। अधिकारी लोग मेरे साथ गए थे। उस समय के आपके यहां के जो पार्षद थे वे भी मेरे साथ गए थे। दूसरे, मैं मंत्री जी के बारे में नहीं कहना चाह रहा हूं लेकिन अश्वनी खड्ड पुल से लेकर जहां नीचे ट्रीटमैंट प्लांट लगा है वहां मैं दो बार पैदल चलकर गया हूं। इसलिए बार-बार मेरा नाम इंगित मत कीजिए क्योंकि आपको पूरा पता नहीं है। मैंने विभाग में क्या-क्या काम किए हैं इसका माननीय मुख्य मंत्री महोदय और प्रदेश की जनता को पता है। मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है और आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। हम शिमला छोड़कर कांगड़ा की सैर करने नहीं गए थे। सरकार भी यहीं थी और मंत्री भी यहीं थे और

26/02/2016/1435/MS/DC/2

इस पीलिया के फैलने के समय कोई भी मृत्यु प्रदेश में नहीं हुई। उस समय हमने इसको नियंत्रित किया था। यह बीजेपी की सरकार ने और धूमल जी की सरकार ने करके दिखाया था। इसलिए बार-बार मेरा नाम इंगित मत कीजिए।

श्री राजेश धर्माणीः जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो मेरे वहां घुमारवीं शहर के अंदर पीलिया से एक मृत्यु हुई थी। पीलिए से कई जगह आपके समय में भी मृत्यु हुई है। लेकिन पीलिया सिर्फ शिमला में ही नहीं फैला और आप अगर ट्रीटमैंट प्लांट पर गए तो ठीक है। यह बात हमारी जानकारी में नहीं थी। आप वहां गए होंगे लेकिन आप हमें यह बताएं कि आपने वहां क्या कदम उठाए? अगर आप गए और अगर आपने उस समय कोई कदम उठाए होते तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती।

श्री रविन्द्र सिंहः इतने साल पीलिया इसीलिए कन्ट्रोल में रहा। वर्ष 2009 के बाद वर्ष 2016 में पीलिया फैला है। यानी सात साल तक पीलिया कहीं नहीं फैला। सरकार और मुख्य मंत्री बताए कि माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री महोदया जब पीछे बीमार हुई थी तो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स में क्या बीमारी आई है? हिमाचल प्रदेश की जनता इस बात को जानना चाहती है। (व्यवधान)

श्री राजेश धर्माणीः आप बैठिए। आप झूठ के आधार पर अपनी बात रख रहे हैं। आपको जब बोलने का समय मिलेगा आप तब बोल लीजिएगा।

अध्यक्षः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस चर्चा में बोलने के लिए सभी को समय दिया जा रहा है। इसलिए जो कोई वक्ता बोल रहा है उसके बीच में कोई न बोलें। जब आप लोगों को बोलने का समय मिलेगा उस समय इनकी बात का जवाब दे देना। क्योंकि पर्सनल आर्ग्यूमैंट से समय ज्यादा लगेगा।

श्री राजेश धर्माणीः अगर रविन्द्र सिंह जी उस समय मंत्री नहीं होते तो हम नहीं बोलते। आप पांच साल मंत्री रहे, आप अपनी जिम्मेवारी लो और आप उस समय कुछ नहीं कर पाए। यह सच्चाई है। उन पांच सालों में आपने इसके सोर्स को इम्प्रूव करने के लिए क्या कदम उठाए? उस समय भी कन्टेमिनेटिड सोर्स था आपने उसको इम्प्रूव करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। -(व्यवधान)- अब जब ऐसे केस आए तो हमने उस सोर्स को बंद किया। आप बताएं कि आपने अपने समय में क्या किया?

26/02/2016/1435/MS/DC/3

अध्यक्षः मैं कह रहा हूं कि आपने आपत्ति उठाई है, (व्यवधान)

जारी श्री जे0के0 द्वारा-----

26.2.2016/1440/जेएस/डीसी/1

श्री राजेश धर्माणी (मुख्य संसदीय सचिव):---------**जारी**-------

----(**व्यवधान**)----- आपके टाईम में उठाया था। अब जब ऐसा केस आया तो हमने उस

सोर्स को बन्द किया। आप हमें बताएं कि आपने क्या किया? हमारी सूचना के मुताबिक एक भी कदम आपने वहां पर इसकी इम्प्रूवमैंट के लिए नहीं उठाया। अगर आपने उस समय कोई कदम उठाया होता तो इसको बन्द करना पड़ना था।

----(**व्यवधान**)----- उस टाईम भी पीलिया होता था। ----(**व्यवधान**)----- हम यहां पर इसलिए बोल रहे हैं कि रविन्द्र रवि जी आप आई.पी.एच. मंत्री रहे हैं उस समय आपने कुछ नहीं किया इसलिए हम यहां पर बोल रहे हैं।

अध्यक्षः आप लोग इसको ज्यादा चर्चा का विषय न बनाएं और किसी का नाम न लिया जाए।

श्री राजेश धर्माणी (मुख्य संसदीय सचिव): अध्यक्ष महोदय, ठीक है, मैं इनका नाम नहीं लूंगा। लेकिन यह सच्चाई है ----(**व्यवधान**)----- हम धन्यवादी हैं श्रीमती विद्या स्टोक्स जी के जो वहां पर गईं और इन्होंने कदम उठाए जैसे ही यह मामला इनके ध्यान में लाया गया। जो यह सीवरेज प्लांट का फाईनल ऐफ्ल्युएंट है जहां पर इसको डम्प किया जाता है उसके और जहां पर वॉटर लिफ्ट किया जाता है उसके बीच में डिस्टैंस कम है। एक तो उसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता थी। वैसे तो उसको बन्द किया जाना चाहिए था, अगर आप वहां पर गए थे। दूसरी बात यह थी कि प्रॉपर तरीके से जो ऑप्रेशन था, वह प्रॉपर तरीके से आपने नहीं करवाया था। उसमें कमी आई है और इसमें कोई दो राय नहीं है। ----(**व्यवधान**)-----यही तो हम कह रहे हैं। पांच सालों में उस समय जो हमारे माननीय मंत्री जी थे वे वहां पर 6 बार गए और फिर भी कोई स्टैप नहीं उठाया। आपने एक भी स्टैप नहीं उठाया, इस बात का हमें दुख है। आप तो काफी इफैक्टिव मिनिस्टर थे लेकिन आपने वहां पर कोई स्टैप्स नहीं उठाए। हमें इस बात का दुख है। जिसकी वजह से नुकसान हुआ और बहुत सारे लोगों को अपनी ज़ान से हाथ धोना पड़ा। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि

इसको ज्यादा सैंसेशनल इश्यु न बनाएं। शिमला हमारा एक पर्यटन डैस्टिनेशन है। देश-विदेश से यहां पर पर्यटक आते हैं। जब आप इसको बहुत ज्यादा सैंसेनाईज करते हैं तब हमारी उससे बदनामी होती है। उससे बहुत ज्यादा नुकसान हमारे प्रदेश को सहन करना पड़ता है। यह ठीक है कि जो वहां पर गलती हुई है, जिन लोगों ने गलती की है और जो लोग जिम्मेदार थे उनके ऊपर तुरन्त कार्रवाई की गई है। उसके लिए हम अपनी सरकार को धन्यवाद देते हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कदम उठाए हैं। माननीय मंत्री जी ने भी कदम उठाए हैं हालांकि बाद में इनको थोड़ी-बहुत हैल्थ की प्राब्लम हुई थी जिसकी वजह से ये यहां पर नहीं थीं। माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के ध्यान में जैसे ही यह मामला आया ये आई0जी0एम0सी0 में गईं वहां पर इन्होंने मरीजों का फ्री ट्रीटमैंट का प्रावधान करवाया लेकिन फिर भी कुछ लोगों को नहीं बचाया जा सका। इस बात का जरूर खेद है। आगे ऐसा कोई इश्यू न हो उसके लिए सब जगह हिदायतें दी गई। लेकिन यह बात भी सही है जैसा कि श्री के0एल0 ठाकुर जी ने कहा कि सिर्फ सोर्स की वजह से दिक्कत नहीं है कई बार डिस्ट्रिब्युशन की वजह से भी कन्टेमिनेशन होती है। हमारे ऐरिया में भी एक छोटे से मोहल्ले में पीलिया फैला था लेकिन जब उसको देखा गया तो बीच में जो डिस्ट्रिब्युशन की नाली थी वह लीक कर रही थी। जिस वजह से यह दिक्कत आई। कई जगह यह भी देखा गया जैसे कि नैचुरल वाटर सोर्सिज़ है, बावड़ी है, यहां तक कि हेंडपम्प भी कंटेमिनेशन की वजह से, वहां से भी कई बार लोग प्रदुषित पानी पी जाते हैं। जिसकी वजह से यह दिक्कत आती है। दूसरे, मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना जरूर करूंगा कि जितनी भी स्कीमें हैं और अभी भी कुछेक स्कीमें ऐसी हैं जहां पर वॉटर ट्रीटमैंट प्लांट नहीं है। दूसरे, बहुत सारे सोर्स ऐसे हैं जो कि गर्मियों में सूख जाते हैं या कन्टेंमिनेटिड हैं। जहां पर इम्पयोरिटी ज्यादा है। वहां पर उनको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। वैसे तो बहुत बड़ी-बड़ी स्कीमें बनाई गई हैं लेकिन अभी भी कई स्कीमें ऐसी हैं जो हमने यहां से भारत सरकार को भेजी है। हम आपसे

26.2.2016/1440/जेएस/डीसी/3

अनुरोध करेंगे कि जब से मोदी साहब नीति आयोग के चक्कर में पड़े हैं तब से हमारे बहुत सारे प्रोजैक्ट जो यहां से भेजे गए हैं वे रुके हैं। इस नीति आयोग के चक्कर में भी हमें प्रॉपर फंडिंग नहीं हो रही है। यह भी सच्चाई है। इसको भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आप भी वहां पर हिमाचल प्रदेश का केस लड़ें। हम तो मंत्री जी से भी कहेंगे कि यहां पर हाऊस में ले किया जाए कि कौन-कौन सी स्कीमें पिछले एक साल से दिल्ली में जो नई सरकार बनी है, वहां पर लंबित हैं।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी---------

26.02.2016/1445/SS-AG/1

श्री राजेश धर्माणी, मुख्य संसदीय सचिव क्रमागतः

वे उनको न तो वापिस भेजते हैं और न ही उसके ऊपर आगे कार्रवाई करते हैं। यहां तक कि जो हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लेना है या जाईका का लोन लेना है उसकी भी क्लीयरैंस भारत सरकार नहीं दे रही है। उसमें सुधार करने की ज़रूरत है। आपकी तरफ से उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है। महज भाषण देने से या अखबारों में प्रेस रिलीज देने से उसका समाधान नहीं होगा। उसके लिए वांछित सहयोग देने की दिशा में कदम उठाने पड़ेंगे। इसके अलावा यहां पर बात हुई कि त्याग-पत्र दिए जाएं। मुझसे पहले भी माननीय सदस्यों ने कहा कि आई0पी0एच0 मिनिस्टर त्याग-पत्र दें, यू0डी0 मिनिस्टर त्याग-पत्र दें, हैल्थ मिनिस्टर के बारे में भी बोला था, यह बात सही है। अगर इसके लिए ये जिम्मेवार हैं जो आप राजनैतिक आधार पर बोल रहे हैं तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अभी हरियाणा में, जोकि हमारा नेबरिंग स्टेट है, इतना बड़ा एजिटेशन हुआ जिसमें लगभग 20 लोगों को मार दिया गया तो हरियाणा के मुख्य मंत्री क्यों रिजाइन नहीं दे

रहे? होम मिनिस्टर क्यों नहीं रिजाइन दे रहे? प्रधान मंत्री क्यों नहीं रिजाइन दे रहे? हर चीज़ के लिए अगर पॉलिटिकल हैड जिम्मेवार है तो उनको भी रिजाइन देना चाहिए। आप उनसे भी रिजाइन मांगो। आप वहां पर कॉंसप्रेसी रचते हैं। कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए कॉंसप्रेसी करते है। हुड्डा साहब को बदनाम करने के लिए कॉंसप्रेसी थी। पहले वहां पर उनका त्याग पत्र लो, फिर यहां पर त्याग पत्र की बात करना। यह भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। --(व्यवधान)-- यह आपकी साजिश है। आपने आरक्षण खत्म करने की चक्करों में यह सारा आंदोलन चलाया था ताकि यहां पर इस तरीके का वातावरण बनाया जा सके और इस पर आप लोग मनमानी कर सकें। देशद्रोही वे हैं जो जे0एंड0के0 के अंदर पी0डी0पी0 के सहयोगी हैं। जो पी0डी0पी0 यह बोलती है कि अफजल गुरू शहीद हुए हैं। वहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने वहां पर उनके एलायंस में सरकार बनाई है। जो आपको सुविधाजनक लगता है वही बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी से बड़ा देशभक्ति का कौन-सा संगठन हो सकता है? आप राहुल गांधी के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, जिस परिवार से दो-दो लोग शहीद हुए हैं। देशद्रोही तो आप लोग हैं। देशद्रोही तो आप लोग हैं जो उस

26.02.2016/1445/SS-AG/2

समय फ्रीडम फाइटर के खिलाफ गवाहियां देते थे। आप लोग देशद्रोही हैं जो अब पी0डी0पी0 के साथ मिले हैं। जो उग्रवादियों को संरक्षण दे रहे हैं। जे0एंड0के0 में पी0डी0पी0 के साथ हैं। पंजाब में अकालियों के साथ थे जो उग्रवादियों का समर्थन करते थे। ---(व्यवधान)-- आप लोग दोहरी नीति चलाते हैं। एक तरफ उग्रवादियों का साथ देते हैं और दूसरी तरफ हमारे ऊपर लांछन लगाने की कोशिश करते हैं। आप लोग उग्रवादियों को संरक्षण देते हैं। उग्रवादी संगठनों के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं। मसरत आलम को किसने छोड़ा?

Speaker: Please sit down.

श्री राजेश धर्माणी, मुख्य संसदीय सचिवः आप बताएं कि मसरत आलम को किसने छोड़ा, जिसके ऊपर लगभग 100 लोगों की हत्या करने का आरोप था? वह आपकी

पार्टी ने छोड़ा। आपकी सहयोगी पार्टी ने निर्णय लिया और आपने उसके ऊपर मोहर लगाई। यह आपका निर्णय था। भारत सरकार का निर्णय था। हम आपके ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप देशद्रोहियों को संरक्षण दे रहे हैं। देशद्रोही संगठनों के साथ मिले हुए हैं और आप लोग राहुल गांधी के ऊपर ऊंगली उठाते हैं जिस परिवार में दो-दो शहीद हुए। आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी जी, जिन्होंने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, आप उनके ऊपर लांछन लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए जो इस तरह की बातें करते हैं।

--(व्यवधान)--

Speaker: Please wind up. माननीय सदस्य, आप वाइंड अप कीजिए।

श्री राजेश धर्माणी, मुख्य संसदीय सचिवः ये आप ले गए। हमने तो आपकी बात का जवाब दिया। आप सच्चाई सुनो। आगे इस पर कदम उठाने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारी जगह पर सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांटस हैं वे सही तरीके से ऑपरेट हों और नई टैक्नॉलोजी आई है। खासकर जो छोटे सैप्टिक टैंक लोगों ने बना रखे हैं, छोटे इंस्टीटियूशन्ज़ ने बनाए हैं वहां पर बायो-डायजैस्टर लगाये जाएं क्योंकि डी0आर0डी0ओ0 ने एक रिलाइऐबल टैक्नॉलोजी डिवैल्प की है। उस बायो-डायजैस्टर सिस्टम को इंट्रोडियूस करने की ज़रूरत है। जो अर्बन एरियाज़ से बाहर भी हैं जहां पर एस0टी0पी0 नहीं है वहां पर भी मोनिटरिंग करने के लिए कोई

26.02.2016/1445/SS-AG/3

एजेंसी बनाई जाए, चाहे प्लयूशन कंट्रोल बोर्ड करे या चाहे कोई और एजेंसी करे। आई0पी0एच0 डिपार्टमैंट भी कर सकता है।

जारी श्रीमती के0एस0

26.02.2016/1450/केएस/एजी/1

श्री राजेश धर्माणी, मुख्य संसदीय सचिव क्रमागत---

और उसी तरीके से जो बायोरूट टैक्नोलॉजी है, हमारे ACC बरमाणा की जो रैज़िडैंशियल कॉलोनी है उसका जो ट्रीटमैंट प्लांट है, वह उसी के ऊपर आधारित है और वह भी काफी इफैक्टिव है। तो हम लोग इसकी तरफ कदम उठाएं और जितनी वाटर सप्लाई स्कीम्ज़ हैं, सोर्स लेवल से उनका सही पानी हम उठा सके, अच्छी क्वालिटी का पानी उठा सके, तभी उसको हम अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचा सकेंगें क्योंकि बहुत सी बीमारियां पानी से ही उत्पन्न होती है। बहुत सारे लोग इन बीमारियों का हर वर्ष शिकार होते हैं । इस पर हम चैक लगा सकें, यह बहुत ही जरूरी है। हम धन्यवादी है कि कई जगह पर सरकार ने वाटर ए.टी.एम. भी लगाएं हैं और जो शिमला में पीलिया से ग्रसित क्षेत्र था इसमें भी इस तरह के वाटर ए.टी.एम. लगाए जाएं और बाकी जगह पर भी ऐसा प्रावधान किया जाए। आर.ओ प्लांट्स भी काफी इफैक्टिव है जहां भी इस तरह की ज्यादा कंटेमिनेशन है उस एरिया में वह प्लांट्स भी लगाए जा सकते हैं। विभाग की तरफ से इस सम्बन्ध में जो भी कदम उठाने की जरूरत है, मुझे उम्मीद है कि आपने कदम उठाए भी है और आगे भी उठाएंगें । आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका धन्यवाद।

26.02.2016/1450/केएस/एजी/2

अध्यक्षःअब इस चर्चा में श्री सुरेश कुमार जी भाग लेंगें।

श्री सुरेश कुमारः अध्यक्ष महोदय, नियम, 130 के अन्तर्गत जो प्रस्ताव माननीय विधायक श्री सुरेश भारद्वाज जी और डॉ0 राजीव बिन्दल जी ने इस सदन में लाया है, मैं भी उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अध्यक्ष महोदय, जिला शिमला, सोलन और सिरमौर में जिस प्रकार से पीलिया का प्रकोप बढ़ा है, इसने एक महामारी का रूप धारण कर लिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में इससे लगभग 20 मौतें हो चुकी हैं और अकेले शिमला में ही 10 मौतें हो गई हैं। आज पीलिया मात्र इन तीन जिलों तक ही सीमित नहीं है अपितु पूरे प्रदेश में फैल चुका है और जो आंकड़े यहां पर दर्शाए गए हैं, मेरा मानना है कि यह संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है क्योंकि बहुत से लोग सरकारी हॉस्पिटल में न जा कर झाड़-फूंक और दूसरे लोकल उपचारों में लगे हुए

हैं । सरकार का रवैया इस सम्बन्ध में बहुत ही उदासीन रहा है। मैं माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने इस मामले में कड़ा संज्ञान लिया और उच्च न्यायालय ने भी माना है कि जो स्टेटस रिपोर्ट अधिकारियों ने दी है उसमें सही जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई गई है। कुल मिलाकर पीलिया का प्रकोप आज पूरे प्रदेश में फैला हुआ है। मुझसे पूर्व सभी माननीय सदस्यों ने इस पर गहन चिन्ता व्यक्त की है और जिस प्रकार से शिमला, सोलन और पच्छाद में पीलिया का प्रकोप बढ़ा है, यह चिन्ता का विषय है।

26.02.2016/1450/केएस/एजी/3

अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी पीलिया के कुछ मामले ध्यान में आए हैं। खेद का विषय है कि जिस प्रकार से शिमला और सोलन में पीलिया के मामले आ रहे थे, जिला सिरमौर में स्वास्थ्य विभाग और आई.पी.एच. का विभाग उदासीन था। पहली बार जब पच्छाद में अमर उजाला में 21 फरवरी को खबर छपी- पच्छाद में बढ़ा पीलिया का प्रकोप, क्षेत्र में 20 दिन के अंदर 11 मामले आए और उसके बाद पच्छाद विधान सभा क्षेत्र के ही टिक्कर गांव में, जहां एक ही गांव में पीलिया के लगभग आधा दर्जन मामले आए और खबरों में आया कि टिक्कर में आधा दर्ज लोगों को पीलिया, कुछ झाड़फूंक तो कुछ स्वास्थ्य केन्द्रों में करवा रहे हैं उपचार। इस प्रकार जब मामला अखबारों में आया, उसके बाद ही स्वास्थ्य विभाग जागा। परन्तु आज भी जो स्थिति है, वास्तविक आंकड़े कुछ और ही हैं क्योंकि जब मैंने सी.एम.ओ. सिरमौर से बात की तो उन्होंने जिला सिरमौर में मुझे 48 मामले बताएं जबकि कुल आंकड़ा इससे बहुत ऊपर है। जब पच्छाद विधान सभा क्षेत्र की बात की गई तो सी.एम.ओ. सिरमौर ने 28 मामले बताए।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

26.2.2016/1455/av/as/1

श्री सुरेश कुमार -------क्रमागत

जबकि कुल आंकड़े इससे ऊपर के हैं। पच्छाद विधान सभा क्षेत्र की बात की तो बी.एम.ओ. ने 28 मामले बताए और जब सी.एम.ओ., सिरमौर से बात की तो उन्होंने बताया कि केवलमात्र 21 मामले आए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि विभाग को खुद ही मालूम नहीं कि पीलिया के कुल कितने मामले आए। यह बहुत ही चिन्ता का विषय है। मैं मुख्य मंत्री जी के ध्यान में भी लाना चाहता हूं और मैंने यह प्लानिंग की मीटिंग में भी आपके ध्यान में लाया था। हमारे विधान सभा क्षेत्र में पीलिया का इतना ज्यादा प्रकोप फैल रहा है परंतु आज भी हमारे क्षेत्र में पांच पी.एच.सीज. ऐसी हैं जहां डॉक्टर नहीं है। ये पी.एच.सीज. चलोग, बागथन, कोटी, बदोग और डिम्बर हैं। हमारे सराहां सी.एच.सी. में डॉक्टर नहीं है। नारग में भी एक डॉक्टर की कमी है और जब डॉक्टर ही नहीं होंगे तो लोगों को पीलिया के बारे में किस प्रकार से अवेयर कर सकते हैं। आज स्थिति ऐसी है कि हमारी बहुत सारी पी.एच.सीज. एक क्लास-iv के सहारे चल रही हैं। आज स्कूलों में हैल्थ के प्रति अवेयरनैस लाने के लिए मैडिकल में स्टाफ की कमी है। इसके साथ-साथ पच्छाद विधान सभा क्षेत्र में पीने के पानी की स्कीमों में चाहे लिफ्ट वॉटर सप्लाई स्कीम है या ग्रेविटी की वॉटर सप्लाई स्कीम हैं; उसमें 90 प्रतिशत स्कीम्ज ऐसी हैं जिनमें वॉटर फिल्टर्ज और ट्रीटमैंट प्लांट्स नहीं है। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में आई.पी.एच. के दो सब-डिवीजन है और उसके राजगढ़ सब- डिवीजन में 41 लिफ्ट वॉटर सप्लाई स्कीम्ज हैं और दूसरी 82 स्कीम्ज ग्रेविटी की हैं। ज्यादातर स्कीमों; विशेषकर ग्रेविटी की स्कीमों में खड्डों का पानी सीधे सप्लाई कर दिया जाता है। उसमें किसी भी प्रकार के ट्रीटमैंट की सुविधा नहीं है। लिफ्ट वॉटर सप्लाई स्कीम्ज में भी कुल मिलाकर स्थिति इसी प्रकार की है। इसी प्रकार से सराहां सब-डिवीजन में 24 लिफ्ट वॉटर सप्लाई स्कीम्ज हैं और 174 ग्रेविटी की स्कीम्ज है तथा वहां पर भी कुल मिलाकर स्थिति ऐसी ही है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्लानिंग की

26.2.2016/1455/av/as/2

मीटिंग में निर्देश दिए थे कि जहां पर डॉक्टर नहीं है वहां डॉक्टर के पद शीघ्र भरे जाएं। पिछले दिनों अखबार में भी आया कि जिला सिरमौर को 16 डॉक्टर मिले लेकिन मेरे क्षेत्र में जो 5-6 पी.एच.सीज. हैं उनमें अभी तक एक भी डॉक्टर ने ज्वाईन नहीं किया है। मेरा मुख्य मंत्री महोदय से यही निवेदन रहेगा कि जहां-जहां पर डॉक्टर्ज की कमी है वहां पर शीघ्रातिशीघ्र डॉक्टर्ज के पद भरे जाएं और लोगों को पीलिया के प्रकोप के बारे में जागरुक किया जाए। स्कूलों में बच्चों को पीलिया से बचने के लिए अवेयर किया जाए। साथ-ही-साथ मेरा यह भी कहना है कि प्रदेश में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत शौचालयों का निर्माण करवाया गया। मेरा यह मानना है कि ओपन डैफिकेशन में कुछ कमी आई है। मामला अखबारों में आया, उसके बाद ही स्वास्थ्य विभाग जागा। परंतु पूरे प्रदेश में बाहर से जो लोग मज़दूरी करने आते हैं चाहे उसमें बिहार से आए हुए लोग हैं या दूसरे लोग हैं; आज भी खुले में शौच के लिए जाते हैं। अब वर्षा कम हो रही है, पहले लोग खुले में शौच करते थे मगर अधिक वर्षा होने के कारण गंदगी बह जाती थी। आज वर्षा कम होने के कारण जो ओपन डैफिकेशन होता है वह सारा पानी में जाता है और जब पानी को उठाकर पीने के लिए सप्लाई कर दिया जाता है तो निश्चित रूप से पीलिया या दूसरे जलजनित रोगों में वृद्धि होती है। अभी तो गर्मियां शुरू ही हुई है मगर आने वाले समय में हमारे यहां खड्ड सूख जाती है जिसके कारण यह समस्या और बढ़ जायेगी। जिस तरीके से वॉटर ट्रीटमैंट प्लांट नहीं है और फिल्ट्रेशन की सुविधा नहीं है तो आने वाले समय में स्थिति और ज्यादा गम्भीर हो सकती है---

जारी टी सी द्वारा

26.2.2016/1500/TCV/AS/1
नियम-130 के अन्तर्गत चर्चा ------जारी
श्री सुरेश कुमार --- जारी

मेरा सरकार से यह निवेदन रहेगा कि जिन-जिन स्कीमों में वॉटर फिल्टर नहीं है, वहां शीघ्रातिशीघ्र वॉटर फिल्टर लगाये जाये और जहां आंशिक रूप से चल रहे हैं, वहां उनमें सुधार किया जाये। वॉटर बैड दोबरा बनाये जायें । ताकि लोगों को स्वच्छ पानी मिलें । इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में एक और भी समस्या है। हमारे प्रदेश में चाहे पीने के पानी/नहाने के पानी की बात हो हर यूज के लिए केवल एक ही पानी की स्कीम होती है। उसी से हम पीने के लिए और नहाने के लिए भी यूज़ करते हैं। वहीं पानी हम हर काम के लिए यूज़ में लाते हैं। कुल-मिलाकर सरकार को आने वाले समय के बारे में सोचना चाहिए। कम से कम पीने के पानी के लिए कोई अलग योजना बनाई जानी चाहिए। पीने के लिए शुद्ध पानी को प्रयोग में लाना चाहिए और अन्य कामों के लिए जो ट्रीटिड पानी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मेरा सरकार से यही निवेदन रहेगा कि जिस प्रकार से पीलिए के मामलों में लगातार बढ़ौतरी हो रही है। सरकार इस मामले को गम्भीरता से लें और जो इफैक्टिड लोग हैं, जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उन्हें उचित मुआवज़ा मिले। जिन लोगों का उपचार चल रहा है उन लोगों के लिए सरकार फ्री - टैस्टिंग फैसिलिटी और दवाईयां उपलब्ध करवाएं। पीलिए का प्रकोप और ज्यादा न फैले इसके लिए अधिक से अधिक ट्रीटमैंट और अवेयरनेस के कैंपस स्कूल और दूसरे जगह पर लगाये जाये। आम जनता और स्कूलों में बच्चों को इसके बारे में अवेयर करवाया जाये। इसके अलावा मेरा यह भी निवेदन रहेगा कि जिस प्रकार से पीलिया फैला है, इसके लिए जो भी दोषी के उनके ऊपर कार्रवाई की जाये ताकि आने वाले समय में यह पीलिया और अधिक न फैले । इस प्रकार से जल-जनित रोग ज्यादा न फैले। इसके लिए सरकार अधिक से अधिक ध्यान दें। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद ।

26.2.2016/1500/TCV/AS/2

अध्यक्षः अभी दो मैंबर्ज बोलने को हैं । मैं चाहूंगा कि 5-5 मिनट में बोलें । इसके पश्चात् माननीय धूमल जी बोलेंगे और फिर माननीय मंत्री उसका उत्तर देंगे। मैं संसदीय मुख्य सचिव, श्री इन्द्र दत्त लखनपाल से कहूंगा कि वह 5 मिनट में बोलें।

26.2.2016/1500/TCV/AS/3

संसदीय मुख्य सचिव (इन्द्र दत्त लखनपाल) : धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का समय दिया । नियम-130 के तहत माननीय सदस्य श्री सुरेश भारद्वाज जी ने पीलिए से संबंधित जो मामला सदन में रखा है, मैं भी उसके बारे में चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी यहां पर सदन में इसके ऊपर बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा हुई । इसके संदर्भ में मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान समय में सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वह बहुत अच्छे कदम उठाए हैं । लेकिन आने वाले समय के लिए पीलिया की रोकथाम के लिए एक अलग से सैमिनार बुलाया जाना चाहिए। क्योंकि आम पब्लिक को अवेयर करने की जरूरत है। यह एक गम्भीर समस्या यह है, किसके समय में लगा या किसके समय में नहीं लगा, यह छींटाकसी करने से काम नहीं चलेगा। नगर निगम के दायरे के बाहर, जो अन्य लोगों ने बड़े-बड़े भवन बनाये हैं या इन्स्टीच्यूट बनाये हैं या अन्य शहरों में भी जहां इस प्रकार के ट्रीटमैंट प्लांट लगें हैं और जहां पर नगर निगम का दायरा या टी0सी0पी0 का एक्ट लागू नहीं है, वहां पर लोगों के पास ऐसा कोई ट्रीटमैंट प्लांट भी नहीं है या सीवरेज सिस्टम नहीं है। आज देखने में आ रहा है कि जो लोग बड़े-बड़े होटल, इन्स्टीच्यूट बना रहे हैं और जो सीवरेज सिस्टम से जुड़े नहीं है, वे लोग जब उनके टैंक भर जाते हैं तो उन टैंकों को वह प्राईवेट पार्टी से खाली करवाते हैं। उन टैंकों को डिस्पोज़ल खुले में हो रहा है। ये नालों
/खड्डों के किनारे हो रहा है और जो हमारे पीने के पानी के सोर्सिज़ में मिल रहा है। यह कहना कि इसमें आई0एण्डपी0एच0 विभाग की ही जिम्मेवारी है, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत से कारण है, जिसके ऊपर चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि सदन में इतना समय नहीं है लेकिन इसके बाहर में एक वृहद सेमिनार बुलाया जाना चाहिए। जो आने वाला समय है वह और भी गम्भीर चिंता का समय है,

श्री आर0के0एस0 द्वारा ---जारी

26.02.2016/1505/RKS/DC/1

श्री इन्द्र दत्त लखनपाल(मुख्य संसदीय सचिव) क्रमागत....

क्योंकि आज जो शौचमुक्त का दौर चला हुआ है और सब शौचालय बना रहे हैं वह

अनहाइजिनिक शौचालय है। हम उसमें भारी-भरकम पैसा भी खर्च कर रहे हैं। लेकिन उसका फायदा कुछ नहीं हो रहा है और लोग पीलिया जैसी बीमारी से जूझ रहे हैं। अभी मेरे माननीय साथी विधायक राजेश धर्माणी जी ने कहा कि जो बायोडाइजेस्टिक सीवर प्लांट है उसकी तरफ जाने की जरूरत है। उसमें एक तो पानी का ट्रीटमेंट हो जाता है और जो बहुत सारा पानी व्यर्थ बहता है उससे बचाव होगा, जिसे हम रिसाईकिल करके दोबार से यूज कर सकते हैं। इसकी तरफ भी कदम बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि समय के साथ-साथ सुविधाएं ज्यादा होने पर जो प्रीकॉस्नरी स्टेपस हैं वे हम नहीं उठा पा रहे हैं। जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं उनको भी मैं गंभीरता के साथ कहता हूं कि जो प्राजैक्ट, वर्ल्ड बैंक या नाबार्ड से जहां से भी पैसा आता है जल्दबाजी में सिस्टम को लगाने की कोशिश करते हैं। जिस समय यह शिमला का ट्रीटमेंट प्लांट लगा था, उस समय मैं भी नगर निगम शिमला में पार्षद था और उस वक्त भी इस पर बहुत चर्चा हुई थी। हम तो टैक्नीकल आदमी नहीं थे और जो टैक्नीकल अधिकारी थे उनसे हमारी चर्चा हुई कि जो आप सिस्टम बिछा रहे हैं वह ठीक नहीं हैं। जल्दबाजी में सिस्टम को बिछाया गया। आज भी जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां से वह लाइनज गुजर रही है, बहुत सी लाइनज डिफेक्टिव हैं। बरसात की वजह से वह डिफंगड हो रही है। लोगों की जमीने भी खराब हुई और जो लोगों के पानी के रिसोर्सिज थे वह भी खराब हो गए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी किसी स्कीम का संचालन हो या उसको बिछाया जाए या लगाया जाए उसमें पहले परोपर तरीके से उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग कुछ ओर होती है, धरातल पर कुछ ओर काम होता है। ये बहुत सारी मिलीजुली समस्या है जिनके बारे में गंभीरता से सोचने विचारने की जरूरत है।

26.02.2016/1505/RKS/DC/2

अभी समय की कमी है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि हम सबको मिल बैठकर बजाय इसके ऊपर राजनीति करने के क्योंकि हम सभी की जिम्मेदारी है पक्ष की भी और विपक्ष की भी। सभी जनता के नुमाईंदें हैं। हमारी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी बनती है कि हम

लोगों का अवेयर करें और जहां नगर निगम का दायरा है, वहां के जो वार्ड कौंसलर हैं वे उसमें लोगों की कौंसलिंग करें। जो ग्रामीण स्तर पर चाहे विधायक हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, चाहे पंचायत प्रधान हैं, जितने भी सदस्य है वे आना वाला जो समय है इसके बारे में गंभीरता से सोचे विचारे ताकि आगे को इस प्रकार की समस्या उत्पन्न न हो। तभी हम सही समाज का निर्माण कर पाएंगे। अध्यक्ष जी आपने बोलने का समय दिया आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्षः धन्यवाद जी। अब अनिरूद्ध सिंह जी जो लोकल एम.एल.ए. हैं, जो अफेक्टीड एरिया के भी हैं आप पांच मिनट बोलिए।

श्री अनिरूद्ध सिंहः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे नियम-130 के अंतर्गत प्रदेश में पीलिया से उत्पन्न स्थिति के बारे में बोलने के लिए आज्ञा दी इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। परन्तु साथ ही बोलना चाहूंगा कि नियम-130 के अंतर्गत मैंने भी अपना प्रस्ताव माननीय सैकरेट्री के पास दिया था जिसमें मुझे भी शामिल किया जाना चाहिए था परन्तु नहीं किया गया इसका मुझे बड़ा खेद है। क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा ही अफैक्टिड एरिया है। इसलिए मैं समझता हूं कि मुझे प्रस्ताव में शामिल किया जाए। साथ ही मैं यह भी बोलना चाहूंगा कि शिमला के अंदर 6 एस.टी.पीज. हैं जिसमें से पांच जो हैं कसुम्पट्टी विधान सभा के अंतर्गत आते हैं। अभी पिछले दिनों से लेकर मीडिया के माध्यम से और एक विह्सपर कैंपेन के माध्यम से सिर्फ मल्याणा ट्रीटमेंट प्लांट को उठाया जा रहा है। परन्तु मैं बोलना चाहूंगा कि न केवल मल्याणा ट्रीटमेंट प्लांट बल्कि ढली ट्रीटमेंट प्लांट, गोलच्छा, स्नोडन जो वरमू स्थित गांव में पड़ता है और न्यू शिमला जो बड़ा गांव में स्थित है सभी की

26.02.2016/1505/RKS/DC/3

हालत एक जैसी है। मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है बल्कि यह सत्य है कि जो महामारी

फैली है वह पीलिया के कारण ही फैली है। इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है।

श्री एस.एल.एस. द्वारा जारी...

26.02.2016/1510/SLS-DC-1

श्री अनिरूद्ध सिंह ...जारी

परंतु यह भी सत्य है और यह जानना भी ज़रूरी है कि यह बीमारी कहां से उत्पन्न हुई और इसका इतिहास क्या है। जब हमारे माननीय सी.पी.एस. साहब लखनपाल जी तथा कई अन्य लोग काऊंसलर्ज थे, तब वर्ष 2000 से एस.टी.पी. बनाने की मुहिम चल रही थी और वर्ष 2005 में मल्याणा ट्रीटमैंट प्लांट बनने की तैयारी हुई। परंतु जो पानी की स्कीम अश्विनी खड्ड से आई है, उसके कारण सब लोग आज बीमारी की चपेट में हैं। यह बात बिल्कुल ठीक है कि सचिवालय के 80% कर्मचारी बीमार हैं, इसमें कोई डिफैंड करने वाली बात नहीं है। आज जिस भी अधिकारी को फोन करो वह मैडिकल लीव पर होता है। हमारे पी.डब्ल्यू.डी. डिविजन में कम-से-कम 15 लोग बीमार हैं जिनमें एक्स.ई.एन. से लेकर नीचे तक लोग हैं। वर्ष 1983 में माननीय राजा साहब ने अश्विनी खड्ड की स्कीम तैयार की और 2005 में मल्याणा ट्रीटमैंट प्लांट की परमीशन दी गई। वर्ष 2006 में मुझे जिला परिषद मैंबर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और तब से लेकर हम आवाज उठा रहे हैं कि वहां पर लीकेज है। वर्ष 2006 में भी पीलिया का प्रकोप फैला था परंतु वर्षा हो गई जिस कारण स्लज नेचुरल तरीके से बह गया, डाइल्यूट हो गया जिसके कारण इतनी महामारी नहीं फैली। परंतु अध्यक्ष महोदय, मैं रिकॉर्ड के अनुसार इस माननीय सदन में बताना चाहूंगा कि 2007 में एक पी.आई.एल. हुई और ऑनरेबल हाईकोर्ट ने सी.डब्ल्यू.पी. 441/2007 में आबजर्वेशन/रिकमैंडेशन दी। वर्ष 2008 में बीजेपी सरकार आई और 2009 में पीलिया का प्रकोप फैला। वर्ष 2010 में भी पीलिया का प्रकोप फैला था। मैं उस समय के मंत्री श्री रविन्द्र सिंह जी को बताना चाहूंगा। यह बात, अध्यक्ष महोदय, रिकॉर्ड पर है और मैं रिकॉर्ड की बात करूंगा। हाईकोर्ट द्वारा आबजर्वेशन दी गई कि वहां पर सड़कें बनाई जाएं और एस.टी.पी. प्लांट जो अपनी पूरी क्षमता से नहीं चलता है, वह पूरा चलना चाहिए। वह अपनी कैपेसिटी से कम चल रहा है जिसके कारण उसकी गरारियां गर्म हो जाती हैं और वह खराब हो जाता है। जो

इम्पलाईज वहां काम कर रहे हैं उनके लिए गमबूट का प्रबंध हो। उस समय म्यूनिसिपल कार्पोरेशन ने एक आर्डर भी पास कर दिया। मेरे पास उसकी कॉपी है। उन्होंने कहा कि अपने टॉयलेट, बाथरूम का पानी और किचन का वेस्ट इसमें जोड़ें, तभी यह प्लांट अपनी कैपेसिटी पर चलेगा। इस कारण से वह

26.02.2016/1510/SLS-AS-2

भी जोड़ा गया। लोगों ने अपने बाथरूम का वेस्ट और कपड़े धोने का पानी भी उसमें मिलाया। मैं समझता हूं कि उसमें कैमिकल्ज एकदम से डाईल्यूट नहीं हो पाते। उसके ड्राईंग बैड्ज भी कैपेसिटी के अनुसार नहीं थे। फिर लोगों ने अपने छतों का पानी भी उसमें डाला।

अध्यक्ष महोदय, मल्याणा ट्रीटमैंट प्लांट के पास मैंने स्वयं देखा है कि वहां लोगों की घासनियां हैं, लोग वहां रहते हैं, वहां महिलाएं घासनियों से निकल नहीं पाती। जैंट्स तो नौकरी-पेशे इत्यादि के लिए बाहर आ जाते हैं लेकिन लेडीज दिन-रात वहां पर पशु चराती हैं और घास काटती हैं जिन्हें बड़ी मुश्किल होती है। यह 2009 की ही बात नहीं है बल्कि आज भी वही वस्तुस्थिति है। साथ ही लोगों ने अपनी छतों का पानी भी उसमें जोड़ा है जिसके कारण कई जगह पाईप ब्लास्ट भी हुई हैं। मल्याणा में बाजार के अंदर ही पिछले साल आई.पी.एच. डिपार्टमैंट ने रिपेयर करवाई। मैं भी साईट पर गया था और पूरा डिपार्टमैंट वहां पर गया था। गंदगी एन.एच. के ऊपर बह रही थी। इसमें सरकारों की गलती नहीं है, यह मैं कहना चाहता हूं। हम बीजेपी के ऊपर और बीजेपी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए, यह शर्म की बात है। पीलिया का मामला एक गंभीर मामला है जबकि हम लोग यहां बैठकर हंस रहे हैं और एक-दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। साथ ही मैं 2009 और 3 मार्च, 2010 की बात करना चाहूंगा। 3 मार्च, 2010 को मैडम विद्या स्टोक्स ने नियम-62 के अंतर्गत प्रस्ताव लाया था और माननीय कौल सिंह जी ने भी प्रस्ताव लाया था। उस समय बीजेपी की सरकार थी।

जारी..गर्ग जी

16/02/2016/1515/RG/AG/1

श्री अनिरूद्ध सिंह-----क्रमागत

प्राथमिकताएं अपनी बताई थीं, पूरा 5-6 पृष्ठ का मेरे पास यह प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है और माननीय तत्कालीन सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री श्री रविन्द्र सिंह जी ने उसका जवाब भी दिया था। मैं थोड़ा पढ़कर सुनाता हूं। मीडिया ने भी क्योंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जोकि लोगों की परेशानी या अन्य चीजों को खुलकर उजागर करता है। मैं सबके सामने सत्य लाना चाह रहा हूं क्योंकि आपने (श्री रविन्द्र सिंह की ओर इशारा करते हुए) कहा कि वर्ष 2010 में पीलिया नहीं फैला। रिपोर्ट्स, मैं यहां पर बताना चाह रहा हूं और आपके बयान में भी यहां बताना चाह रहा हूं। 3 मार्च, 2010 को आपने उस समय कहा कि एक अखबार ने एक-डेढ़ पेज की रिपोर्ट लगा दी है वह गलत लगाई है। लेकिन मूलरूप से ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कहा गया है कि 'मल्याणा का ट्रीटमेंट प्लांट ठीक नहीं है।' वह ओवर फ्लो होता है। मैं बताना चाहूंगा कि तब भी वह ओवर-फ्लो होता था और आज भी वह ओवर-फ्लो होता है। जब छतों का पानी उसमें आता है, तो ठेकेदार उसको आगे से खोल देते हैं और सारा गन्द, पानी के अंदर ही मिल जाता है। यह बात सच है। हमारी प्लानिंग की मीटिंग हुई और मीडिया के माध्यम से भी मुझे पता चला, ऐसा कहा गया कि क्या अनिरूद्ध सिंह जी आपने किसी की तरफदारी की है या किसी को बचाने का प्रयास किया? मैं बताना चाहूंगा और मैं सच को सामने लाना चाहता हूं इस सदन में कि इसमें पहल माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा चाहे वह किसी भी स्तर का अधिकारी होगा। इसलिए गल्तियां कोई आज से शुरू नहीं हुई हैं, गल्तियां तो वर्ष 2005 से थीं जो आज तक चल रही हैं। परन्तु हम भी वर्ष 2006 से शिकायतें कर रहे हैं और वर्ष 2013 में भी हमने नगर निगम को कहा कि ये पाईपें खराब हैं या मिसिंग लिंक हैं। उसका उन्होंने ऐस्टीमेट दे दिया। जो भी जन-प्रतिनिधि हों, चाहे वे किसी भी पार्टी से हों या किसी भी लेवल के हों, विधायक हों, जिला परिषद के सदस्य हों या बी.डी.सी. मेम्बर हों या निगम के पार्षद हों, वे निरन्तर वर्ष 2005 से अपनी आवाज उठा रहे हैं जिसमें वर्ष 2008 और वर्ष 2012 का पीरियड भी था। हमने उस समय कहा कि यहां मिसिंग लिंक हैं या ये पाईप लीक है। विभाग कहता है कि हमारे पास इसको ठीक करने के लिए पैसे नहीं हैं।

अधिशाषी

16/02/2016/1515/RG/AG/2

अभियन्ताओं ने आगे शहरी विकास विभाग को लिखा, शहरी विकास विभाग ने आगे सरकार को लिख दिया। ऐसा पहले से होता आया है ऐसा नहीं है कि यह सब आज ही हो रहा है। अभी हमने अखबार के माध्यम से भी पढ़ा कि मंत्री जी के यहां चक्कर काटने से भी पैसे नहीं मिलते। यह सब मैं रिकार्ड के साथ बोल रहा हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज के समय में इस मुद्दे को इतनी गंभीरता से लिया और नगर निगम तथा सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग के लिए पैसे रिलीज किए।
अध्यक्ष महोदय, सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य का मण्डल संख्या 2 इसको मेन्टेन करता है। इसमें कई ठेकेदार शामिल थे। एक ठेकेदार का काम पानी और स्लज को अलग करने का था, परन्तु उसके पास ड्रॉइंग बेड्ज पूरी कैपेसिटी के नहीं थे। यहां मॉइश्चर होता है और एकदम सूखता नहीं है। साथ में स्लज उठाने का काम दूसरे ठेकेदार का था। आज वह स्लज उठाने वाला ठेकेदार कहां है? उसके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैं यह जानना चाहूंगा। जबकि माननीय मुख्य मंत्री जी ने तुरन्त निर्देश दिए उसको तुरन्त पकड़ा जाए। अब रही सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग की बात, तो सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग को ठेकेदार ने भी निरन्तर लिखा है कि ये मशीनें खराब हैं। सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग में हर दो साल बाद अधिकारियों का स्थानान्तरण हो जाता है। लेकिन गाज तो उसी पर गिरती है जो उस समय वर्तमान में वहां होता है। (घण्टी) अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह मेरे चुनाव क्षेत्र से संबंधित मुद्दा है इसलिए मुझे ग्रेस पीरियड दिया जाए। तो उनके ऊपर गाज गिरती है और पिछले अधिकारियों को बचाया जाता है। तो न केवल स्लज उठाने वाले ठेकेदार के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो आई.पी.एच विभाग था उन्होंने अपनी जेब से पैसे नहीं देने है, वे सरकार ने देने हैं। उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही मैं नगर निगम की बात भी करना चाहूंगा। मेयर साहब निगम में बैठकर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, परन्तु सीवरेज सैस नगर निगम लेता है और ग्रामीण क्षेत्रों में सीवरेज का गंद बहाया जा रहा है। चाहे वह शिमला का ग्रामीण क्षेत्र हो या कसुम्पटी का क्षेत्र हो, सीवरेज का गंद बहाया जा रहा है और जब वहां पाईपें ठीक करने की बात आती है, तो आई.पी.एच. डिवीजन नं.-2 को बोला जाता है, परन्तु उनको लाईनें भी नहीं जोड़नें दी जाती हैं।

एम.एस. द्वारा जारी

26/02/2016/1520/MS/AG/1

श्री अनिरूद्ध सिंह जारी-----

जो मेन लाइन जा रही है उससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जोड़ने नहीं दिया जाता यानी नगर निगम वाले नहीं जोड़ने देते। They don't give permission for it. आज आई0पी0एच0 विभाग बोलता है कि पानी की वजह से बीमारी हुई है लेकिन आई0पी0एच0 की गलती है। मैं बोलना चाहूंगा कि इसमें नगर निगम की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए क्योंकि उनकी भी गलती है। मैं उदाहरण के तौर पर बोलना चाहता हूं कि एम0सी0 में जो हैल्थ में आदमी बैठा हे वह डेढ़ लाख रुपये तनख्वाह लेता है। जो आदमी इतनी तनख्वाह लेता है उनकी जिम्मेदारी क्या है क्या उनकी जिम्मेदारी वहां बैठने की है? ठीक है उनको आई0पी0एच0 डिपार्टमैंट टैंक्स में पानी डालकर देता है परन्तु जब वे लोगों को पानी सप्लाई कर रहे हैं, उसके पैसे ले रहे हैं, उनसे सर्विस टैक्स ले रहे हैं तो यह उनकी जिम्मेवारी है। नगर निगम के अंदर हैल्थ का डिपार्टमैंट है उनको पानी चैक करके देना चाहिए था। अगर बिसलेरी, कोकाकोला, वीटा या वेरका के दूध का सैम्पल भरा जाता है तो कार्रवाई सबसे पहले जो वहां पर बैठा है, पैसे ले रहा है उसके ऊपर होती है और वह बाद में कम्पनी को पार्टी बनाता है। मैं समझता हूं कि नगर निगम की भी इसमें बराबर की जिम्मेवारी है। साथ ही हमारे जो मिसिंग लिंक्स हैं मैहली, पंथाघाटी, कलैस्टन एरिया जिसके लिए 90.63 लाख रुपये सैंक्शन हुए हैं इसके लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहता हूं। इसके लिए राजा साहब ने पूरा आश्वासन दिया था और चिट्ठी भी आ गई है। साथ ही मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो हमारे लैफ्ट आउट एरियाज हैं जो हमारे मर्ज्ड एरिया है जो मिसिंग लिंक्स हैं उसमें कुछ टैण्डर एम0सी0 द्वारा अभी लग गए हैं लेकिन जो कुछ छूट गए हैं जैसे भट्ठाकुफ्फर छकड़ैल में एक नया एस0टी0पी0 बनना है जहां कम से कम 500 बिल्डिंग्ज बननी है। इसके अलावा एम0सी0 ढली में फेयरलॉन और मशोबरा का जो एरिया एम0सी0 के अंदर आता है इसके अलावा एडज्वाइनिंग विलेजिज भी है जो यह नया एस0टी0पी0 बनना है इस पर भी गंभीर विचार किया जाए। साथ ही आजकल नगर निगम द्वारा नोटिस लोगों

को दिए जा रहे हैं कि आप सीवरेज से कनैक्ट हों लेकिन वे सीवरेज से कनैक्ट कैसे होंगे जब कनैक्टिविटी की लाइन्ज ही नहीं हैं? नोटिस देने का तो तब फायदा है जब लाइन्ज जा रही हों। इस तरह से वहां पर मिसिंग लिंक्स बनाए जाएं। एम0सी0 द्वारा टंकियां साफ करने के ऑडर्ज दिए जा रहे हैं या विभागों द्वारा दिए जा रहे हैं लेकिन दूषित पानी जो उनकी टंकियों में गया है वह लोगों ने जानकर नहीं डाला है। इसलिए लोगों की टंकियों को फ्री में साफ करवाया जाए और उनको प्रैशराइज न किया जाए। एक लम्बी-चौड़ी लिस्ट ऑफिसिज में लगा दी गई है कि ये-ये टंकियां साफ करवाने के लिए प्लम्बर्ज उपलब्ध हैं। उनके मनमर्जी के रेट हैं कि हमारा टंकी साफ करने का यह रेट है। जो मजदूर 200 रुपये दिहाड़ी लेता था, अब पलम्बर्ज ने 500 रुपये दिहाड़ी कर दी है कि यदि टंकी साफ करवानी है तो पर-लीटर के हिसाब से इतने पैसे लगेंगे। जब एम0सी0 लोगों से टैक्स ले रहा है तो इसको एम0सी0 को ही साफ करवाकर देनी चाहिए। जो कनैक्शन ऑफ किचन एण्ड बाथरूम सीवरेज में किया गया है उसके लिए भी गंभीर विचार करना चाहिए। ब्लीचिंग पाउडर के बारे में मैं आज की तारीख में बताना चाहता हूं कि जो प्रिवेंटिव मैयर्ज लिए गए हैं उसके लिए माननीय अध्यक्ष जी अच्छी पहल है लेकिन वह ज्यादा मात्रा में डाला जा रहा है। उससे जितनी भी खड्ड की मछलियां हैं वे मर रही हैं। यह बात सच है। परन्तु मैं साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि जैसे हमारे माननीय बिन्दल साहब और रवि जी ने यहां बोला कि हमें आपसी आरोप-प्रत्यारोप लगाकर या माननीय मुख्य मंत्री जी के ऊपर कीचड़ उछालकर, क्योंकि मैं वर्ष 2009-10 की रिपोर्ट बता रहा हूं कि पांच साल आपके भी आरोप-प्रत्यारोप लगाकर ऐसे ही गुजर गए। आप उस वक्त आई0पी0एच0 मंत्री थे और बिन्दल जी स्वास्थ्य मंत्री थे। इसलिए आरोप-प्रत्यारोप से कुछ नहीं होगा। अब समय आ गया है यह काम छोड़कर कुछ सुझाव दें क्योंकि माननीय मुख्य मंत्री जी तत्पर हैं। दोषियों को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। चाहे वे किसी भी लैवल के हों। यदि वे रिटायर भी हो गए होंगे। साथ ही,

अध्यक्षः माननीय सदस्य, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री अनिरूद्ध सिंहः अध्यक्ष जी, मैं सुझाव दे रहा हूं।

अध्यक्षः आप कितनी देर लगाएंगे । आपने 15 मिनट से ज्यादा का समय बोलने के लिए

ले लिया है।

26/02/2016/1520/MS/AG/3

श्री अनिरूद्ध सिंहः अध्यक्ष जी, आपको मुझे ज्यादा समय देना चाहिए था क्योंकि मेरा नियम 130 के अंतर्गत प्रस्ताव था। हमें लोगों की आवाज उठाने का पूरा हक है।

Speaker: We are not giving more than 10 minutes to everybody, but you have spoken for about 16 minutes.

श्री अनिरूद्ध सिंहः अभी यहां पर फ्री इन्स्टालेशन ऑफ आर0ओ0 सिस्टम की बात हुई कि in all government institution में प्रिवेंटिव मैयर्ज के तौर पर और स्कूल्ज में सरकार की तरफ से होने चाहिए।

जारी श्री जे0के0 द्वारा-------

26.2.2016/1525/जेएस/एएस/1

श्री अनिरूद्ध सिंहः---------**जारी**--------

आर0ओ0 सिस्टम में सबसिडी शिमला के अन्दर जिसने प्राईवेट लगाने है यह सुविधा होनी चाहिए। जो पीने के पानी की बड़ी स्कीम बन रही है, चांशल से और गिरी या तत्तापानी से बन रही है वह शीघ्रातिशीघ्र बननी चाहिए। बी0जे0पी0 की सरकार में भी मुझे याद है कि एक बार पाईपें पूरे शिमला शहर के अन्दर बिछी थी लेकिन उसमें आज तक पानी नहीं आ पाया है। वे सारी की सारी पाईपें सड़कों के अन्दर है। आई0पी0एच0 डिपार्टमैंट को तो यह भी पता नहीं है कि वह पाईपें किस चीज के लिए बिछाई गई थी। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने प्रीवैंटिव मैजर्ज़ लेते हुए कड़ा संज्ञान लिया। राजा साहब ने इस स्कीम को ठीक करने के लिए गम्भीरता दिखाते हुए एकदम से पैसे अलॉट किए और मैं आपका पूरी कसुम्प्टी विधान सभा क्षेत्र की ओर से धन्यवाद करना चाहूंगा और जो पीलिया के मरीजों को आपने फ्री ईलाज की

सुविधा दी वह भी सराहनीय है। वर्ष 2009-10 में कोई फ्री ईलाज नहीं किया गया था। उस समय स्वस्थ्य मंत्री डॉ0 बिन्दल जी थे उस समय कुछ नहीं हुआ है। उस समय दवाईयों के भी पैसे लिए गए थे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने मुझे समय दिया लेकिन साथ में एक बात और बोलना चाहूंगा कि यहां पर राहुल गांधी जी की बात उठी थी। यह बात सदन में नहीं आनी चाहिए। अगर राहुल गांधी जी गद्दार होते या देशद्रोही होते तो इंदिरा गांधी जी गोली न खाती या राजीव गांधी जी शहीद न होते । देशद्रोही वे हैं जिन्होंने पी0डी0पी0 वालों के साथ समझौता किया है। देशद्रोही वे हैं जिन्होंने अकालियों के साथ समझौता किया है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य कृपया वाइंड अप करें।

श्री अनिरुद्ध सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा हाथ जोड़ कर अनुरोध है कि यह समय एक एपिडैमिक है। हम लोगों को स्थिति की गम्भीरता को समझते हुए एक-दूसरे का साथ

26.2.2016/1525/जेएस/एएस/2

देते हुए, सुझाव देना चाहिए और माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहिए जिन्होंने समय को सम्भालते हुए टाईम से कड़ा संज्ञान लिया और इस वजह से लोग बच गए। अगर स्कूलों में बच्चों को छुट्टियां न होती, स्कूल खुले होते तो उस वक्त इसका

ज्यादा इफैक्ट पड़ सकता था। देर आयद दुरूस्त आयद। आने वाले समय में भी मुख्य मंत्री जी ने कड़े निर्देश दिए हैं कि पीने के पानी के आसपास कोई भी एस0टी0पी0 स्थापित नहीं किया जाएगा। आगे भी जो मल्याणा ट्रीटमैंट प्लांट है उसका जो निकास है उसको पानी के सोर्स से आगे किया जाएगा। धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय

आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

26.2.2016/1525/जेएस/एएस/3

Speaker: Hon'ble Member, Rohit Chauhan would like to speak for five minutes?

श्री रोहित ठाकुरः माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे यहां पर बोलने के लिए खड़ा किया है उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय जो यह गम्भीर बीमारी पीलिया की शिमला शहर, सोलन और सिरमौर में फैली है सचमुच ही चिन्ता का विषय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले कल ही इसमें हाई कोर्ट ने अपना एक ऑर्डर दिया है जिसमें वर्ष 2007 से जो लैप्सिज हुए हैं, कमियां रही हैं उसके बारे में अपना विस्तृत ऑर्डर दिया है। एक तरह से यह ऑर्डर भी दर्शाता है कि ये सामुहिक रूप से अगर लैप्सिज रहे हैं, कमियां रही हैं। चाहे वह पिछली भाजपा सरकार की हो या वर्तमान में हमारी सरकार की बात हो लेकिन कमियां रही हैं। आने वाले समय कमियां न रहें जैसे कि मेरे साथी श्री लखनपाल जी ने यहां पर बात कही कि दोषारोपण की राजनीति से कोई भी हल नहीं निकलेगा। मौतों के ऊपर राजनीति करने से मैं समझता हूं कि कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। हमें इस तरफ रचनात्मक सुधार इस माननीय सदन में देने हैं जिससे आने वाले समय में जो यह महामारी फैली है उससे बचा जा सके। मैं समझता हूं कि यहां पर बड़े विस्तार से सभी माननीय सदस्यों ने अपनी बातें रखी हैं। अपने सुझाव यहां पर दिए हैं। मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि समय का भी अभाव है। मैं समझता हूं कि जो प्रमुख समस्या आई0पी0एच0 डिपार्टमैंट में आ रही है जिसके कारण यह पीलिया की समस्या हुई, आज इसकी शुरूआत अश्वनी खड्ड से हुई है जिस बारे में मेरे साथी श्री अनिरूद्ध सिंह जी कह रहे थे।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी--------

26.02.2016/1530/SS-AS/1

श्री रोहित ठाकुर, मुख्य संसदीय सचिव क्रमागतः

बाकी भी जो हमारे सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांटस हैं उनकी भी दशा अच्छी नहीं है। यह एक तरह से शिमला आई-ऑपनर है। इस तरह की घटना कहीं पर भी हिमाचल प्रदेश में हो सकती है। जो प्रमुख/मूल कारण मैं इस समस्या का समझता हूं वह लैक ऑफ मैनपावर है। आई0पी0एच0 डिपार्टमैंट 1980 के दशक में पी0डब्ल्यू0डी0 डिपार्टमैंट से काट कर या बाइफरकेट करके बनाया गया था। उस वक्त की जो सैंक्शंड पोस्टें इसमें हैं, मैं समझता हूं कि पिछले 40 वर्षों से वही सैंक्शंड पोस्टें हैं। जहां हमारे आई0पी0एच0 डिपार्टमैंट का स्ट्रक्चर मैनी फोल्ड यानी कई गुणा बड़ा है लेकिन मैं समझता हूं कि सैंकड़ों की संख्या में इसमें हर वर्ष रिटायरमैंटस हो रही हैं। नयी नियुक्तियां नहीं हो रही हैं और दूसरा जो हमने आउटसोर्सिंग सिस्टम लाया था, चाहे वह भाजपा सरकार के समय की बात हो या वर्तमान कांग्रेस सरकार के समय की बात हो, मैं यह समझता हूं कि यह सिस्टम पूर्ण रूप से विफल रहा है जोकि एक प्रमुख कारण अश्वनी खड्ड के मामले में भी रहा है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री और सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री जी से यह आग्रह रहेगा कि आज के समय में जो हज़ारों की संख्या में आई0पी0एच0 डिपार्टमैंट में पोस्टें खाली हैं इनको आने वाले समय में एक मास ड्राइव के तहत भरा जाए। आपकी लाइनमैनों की पोस्टें खाली हैं, आपकी फिटर्ज़ की पोस्टें खाली हैं और वाटर गार्डस की पोस्टें खाली हैं। मैं अपने क्षेत्र की बात करना चाहूंगा कि पम्प ऑपरेटर्ज़ की जो अंतिम नियुक्तियां हमारे क्षेत्र में हुई हैं वे वर्ष 2006-07 में हुई थीं। उसके बाद आज यहां ग्रैविटी की स्कीम्ज़ नाममात्र की बन रही हैं। आमतौर पर चाहे इरीगेशन की स्कीम्ज़ हों, चाहे उठाऊ पेयजल योजनाएं हों, अधिकतर जितनी भी स्कीमें हैं वे आपकी लिफ्ट स्कीम्ज़ बन रही हैं। आपकी लाखों-करोड़ों की इंवैस्टमैंट इनमें हो रही है। आपने इनका ऑपरेशन-मैंटीनेंस और ऑगमैंटेशन का सारा कार्य निजी ठेकेदारों को दे दिया है। मेरे अनुसार लगभग कोई डेढ़ सौ करोड़ के आस-पास की राशि हर वर्ष आई0पी0एच0 डिपार्टमैंट इन ठेकेदारों को देता है। एक तरह से हमारे डिपार्टमैंटस इनकी मर्सी पर खड़े हो गए हैं। आने वाले वार्षिक बजट में यानी 2016-17 के बजट में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया जाए ताकि लम्बे समय से जो हमारा महत्वपूर्ण

आई0पी0एच0 डिपार्टमैंट है और हमारी बहुत ही इफैक्टिव मिनिस्टर, मैडम विद्या स्टोक्स जी उसको देख रही हैं इसमें खाली पोस्टों को फिल-अप किया

26.02.2016/1530/SS-AS/2

जाए ताकि इस तरह की असुविधा न हो और जो बहुमूल्य जानें गई हैं वे भविष्य में न जाएं। यह मेरा माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा क्योंकि मार्च के पहले हफ्ते में 8 तारीख को बजट भी आना है और इस वर्ष जिस से तरह से मौसम सामने नज़र आ रहा है, हालांकि अभी फरवरी का महीना है, अभी से ड्रॉट लाइक कंडीशन्ज़ हैं और आने वाले समय की आवश्यकता है कि हम आई0पी0एच0 डिपार्टमैंट को और स्ट्रैंथन करें। विशेष रूप से जो सैंकड़ों की संख्या में पोस्टें खाली हैं, मैं अपने डिवीजन की बात करूंगा कि हर वर्ष आपकी कोई 20-25 रिटायरमैंटस होती हैं और जहां तक नियुक्तियों की बात होती है तो नाममात्र की नियुक्तियां होती हैं। ये सारी गम्भीर बातें हैं। यहां पर बहुत-सी रचनात्मक बातें हो चुकी हैं उनमें मैं भी अपने आपको जोड़ता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, धन्यवाद।

26.02.2016/1530/SS-AS/3

अध्यक्षः अब माननीय विपक्ष के नेता, प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी इस विषय को आगे बढ़ायेंगे।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने आज एक अत्यन्त महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा की अनुमति देकर जो चर्चा करवाई है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं प्रारम्भ में ही प्रदेश के मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि अगर उन्होंने इस मद्दे को इतनी जोर से न उठाया होता तो हम सबका ध्यान भी इस ओर न जाता और शायद मृतकों की संख्या और ज्यादा हो सकती थी। जिस-जिस को सचेत होना था, वह हुआ और जो जानें बच सकती थीं उनको भी बचाने का प्रयास हुआ है। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं ताकि भविष्य में ऐसी अनहोनी घटनाएं न घटें।

जारी श्रीमती के0एस0

26.02.2016/1535/केएस/डीसी/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जारी---

मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपने ज्ञानानुसार और जानकारी के अनुसार इस महत्वपूर्ण ज्वलंत मुद्दे पर महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं और जिनके पास न जानकारी थी, न ज्ञान था वे भटके भी हैं और दूसरों को सलाह देते रहें कि मामले में उलझना नहीं चाहिए, दोषारोपण नहीं होना चाहिए। हम हरियाणा भी हो आए, जेएनयू भी हो आए और जम्मू-कश्मीर भी हो आए। पीलिया शिमला में है। एन.सी.डी.सी. की जो सैंटर से टीम आई थी उसकी रिपोर्ट के अनुसार- शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एरिया से पानी के दस सैम्पल लिए गए जो सभी फेल हुए। सभी की रिपोर्ट के आगे लिखा है- Found Unsatisfactory. डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर ने 23 दिसम्बर, 2015 को शिमला नगर निगम के आयुक्त को पत्र लिखा कि शहर में पीलिया के बहुत मामले सामने आ रहे हैं, कृपया पानी की सप्लाई के जो सोर्सिज़ हैं, उन सभी को चैक किया जाए, पानी को टैस्ट किया जाए। डायरैक्टर हैल्थ सर्विसिज़ ने 02 जनवरी, 2016 को, जो लोग कहते हैं कि महामारी नहीं है, उसमें यही शब्द इस्तेमाल हुआ है; to control epidemic of jaundice. एक ज्वाइंट डायरैक्टर की चेयरमैनशिप में कमेटी कंस्टिट्यूट की। चिंताजनक जो बातें हैं, जिनको हम आगे से अवाईड कर सकते हैं, सरकार के ध्यान में आई है। केन्द्रीय टीम ने भी यह कहा है कि जो कैमिकल इस्तेमाल किए गए हैं, वे एक्सपायरी डेट के थे। हम एक्सपायरी डेट के बाद जो दवाई इस्तेमाल करते हैं, उसका या तो कोई प्रभाव नहीं होता या दुष्प्रभाव होता है। दूसरी बात जो मीडिया के

26.02.2016/1535/केएस/डीसी/2

माध्यम से भी और आप सब की जानकारी भी है एस.टी.पी के पास जो स्लज पानी से अलग किया जाता था वह वहीं पड़ा रहता था। शीघ्रातिशीघ्र हम ऐसे प्रबन्ध करें कि स्लज को तुरंत वहां से हटाया जा सके। टीम ने लोकल लोगों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि जब हमें लगा कि पानी की सप्लाई ठीक नहीं आ रही है तो हमने बावड़ियों से

पानी पीना शुरू कर दिया। तो टीम की ऑब्ज़र्वेशन यह है कि बावड़ियों का पानी तो ज्यादा दूषित है। हो सकता है कि पाईप्ड वाटर से कम लोग बीमार हुए हों, कुछ लोग बावड़ियों का पानी पी कर ही बीमार हुए हों। वहां पर फिर हाथ से लिखा कि यह दूषित पानी है इसको न पिया जाए। तो ऐसी प्रीकॉशन्ज़ पहले ही सम्बन्धित विभाग को लेनी चाहिए कि डिस्कार्डिड वाटर सोर्सिज़ अलग-अलग जगह हैं, जहां कोई पानी नहीं लेता, जहां कोई सफाई नहीं करता। पहले गांव में कूंए और बावड़ियों का ही पानी होता था। हर साल उनकी सफाई होती थी। अब वह कोई इस्तेमाल नहीं करता तो वहां ज्यादा पानी खराब होता है। तो क्लीयर हो जाना चाहिए कि अनट्रीटिड वाटर को कोई न लें, न पिएं। कमेटी ही अपनी रिपोर्ट में लिख रही है, take action against guilty. दोषियों के खिलाफ सजा देने के लिए कार्रवाई करो। माननीय कुलदीप कुमार जी ने कहा कि सरकार ने ऐक्शन लिया है। जे.ई., एस.डी.ओ., एक्सिअन गिरफ्तार किए हैं और एस.ई. के खिलाफ डिपार्टमैंटल इन्क्वायरी चल रही है । तो क्या ये निचले स्तर के कर्मचारी ही दोषी थे

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

26.2.2016/1540/av/dc/1

श्री प्रेम कुमार धूमल ----- क्रमागत

या इसमें किसी क्षेत्र विशेष के साथ भेदभाव किया गया है? हमें अपने क्षेत्रों में इस प्रकार की शिकायतें मिली हैं कि हमारी तरफ के कर्मचारियों को तो अरैस्ट कर लिया गया, उनके खिलाफ केसिज बन गये और कुछ को स्थानातंरित कर दिया गया। मैं चाहूंगा कि इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए कि ऐसे कितने कर्मचारी/अधिकारी इनवॉल्व हैं और किस-किस पर क्या-क्या ऐक्शन हुआ है। लगभग सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि अश्वनी खड्ड के पास जो सिवरेज ट्रीटमैंट प्लांट बने हैं वहां से अनट्रीटिड पानी निकलता है और वह वॉटर सोर्स के बहुत नज़दीक है। एन.सी.डी.सी. ने भी यही

रिकमैंड किया कि इसको कहीं दूर ले जाया जाए ताकि ऐसी सम्भावना भविष्य में न हो। मुझे पता है इस के लिए समय और धन लगेगा मगर इसमें भी हम भारत सरकार को बीच में ले आयेंगे कि वहां से पैसा नहीं आ रहा है। आपने ऐलोकेशन की क्या कोई प्रपोजल भेजी है? हम केवल पोलिटिकल प्वाईंट स्कोर करने के लिए नहीं बल्कि प्रैक्टिकली क्या किया जा सकता है उसकी बात करें। जब भी सम्भव हो तो इसको यहां से हटाना चाहिए। प्रोपर क्लोरिनेशन ऑफ वॉटर के लिए उन्होंने एक कमेटी सजैस्ट की है। कमेटी में कार्पोरेशन के लोग, आई.पी.एच. के लोग, हैल्थ के लोग हों और वे टाइम फिक्स करें जिसके अनुसार नियमित तौर पर चैकिंग हो कि प्रोपर क्लोरिनेशन हो रही है या नहीं। जैसे अनिरुद्ध जी ने कहा कि बहुत सारी पाइप्स से पानी लीक हो रहा है। सिवरेज का सैस म्युनिसिपल कार्पोरेशन लेती है। अब न तो कार्पोरेशन सरकार को पानी के पैसे देती है और सैस वह कलैक्ट करते हैं तो प्रशासनिक तौर पर हमें उनसे वह रिकवर करना चाहिए। यह भी सही कहा है कि शहर का गंद ग्रामीण क्षेत्र में डिस्पोज ऑफ होगा और वहां की वॉटर सप्लाई स्कीम को प्रभावित कर रहा है तो उसके लिए दोषी कौन है? उसकी रिपेयर के लिए पैसा देना नहीं और सैस का पैसा अपने पास रखना; तो इसके लिए कार्पोरेशन भी अपने आप में बहुत हद तक जिम्मेवार है और आपको म्युनिसिपल कार्पोरेशन के बारे में भी कार्रवाई करनी

26.2.2016/1540/av/dc/2

पड़ेगी। लीकिंग पाइप्स की तुरंत रिपेयर की जाए। Proper mixing of alum in water, वे डिटेल में गये हैं। उन्होंने लिखा है कि जो रेड़ी-फड़ी वाले हैं वे बाउड़ियों के पास खाने-पीने का सामान बेचते हैं और उसी पानी को इस्तेमाल करते हैं। यह तो गवर्नमैंट को ही स्ट्रिक्टली इम्पोज करना पड़ेगा कि वहां पर इस प्रकार की रेड़ी-फड़ी न लगे। एक खुला शौच मुक्त हिमाचल हम कहते हैं। बहुत सारी ग्राम पंचायतों नेबाहर खुला शौच मुक्त के बोर्ड लगा रखे हैं। यह सत्य है कि 30 प्रतिशत लोगों ने सिवरेज कनैक्शन लिए हैं, 70 प्रतिशत लोगों के सैप्टिक टैंक अगर ओवर फ्लो / लीक हो रहे हैं तो वह गंद

कहां जा रहा है? वह सारा उन्हीं सोर्सिज में जा रहा है जहां से पीने के लिए पानी आता है। मैंने शायद ठाकुर कौल सिंह जी का बयान पढ़ा था। इन्होंने कहा था कि जो सिवरेज कनैक्शन नहीं लेते उनके बाकी वॉटर कनैक्शन काट दो। गवर्नमैंट को किसी स्टेज पर सख्ती से स्टैप लेना पड़ेगा। हम लोगों को दूसरों की जान के साथ खेलने की इज़ाजत नहीं दे सकते। उनको लाभ भी पहुंचाइए मगर वे कानून को मानें। जब तक सिवरेज सिस्टम के साथ कनैक्ट नहीं होंगे और हैरानी की बात तो यह है कि Charity begins at home यह घर से शुरू करना पड़ेगा। हिमुडा की कलोनीज में भी बताया गया है कि सिवरेज कनैक्शन नहीं है। सबके अपने-अपने सैप्टिक टैंक बने हुए हैं। वह कलोनीज तो गवर्नमैंट ने बनाई है उसमें तो इसको सुनिश्चित करें। ओपन डैफिकेशन का उन्होंने बताया कि जहां-जहां कनस्ट्रक्शन हो रही है

जारी टी सी द्वारा

26.2.2016/1545/TCV/AG/1

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल --- जारी

वहां पर लेबर काम करता है उसके लिए टॉयलेट्स नहीं है। वह खुले में शौच के लिए जाता है। उन पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। इसके अलावा सीवरेज़ कनैक्शन हर घर के लिए कम्पल्सरी किया जाये। सरकार और मिडिया दोनों मिलकर एक मोहिम चलाएं। लोगों को ऐजुकेट करने में मिडिया का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। ऊबला हुआ पानी पिएं, एक्वागार्ड का पानी शुद्ध नहीं रहा। एम0एल0ए0 हॉस्टल में लोगों को इसमें कीड़े मिल रहे हैं। गवर्नमैंट सैक्टर में आर0ओ0 सिस्टम प्रोवॉइड करवाने की सुजैशन आई है, जो एक अच्छी बात है। पर्सनल हाई-जीन को इम्पूव करने के लिए "खाना खाने से पहले साबून से हाथ धोएं" इस प्रकार की सूचना हर जगह मिडिया के माध्यम से और पंपलेट बांट कर लोगों को दी जानी चाहिए। ये कुछ कदम है, जिनकी सुजैशन्ज आई है। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि यदि ऐसी प्रिकॉशन्ज ली जाए, तो जो जब कर सकता है, तब उसको करना चाहिए। जहां-जहां सुधार की गुंजाईश हैं, करें। हमारे ही दल के माननीय सदस्य श्री बलदेव सिंह तोमर ने बोलना था। उन्होंने कहा कि यदि आप बोल

रहे हैं तो मैं रहने देता हूं । अध्यक्ष महोदय, उनके दो मुद्दे थे। एक उनके गांव में भी जगत सिंह तोमर नाम के व्यक्ति की पीलिया से मृत्यु हुई है। कमराऊ के प्रताप सिंह भी पीलिया से ग्रस्त है। दूसरे, इनका कहना है कि इनके क्षेत्र में जहां-जहां वॉटर सप्लाई स्कीमें हैं, वहां फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं हैं। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री के ध्यान में लाना चाहूंगा कि ग्राम पंचायत दुगाणा, शिलाई में बिंदौली और पांटना में डायरिया से 25 लोग ग्रस्त है। यदि आप सी0एम0ओ0, नाहन को आवश्यक निर्देश दें तो उनको लाभ हो सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। आपने समय दिया, आपको धन्यवाद देते हुए श्री सुरेश भारद्वाज और डॉ0 राजीव बिंदल को भी धन्यवाद दूंगा कि आपने ये चर्चा उठाई और इसके माध्यम से कोई अच्छे बिन्दु निकल कर आए हो तो हम अपेक्षा करते हैं कि सरकार इन पर कार्रवाई करेगी। लोग आश्वास्त होंगे कि जैसे वे अपने परिवारजन की बीमारी में चिन्तित हैं, ये सदन भी चिन्तित है, हम सब

26.2.2016/1545/TCV/AG/2

चिन्तित है। हम उसके बारे में केवल चर्चा ही नहीं बल्कि आवश्यक कदम भी उठाएंगे। जो लोग पीलिया के कारण अपने परिजनों से बिछड़ गये हैं, हम उनको स्मरण करके उन्हें भी श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे महामारी फिर न हो। धन्यवाद।

अध्यक्षः अब इससे पहले कि माननीय सिचांई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री चर्चा का उत्तर दें, क्योंकि इस पानी की वज़ह से बहुत से लोग बीमार हुए हैं और वे चिकित्सालय में उपचाराधीन है तो मैं समझूंगा कि यदि इस चर्चा में माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी भाग लें तो अच्छा रहेगा । मैं यह भी बताना चाहूंगा कि शिमला शहर एक पर्यटक नगरी है और आने वाले एक-दो महीने में यहां पर्यटकों की बड़ी आवाज़ाही शुरू हो जाएगी। इससे पहले -पहले कि यह मेनेस ज्यादा न फैलें हम सभी मिलकर इसको दूर करें।

श्री आर0के0एस0

26.2.2016/1550/RKS/AG/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नियम-130 के अन्तर्गत शिमला में जो पीलिया की बीमारी का प्रकोप हुआ है, उस पर विस्तृत चर्चा हुई है। मैंने सभी के विचार बड़े ध्यान से सुनें और जिन लोगों ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, सार्थक योगदान दिया है, उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। कुछ लोगों ने इसमें राजनीति करने की कोशिश की, बात को बढ़ा-चढ़ा करके पेश करनी के कोशिश की है। उनको मैं जो एक्चुअल-एण्ड-फैक्चुअल पॉजिशन है, वह बताना चाहता हूं। भारद्धाज जी ने चर्चा आरम्भ करते हुए कहा कि शिमला में ही 15000 पीलिया के केसिज़ आए। यह बात बिल्कुल गलत है। शिमला में कुल 1563 पेशेंट पीलिया के पाये गए , जो हमारे पास रजिस्टर्ड हुए हैं और उनका जो टैस्ट किया गया, उसके बारे में एक-एक फ़िगर मेरे पास है। यदि आपको समय लगेगा तो मैं आपको बता सकता हूं कि किस दिन कितने केसिज़ आए। उनके बल्ड के जो टैस्ट लिए गए, उनमें कितने पॉजिटिंव पाए गए? वह फिगर भी मेरे पास मौजूद है, यदि आप चाहते हैं तो वह भी मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। इस तरीके से ज्यादा फिग़र देने से कुछ होने वाला नहीं है। शिमला एक इन्टर नेशनल पर्यटक स्थल है। इस तरह की गलत फ़िगर देने से जो लोग बाहर से यहां आना चाहते हैं, वे रूक जाते हैं। यह ठीक है कि यहां पीलिए का प्रकोप हुआ है, हम नहीं कहते हैं कि नहीं हुआ है। प्रकोप हुआ है, लार्ज स्केल पर हुआ है। कन्टैमिननेटिड वॉटर से हुआ है। अब ब्लेम गेम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यह रिसपोंसिब्लिटी गवर्नमैंट की है कि लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाएं। गवर्नमैंट की रिसपोंसिब्लिटी है कि लोगों के सुख और दुख का ख्याल रखें। यहां पर कुछ सोलन और सिरमौर से भी बात आई है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में जोंडिस के 47 केसिज़ रिपोर्ट हुए हैं और 5 केसिज़ उसमें पॉजिटिव पाए गए हैं। सोलन डिस्टिक्ट के लिए भी अश्वनी खड्ड से ही पानी लिफ्ट होता है। वहां भी 25-30 केसिज़ पॉजिटिव पाए गये। हम इस बात से इन्कार नहीं करते हैं। जहां तक डैथ की बात है, आपने कहा पीलिए से 20 आदमियों की डैथ हो गई है। मैंने 23 तारीख को प्रेस कॉंफ्रेंस की थी और उस दिन तक 10 आदमियों की जोंडिस की वज़ह से डैथ हुई है। इसमें से भी 10 में से 5 केसिज़ ऐसे हैं जिनको हैपेटाइटस-ई के साथ लीवर की बीमारी थी, लीवर फेलीयर की बीमारी थी । लेकिन इन्होंने कहा कि हैपेटाइटस के केसिज़ हैं। मैंने कहा We should admit it. चाहे उसके

साथ कोई दूसरी बीमारी भी थी। कुछ

26.2.2016/1550/RKS/AG/2

लोगों का ज्यादा शराब पीने से लीवर खराब हुआ था, उनको भी पीलिया की शिकायत हुई और सबसे ज्यादा इफेक्ट 2-3 महीने की प्रेग्नेंट जो लेडी होती है, अगर उसको पीलिया हो जाये तो वह बहुत खतरानाक होता है। ऐसा भी एक केस आया है। हम इंकार नहीं करते हैं । अगर आप चाहते हैं तो मैं एक-एक दिन की डीटेल आपको दे सकता हूं। दिनांक 11-12-2015 को जो केसिज़ आए उनमें से दो पॉजिटिव पाए गए और इसी तरह से दिनांक21-01-2016 को 58 केसिज़ आए , उनमें से 15 पॉजिटिव पाए गए। शिमला में कुल 1592 में से 578 केसिज़ पॉजिटिव पाए गए, जिनका हमने इलाज़ किया है। यह दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग डॉक्टरों के पास आने के वजाय वे झाड़फूंक या दूसरा ग्रामीण इलाज करवाते रहे और जब वे क्रिटिकल स्ट्रेज में पहुँच जाते हैं, तब हॉस्पिटल में आते हैं। जब ये केसिज़ ज्यादा बढ़े, मैं खुद अपने आप आई0जी0एम0सी0 गया और

श्री एस0एल0एस0 द्वारा जारी ------

26.02.2016/1555/SLS-AS-1

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री...जारी

मैंने हिदायतें दी कि जितने भी टैस्ट हो रहे हैं वह फ्री कर दिए जाएं। चाहे एस.आर.एल. लैब है या हमारी अपनी लैब है, हम उनको नेशनल हैल्थ मिशन के माध्यम से रि-ईंबर्स करेंगे। मैंने यह भी कहा कि उनका सारा ईलाज फ्री होना चाहिए। उसके मुताबिक उनका पूरा ईलाज मुफ्त कर दिया गया। भारद्वाज जी ने कहा कि एस.आर.एल. लैब से टैस्ट न हों, वहां लोगों से पैसे लिए गए जबकि हमारी सरकारी लैब है। मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी टैस्ट किए गए, उनमें आई.जी.एम.सी. में 5653 केसिज में ब्लड का लैबोरेटरी टैस्ट हुआ जिनमें से 171 केसिज हैपेटाईटस-ई के पाए गए। जो एस.आर.एल.है, उन्होंने 12083 केसिज के टैस्ट किए और 220 केसिज वहां पर पॉजिटिव पाए गए। मेरा आपसे सिर्फ़ इतना अनुरोध है कि यह जौंडिस का आऊटब्रेक कोई पहली बार ही नहीं हुआ है। यह 2007-08 में भी हुआ, 2009-10 में भी हुआ और 2011 में भी हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि 2010 में मैंने यह मामला कॉलिंग अटैंशन के

माध्यम से इस सदन में उठाया और वर्ष 2011 में श्रीमती विद्या स्टोक्स जी ने भी यह मामला इस सदन के अंदर उठाया। जो मामला मैंने उठाया था वह था कि 'अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से शिमला के कुछ क्षेत्रों में फैली पीलिया की बीमारी से उत्पन्न स्थिति की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं।' इन्होंने इसका विस्तृत जवाब दिया। फिर मैंने आपसे स्पष्टीकरण मांगा। उस वक्त भी वही क्षेत्र थे जो क्षेत्र आज पीलिया से प्रभावित हुए हैं। वर्ष 2011 में मैडम विद्या स्टोक्स ने यह मामला उठाया। यह 6 अप्रैल, 2011 की बात है। इनका प्रस्ताव था कि 'समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार - शिमला शहर में गंदे पानी की आपूर्ति से जल-जनित बीमारियां फैलने की आशंका की ओर माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करती हूं।' माननीय मंत्री जी ने विस्तृत तौर पर जवाब दिया था और माना था कि पीलिया हुआ है; गंदे पानी से हुआ है। उसके बाद 2013 में भी पीलिया हुआ था। सब जानते हैं कि पीलिया हमेशा प्रदूषित पानी से होता है, कंटैमिनेटिड वॉटर से होता है। फिर हमने इसमें आवश्यक कदम भी उठाए। हमने नेशनल इंस्टिच्यूट ऑफ वाइरोलोजी, जो भारत सरकार की संस्था है, उनको लिखा। उनकी टीम यहां पर आई। उन्होंने केसिज के जितने भी सैंपल लिए, वह सारे सैंपल पॉजिटिव पाए गए, कंटैमिनेटिड

26.02.2016/1555/SLS-AS-2

पाए गए। सबसे ज्यादा मामले स्वास्थ्य विभाग के दीन दयाल उपाध्याय में, आई.जी.एम.सी. में, कमला नेहरू अस्पताल में आने शुरू हुए। The Commissioner, Municipal Committee was informed by the Health Minister on 23rd December, regarding unusual increase of jaundice cases with a request to monitor the quality of water supply from natural resources as well as from IPH Supply Scheme, as the cases were reported from water distribution area of Ashwani Khad. It was requested to chlorinate the water supply and take necessary action. उसके बाद, जैसे प्रोफ़ैसर धूमल जी ने कहा, फिर डायरैक्टर हैल्थ सर्विसिज ने भी आई.पी.एच. डिपार्टमैंट को कहा और टीम कंस्टिच्यूट की। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जो कदम उठाए हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। हमने नेशनल हैल्थ मिशन की ओर से इलैक्ट्रौनिक मीडिया में कहा कि

शिमला में पानी दूषित है इसलिए इसको आप 10-15 मिनट उबाल कर पीएं। चाहे घर में अक्वागार्ड लगा हो तो भी आप पानी को उबाल कर पीएं। इसके साथ ही मुख्य मंत्री महोदय ने सारे अफसरों की मीटिंग की, माननीय विद्या स्टोक्स जी ने दो मीटिंग्ज की और मैंने भी हाई पॉवर्ड कमेटी की दो मीटिंग की जिनमें हमारे हैल्थ डिपार्टमैंट के लोग, सैक्रेटरी आई.पी.एच., इंजीनियर-इन-चीफ और पाल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सारे अधिकारी हमने बुलाए।

जारी ..गर्ग जी

16/02/2016/1600/RG/AS/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री----क्रमागत

और हमने उनको कोऑर्डिनेशन के लिए कहा। आपका यह आरोप भी गलत है कि there was no coordination among the departments. कोऑर्डिनेशन हुआ और जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, उन्होंने भी बार-बार सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा कि आपका पानी ठीक नहीं है। यह ठीक है कि जो मल्याणा का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है जब मुझे पता लगा कि वहां का अनट्रीटेड वाटर तीन इंच का पाइप वहां से नीचे ऐसे ही जा रहा है और पीला पानी जा रहा है। मैंने एकदम पत्र लिखा, मैं व्यक्तिगत तौर पर माननीय सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री को उनके कार्यालय में मिला और मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि दूसरे दिन ही ये अपनी टीम लेकर वहां गईं। अतिरिक्त मुख्य सचिव (सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य), मेयर, डिप्टी मेयर ये सारे अश्वनी खड्ड पर गए, लेकिन उससे पहले ही अश्वनी खड्ड का पानी बन्द कर दिया गया। यह भी ठीक है कि जिन क्षेत्रों में अश्वनी खड्ड का पानी नगर निगम डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे विकासनगर का क्षेत्र है, खलीणी, न्यू शिमला, कसुम्पटी, छोटा शिमला, कनलोग आदि इन क्षेत्रों में ही सबसे ज्यादा मरीज पीलिया के पाए गए और इनमें सबसे ज्यादा पॉजीटिव इन क्षेत्रों में ही पाए गए। मण्डी में भी दो-चार पीलिया के मरीज गए। हमने कहा कि आपको कैसे पीलिया हो गया? कहते हैं कि हम भी छोटा शिमला में रहे वहां पानी पीया जिसके कारण उनको पीलिया हो गया। यह ठीक है कि जो लोग छोटा शिमला में 8-10 दिन रहे और जिन्होंने वहां का पानी पीया, उनको पीलिया हुआ है। 30-

40 दिनों तक इसका प्रभाव रहता है। इसलिए हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन उसके बाद हमने स्वास्थ्य विभाग की टीमें बनाईं और जिन वाड्र्ज में पीलिया का ज्यादा प्रभाव था वहां हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीमें गईं। हैंड बिल्ज हमने छापे, हैंड बिल्ज के माध्यम से लोगों को अवगत कराया।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मैं यह भी बता दूं कि कुछ बावड़ियां जैसा धूमल साहब ने कहा, कुछ जो प्राकृतिक पानी के स्त्रोत हैं, जैसे बावड़ियां, चश्में आदि हैं उनका पानी भी हाईली कन्टेमिनेटिड है। हमने वहां बोर्ड लगाए हैं कि यह पानी पीने के योग्य नहीं हैं। लेकिन लोगों ने 'नहीं' पर चिप्पी लगा दी और वह हो गया 'यह पानी पीने योग्य है।' उसका पानी लोग पीते रहे जिससे पीलिया लोगों को हुआ। सबसे बड़ी विकास नगर में जो समस्या है, लोगों के जो अपने ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं अर्थात जो अपने सैप्टिक टैंक्स हैं वे कई सालों से चले हुए हैं और ओवर-फ्लो कर रहे हैं। वह

16/02/2016/1600/RG/AS/2

पानी नीचे जा रहा है। अश्वनी खड्ड में यदि आप देखेंगे। मैं भी जब सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री था, तो मैं भी वहां कई बार गया हूं, अश्वनी खड्ड के ऊपर आप देखेंगे कि यूनिवर्सिटी आ गई है, कॉलेज आ गए हैं, लोगों ने खड्ड के किनारे घर बना दिए हैं, छोटे-छोटे अपने सैप्टिक टैंक बना दिए हैं। उनका सारा ओवर-फ्लो अश्वनी खड्ड में जा रहा है। कॉलेजिज के जो हॉस्टिल हैं वह सारा फ्लो उनका वहां जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, हम यूरोपीयन कंट्रीज में गए हैं, तो वहां जो उनका सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है उनका ट्रीटेड वाटर पीने के अलावा सर्कुलेट किया जाता है। जैसे कपड़े धोने या अन्य कार्यों के लिए वह सर्कुलेट किया जाता है। तो इस तरीके से There was some failure on the part of the Contractor who was given contract for running the STP Malana. इसी प्रकार से सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग ने भी इसमें कार्रवाई की है। इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि हम सबकी यह जिम्मेवारी है कि हम पीलिया की रोकथाम के लिए प्रयास करें और हमारा आपसे भी यह निवेदन है कि हम इस बात को ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर न करें। स्वास्थ्य विभाग ने इसमें काम किया है, हमारी टीमों ने भी काम किया है और सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग ने भी इसमें काम किया है और हमारा तालमेल भी अब इसमें बहुत

अच्छा हुआ है और मैं यह कह सकता हूं कि अब पीलिया रोग पूरी तरह से नियंत्रण में है और अब पीलिया के बहुत कम मामले पॉजिटिव आ रहे हैं। दिनांक 25-2-2016 को सिर्फ सात मामले पीलिया के आए जबकि पहले बहुत मामले सामने आते थे जैसे 35-40-45 मामले पॉजिटिव होते थे। तो अब पीलिया पूरी तरह नियंत्रण में है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक स्वास्थ्य विभाग का प्रश्न है, तो यह बात गलत है कि पैसे लोगों से लिए गए। मैंने क्या कहा, हमने तो दिसम्बर में ही कह दिया था कि पीलिया के मामले ज्यादा आ रहे हैं। मैडम मौके पर गई हैं और सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग ने कदम उठाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यह ठीक है कि यह हमारी डियुटी है और हम डियूटी से इनकार नहीं करते। We take the responsibly और जो लोग मरे हैं हमें उनका बहुत ही दुःख है

एम.एस. द्वारा जारी

26/02/2016/1605/MS/DC/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जारी-----

और हम उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन लोग वे मरे हैं जो क्रिटिकल स्टेज पर ही अस्पताल गए थे या वे लोग मरे हैं जो लोग अपनी मर्जी से पी0जी0आई0 में अपना ईलाज करवाने गए थे। इस तरह से कुछ लोग पी0जी0आई0 में मरे हैं। इस बात से भी हम इंकार नहीं करते लेकिन यह कहना गलत है,

श्री सुरेश भारद्वाजः अगर लोग पी0जी0आई0 नहीं जाते तो यह आंकड़ा सैंकड़ों में जाता। आप एक दिन अस्पताल गए होंगे मैं हररोज लोगों को देखने के लिए IGMC गया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः आपको यह भी पता होना चाहिए कि कुछ लोग - (व्यवधान)- मैं एक बार नहीं गया हूं मैं कई बार गया हूं। भारद्वाज जी जब आप बोल रहे थे तो मैंने बीच में बिल्कुल नहीं बोला और जितना बढ़ा-चढ़ाकर आप कह रहे हैं वैसा हम नहीं कर रहे हैं बल्कि हम तो एडमिट कर रहे हैं। हमने जो प्रभावी कदम उठाए हैं उनके बारे में भी बताया है। अगर आप और सुनना चाहते हैं कि हमने क्या-क्या स्टैप्स

लिए हैं तो उसकी जानकारी भी मेरे पास है। हमारे पास विभाग है, टीमें हैं सब कुछ है। इसलिए हम सबको इसके लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए ताकि यह दुबारा न हो। इस बात का फैसला आई0पी0एच0 डिपार्टमैंट करेगा कि मलाना का ट्रीटमैंट प्लांट वहां से शिफ्ट करना है या उसमें कोई मॉड्रन लैटेस्ट टैक्नोलोजी लगाई जानी है ताकि नीचे बिल्कुल साफ पानी आए। इसी अश्वनी खड्ड का पानी सोलन से लिफ्ट होता है इसलिए सोलन में भी समस्या हुई और सिरमौर में जाता है वहां भी समस्या हुई है। मैं ज्यादा न कहता हुआ आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और जो मैडम ने स्टैप्स लिए हैं, विस्तृत तौर पर जवाब तो मैडम देंगी क्योंकि यह इनके विभाग से संबंधित है लेकिन यह कहना कि आई0पी0एच0 मिनिस्टर इस्तीफा दे, यू0डी0 मिनिस्टर इस्तीफा दे, यह सही नहीं है। हम भी उस वक्त विपक्ष में थे जब पीलिया फैला था और हमने भी उस वक्त यह मामला उठाया था लेकिन हमने कभी भी मंत्री से इस्तीफा नहीं।

26/02/2016/1605/MS/DC/2

मांगा। हमने यह कहा कि इसको रोकने के कदम उठाए जाएं। प्रभावी कदम उठाए जाएं ताकि यह पीलिया दुबारा न हो। आप रिकॉर्ड देख सकते हैं हमने इस्तीफे के बारे में कभी नहीं कहा। इसलिए यह कहना कि फलां-फलां मिनिस्टर इस्तीफा दे यह बात गलत है। आप यह कहिए कि इसके लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं ताकि There should not be any recurrence of jaundice in future.

दूसरी बात जो आप ब्लेम गेम की करते हैं। मैं एक बात कहूंगा कि आपकी एक बड़ी फैल्योर रही है। आप JNNURM का वर्ष 2006-07 से लेकर 2012 तक का पैसा खर्च नहीं कर पाए। इसमें 90:10 के हिसाब से जितना पैसा खर्च करना था जिसमें ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई स्कीम के लिए था, सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट के लिए था, सीवरेज स्कीम के लिए था और रोड वाइडनिंग के लिए पैसा था। यह सारा पैसा इन सब चीजों के लिए था लेकिन उसको खर्च करने में आप पूरी तरह विफल हुए हैं। उसमें आपने कोई पैसा उस वक्त खर्च नहीं किया है। यह आपकी गलती रही है।

हमने वाटर ए0टी0एम0 लगाए हैं और उनकी कैपेस्टी बढ़ाई है। इस दौरान हमने फ्री कर दिया कि जितना मर्जी पानी कोई ले जाना चाहे, ले जा सकता है लेकिन मैं

चाहूंगा कि और वाटर ए0टी0एम0 शिमला के अंदर लगाए जाएं ताकि ऐसी सिचुएशन में लोग ए0टी0एम0 का पानी इस्तेमाल कर सके। अध्यक्ष जी, धन्यवाद।

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष जी, मुझे एक बात कहनी है।

अध्यक्षः बिन्दल जी आप नई प्रथा मत डालिए। आप पहले ही बोल चुके हैं। इसमें क्वायरी नहीं होती है। मैं आपको रूल पढ़कर बताऊं? In this discussion there are no queries. मैं अब अंत में माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस चर्चा का उत्तर दें।

I&PH Minister: Issues have been raised by the Hon'ble members of this House today under Rule 130, so I don't want anybody to miss anything. I am sorry to start off with the budget now. It is matter of deep regret and concern that

26/02/2016/1605/MS/DC/3

jaundice has spread in Shimla and Solan towns of the State and it is reported that 8 persons have lost lives due to this disease.

Continued by DC…..

26.2.2016/1610/जेएस/डीसी/1

I& PH Minister continues….

About 1592 people have been reported as affective by jaundice in Shimla since December,2015, 578 in Solan since 1st January,2016 and 46 in District Sirmour till date. I express my deepest condolences towards the bereaved families. The government is committed to providing safe and adequate drinking water. We have adopted an inter- sectoral approach to find a solution to this current problem for which there shall be no shortage of funds. The present outbreak of jaundice in Shimla was identified to have its origin in the water being lifted from Ashwani Khud. As soon as this fact was

noticed , the lifting of water from Lift Water Supply Scheme Ashwani Khud was stopped on 02.01.2016 till we got satisfactory sample reports accepted by medical authorities . Since 02.01.2016 no water is being lifted from Ashwani Khud has been stopped since 23.01.2016. In order to provide safe drinking water to the people of Solan Town, 4 Water ATMs are being installed and the process has already been initiated by DC, Solan. A campaign to clean the water storage tanks has been launched and IEC activities are being undertaken jointly with the Health Department and District Administration. Prior to the closure of LWSS Ashwani Khud , the IPH Department was providing an average of about 40 MLD(million liters per day) of water to the Municipal Corporation . The closure of LWSS Ashwani Khad has resulted in a deficit of 8.00 MLD. The Department has already increased the pumping from Giri Khad by 3.00 MLD resulting in a totral supply of 35.00 MLD. The Department proposed to further augment supply from the Chair Khad by 1.00 MLD and 4.00 MLD from Gumma pumping station to make good the deficit.

26.2.2016/1610/जेएस/डीसी/2

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी पीलिया के बारे में तो कुछ बोल ही नहीं रही हैं और जब यह ऐपिसोड हुआ, तब माननीय मंत्री जी यहां पर थी ही नहीं---__(**व्यवधान**)__

Chief Minister: She is coming to the point. अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? __(**व्यवधान**)__ आपको बोलने की क्या मोनोपली है? __(**व्यवधान**)__

श्री सुरेश भारद्वाजः मैडम, आप उस समय परेशान चल रहे थे।

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः माननीय सदस्य कौन परेशान नहीं है? परेशान सभी हैं। हम सभी लोग इस बीमारी से परेशान थे। __(**व्यवधान**)__ हम बोल रहे हैं आपने भागना है तो भागो __(**व्यवधान**)__

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए)

अध्यक्षः माननीय मंत्री जी आप अपनी स्पीच जारी रखें। आप अपनी स्टेटमैंट पढ़िए। माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, यह पीलिया का जो मामला हुआ है इसका हम सभी को दुख है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि इसी बार हुआ है, जब ये सत्ता में थे तब भी दो बार यहां पर पीलिया हुआ था और उस मामले को भी सदन में उठाया गया था। यह कोई अच्छी बात नहीं है। आज इस पर चर्चा हुई है और शांति के साथ हमने भी इनकी बातों को सुना है। हमने इनकी बातों को भी गम्भीरता से लिया है और मैं यह कह सकता हूं कि I have prior information that they will walkout before the debate ends कि एक बनी-बनाई प्लैन के मुताबिक ये बाहर जाएंगे और प्रैस वालों को बुलाएंगे कि देखो हम शहीद हुए हैं। मैं इस सस्ती राजनीति की भर्त्सना करता हूं। It is a cheap politics they are playing .

Speaker: Never then less the Hon'ble Minister finish your statement.

26.2.2016/1610/जेएस/डीसी/3

Chief Minister: The leader of opposition should be privy to such a conspiracy to lower the prestige of this House whose traditions are impeccable.

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----

26.02.2016/1615/SS-AG/1

मुख्य मंत्री क्रमागतः

इनका पहले से प्लान था कि मैडम (श्रीमती विद्या स्टोक्स) के बोलने से पहले ही हम बाहर जायेंगे। पता नहीं कुछ देर के लिए कैसे रूक गये। अभी तो शुरू ही किया था।

Speaker: That is why I am asking the Hon'ble Minister to continue and finish the statement. I have not adjourned the Assembly.

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, ये बेचारे बहुत दुखी हो गए। अब इनको और परेशान करने की ज़रूरत नहीं है।

Speaker, Sir, it is also pertinent to mention here that this outbreak of jaundice has been attributed to the infection from Hepatitis - E Virus. This outbreak has unfortunately also occurred in the past in the years 2007, 2010 and 2013. I would like to remind this august House that I had raised this issue under Rule 62 in the Budget Session of 2011, wherein I had pointed out sharp discrepancies in the working of STP, Malyana even at that time. However, in response to my reference it was stated by the then IPH Minister that all the STPs in Shimla were working properly. My objective is not to blame anyone but only to state that given my own experience on site visit, I feel that the problem is obviously not a recent one, this we have seen ourselves, but one that is long standing and persistent. I wish to narrate the sequence of events and the actions initiated by us. Disciplinary proceedings have been initiated against the defaulting officers. One Executive Engineer, two Assistant Engineers and 2 Junior Engineers have been put under suspension and

26.02.2016/1615/SS-AG/2

Superintending Engineer has been transferred and issued show cause notice. The entire team of officers from the level of Junior Engineer to

Superintending Engineer has been replaced to inject fresh initiative and result oriented action. A number of actions have been taken to arrest the problem and take care of it in the longer term.

I don't remember that such effective and corrective action was taken in 2011 when a similar situation had occurred in Shimla.

To ensure safe water, we need to test it periodically and properly. Presently, the State of H.P. does not have facility to detect this virus in the water. The only facility available in the country is at National Institution of Virology (NIV), Pune. It has been decided that monthly samples of drinking water shall be got tested at NIV, Pune for six months to assure us of the quality of water being supplied. These samples would be collected in collaboration with the Health Department to ensure proper procedure and credibility of sampling. Besides, the Pollution Control Board has been testing the quality of effluents at the Malyana STP and at others on a daily basis since the outbreak. The Department of Health has also been testing the quality of water in its laboratory.

To improve operation of STPs, the Government has taken several steps. A Committee headed by Chief Engineer has been instituted to look into the functioning of sewage treatment and suggest improvement plan for all the Sewage Treatment Plants (STPs) in Shimla town. Other measures include.

26.02.2016/1615/SS-AG/3

Speaker: Hon'ble Minister, if you like you can cut short the statement and read only the final para.

Irrigation & Public Health Minister: I will finish it. It is not too long.

- Construction of sludge drying beds in all the STPs of Shimla, which shall be completed before 20.03.2016. All sludge has been removed from Malyana.
- Installing Diesel Generator sets to provide uninterrupted power supply, which shall be done by 31.03.2016.
- Handing over STP, Sanjauli, Malyana and others for Operation and Maintenance to new and competent firm in the month of March.

Contd. By AG in English . . .

26.02.2016/1620/केएस/एजी/1

Irrigation & Public Health Minister Continues . . .

- Upgrading the labs at all STPs in terms of testing procedures and equipment as per the recommendations of the HPPCB before 20.03.2016.
- Experts from premier institutes are being invited to develop an improvement plan to get zero bacteria - zero virus effluent in all the STPs, in addition to the departmental Committee that has been set up with the similar mandate. As we receive recommendations, we will take steps to improve the existing STPs.
- In addition, Municipal Corporation, Shimla has issued 1800 notices to households who were found to have leakages in the sewer lines/septic tanks/not maintaining septic tanks in a scientific manner/not connected to sewer lines. Water connections of those found not-compliant have been disconnected.

Regarding water supply, the Government proposes to take the following measures (Sir, this is very important. I would like to speak about that.):

- Resume supply of 40 MLD of water in the coming months. The plan is to tap Brandy and Been Nallah to add about 5.6 MLD of water. This work is expected to be completed in the next 3-4 months.
- Leakage in the rising mains of LWSS Giri is proposed to be repaired by replacing the pipeline in the first 1000

26.02.2016/1620/केएस/एजी/2

meters in the next five-six months. For this, process has been initiated.

- Leakages in Craignano-Dhalli-Ridge pipeline shall also be repaired.
- Automatic discharge meters shall be installed in all the main pipelines by the IPH Department for metering bulk water supply. This would help in transparent reading of water supplied, identification of losses, place of occurrence and timely repair. Eventually, this would help add to the overall supply of water.
- To improve quality of water supply, three more gaseous chlorinators are being installed at Dhalli, Craignano and Bhekhalti to replace the manual procedure of disinfection with bleaching powder so as to ensure Automatic Chlorination Sensors shall be installed to get a clear reading of amount of chlorine in the water being supplied.
- MC Shimla has initiated chlorination in all sector storage tanks and also started a drive of door to door cleaning of

domestic tanks and distribution of chlorine tablets. All sector storage tanks have been cleaned by MC. Similarly, I&PH Department has initiated the cleanliness drive of water storage tanks in Solan for departmental as well as domestic tanks.

26.02.2016/1620/केएस/एजी/3

As is amply clear, our Government has initiated a comprehensive series of steps to provide sufficient potable water to Shimla, Solan and other parts of the State. The assurances given in 2011 very clearly reveal no such follow up action at that point. We are hopeful that the kind of all inclusive and fast action we have taken will definitely bring relief to the citizens of the city for now and in future.

However, utmost care is being taken by my department to ensure supply of potable water and the situation is being monitored closely.

और अध्यक्ष महोदय, मैं आम जनता से यह कहना चाहती थी, ये लोग यहां से उठकर चले गए, मैं कहना चाहती थी कि यह मसला राजनीतिक नहीं है बल्कि उसी समस्या का स्थायी हल निकालने के लिए हम ये-ये प्रभावी कदम उठा रहे हैं । इन लोगों ने इतना शोर मचा दिया It is very shameful the way these people went away. Thank you, Sir.

अध्यक्ष अ0व0 की बारी में---

262.2016/1625/av/dc/1

अध्यक्ष : अब इस मान्य सदन की बैठक सोमवार दिनांक 29 फरवरी, 2016 के 2.00 बजे (अपराह्न) तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171004 **सुन्दर सिंह वर्मा**
दिनांक : 26.2.2016 **सचिव।**